

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 36(2) के संदर्भ में केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट (2013-14 में भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति एवं प्रगति सहित) दिसंबर 2014

वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट (2013-14 में भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति एवं प्रगति सहित) अंक 10



भारतीय रिज़र्व बैंक
दिसंबर 2014

© भारतीय रिज़र्व बैंक
सर्वाधिकार सुरक्षित। इस सामग्री के उद्धरण की अनुमति है, बशर्ते स्रोत को दर्शाया जाए।

यह प्रकाशन इंटरनेट में <http://www.rbi.org.in> पर भी उपलब्ध है।

कृपया इसके संबंध में प्रतिक्रिया fsu@rbi.org.in को भेजें।

वित्तीय स्थिरता इकाई द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई - 400 001 के लिए प्रकाशित तथा अभिकल्पना एवं मुद्रण अलको कॉर्पोरेशन, गाला नं.25, ए विंग, भू-तल, वीरवानी इंडस्ट्रियल इस्टेट, गोरेगांव पूर्व, मुंबई - 400063 द्वारा किया गया।



भारतीय रिज़र्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA

www.rbi.org.in

गवर्नर
GOVERNOR

प्रेषण - पत्र

वि. स्थि. इ. 89 /01.04.003/2014-15

29 दिसंबर, 2014

8 पौष, 1936 (शक)

वित्त सचिव
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
नई दिल्ली - 110001

प्रिय श्री महर्षि,

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 36(2) के उपबंधों के अनुसरण में वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट दिसंबर 2014 (2013-14 में भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति एवं प्रगति सहित) की दो प्रतियां इसके साथ प्रेषित करते हुए मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है।

भवदीय,

रघुराम जी राजन

(रघुराम जी. राजन)

केन्द्रीय कार्यालय भवन, शाहीद भगतसिंह मार्ग, मुम्बई - 400 001, भारत
फोन: +91 22 2266 0868 / 2266 1872 / 2266 2644 फैक्स: +91 22 2266 1784 ई-मेल: governor@rbi.org.in
Central Office Building, Shahid Bhagat Singh Marg, Mumbai - 400 001, India
Tel: +91 22 2266 0868 / 2266 1872 / 2266 2644 Fax: +91 22 2266 1784 E-mail: governor@rbi.org.in

हिंदी आसान है, इसका प्रयोग बढ़ाइए



विषय-वस्तु

	पृष्ठ सं.
चुनिंदा संक्षेपाक्षरों की सूची	i-iii
विहगावलोकन	1
अध्याय I : समष्टि-वित्तीय जोखिम	3
वैश्विक पृष्ठभूमि	3
घरेलू समष्टि-आर्थिक स्थिति	4
संवृद्धि	4
मुद्रास्फीति	4
ऋण	5
गृहस्थ वित्तीय सेवाएं	5
बाह्य गतिविधियां	6
वित्तीय बाजार	7
सरकारी व्यय	7
बंधक ऋण - मूल्य/आय अनुपात के आकलन के लिए आवास मूल्य और ऋण	8
अध्याय II : वित्तीय संस्थाएं : गतिविधियां एवं स्थिरता	10
अनुसूचित वाणिज्य बैंक	10
कार्य-निष्पादन	10
जोखिम	15
दबाव परीक्षण	15
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	23
स्थानीय क्षेत्र बैंक	24
अनुसूचित शहरी सहकारी बैंक	25
निष्पादन	25
दबाव परीक्षण	25
ग्रामीण सहकारिता	25
अल्पावधि ग्रामीण ऋण सहकारिता	25
दीर्घावधि ग्रामीण ऋण सहकारिता	28
गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां	30
कार्यनिष्पादन	30
दबाव परीक्षण	32
अंतरसंबद्धता	32
अध्याय III : वित्तीय क्षेत्र का विनियमन और मूलभूत संरचना	37
वैश्विक विनियामक सुधार कार्यक्रम से संबंधित प्रगति	37
भारतीय बैंकिंग क्षेत्र की सेहत और आस्ति गुणवत्ता - सरकारी क्षेत्र के बैंकों पर जोर	45
प्रतिभूति बाजार का विनियमन	54
वित्तीय बाजार की बुनियादी सुविधाएं	58
वित्तीय सुरक्षा कवच	60
पेंशन क्षेत्र	61
पण्य व्युत्पन्नी (डेरिवेटिव) बाजार	62
अनुबंध 1: प्रणालीगत जोखिम सर्वेक्षण	63
अनुबंध 2: कार्य प्रणालियां	66

बाक्सों की सूची

1.1	स्थावर-संपदा निवेश न्यास	9
2.1	वित्तीय प्रणाली में अंतरसंबद्धता - कितना महत्वपूर्ण और कितना जोखिम	35
3.1	एनबीएफसी के लिए संशोधित विनियामक ढांचे की प्रमुख-प्रमुख बातें	43
3.2	महत्वपूर्ण विनियामकीय एवं पर्यवेक्षी उपाय	49
3.3	वित्तीय समावेशन योजना: सितंबर 2014 तक प्रगति	53
3.4	कोर एसजीएफ, चूक की भरमार (डिफाल्ट वाटरफाल) और दबाव जांच पर सेबी के दिशानिर्देश	60

चार्ट की सूची

1.1	वित्तीय बाजारों में उतार-चढ़ाव और जोखिम उत्क्रमण	3
1.2	क्षमता का अनुप्रयोग	4
1.3	निजी कॉर्पोरेट निवेश का परिकल्पित आशय	4
1.4	उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति	4
1.5	बैंक ऋण एवं जमा संग्रहण की प्रवृत्ति	5
1.6	प्रमुख क्षेत्रों द्वारा क्षेत्रवार ऋण अभिनियोजन में वृद्धि	5
1.7	बिजनेस के साथ-साथ ऋण चक्र : बीपी फिल्टर (बारंबारता : 10-14 वर्ष)	5
1.8	क्षेत्र-वार सकल घरेलू बचत एवं मूल्यवान वस्तुएं	5
1.9	बाह्य क्षेत्र में सुधार	6
1.10	भारत में विदेशी पोर्टफोलियो निवेश	6
1.11	मूल देश द्वारा विदेशी पोर्टफोलियो में निवेश (जून 2013 - अक्टूबर 2014 के बीच)	6
1.12	चुनिंदा उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं में पोर्टफोलियो अंतर्वाह	7
1.13	स्टाक बाजार तथा मुद्रा के उतार-चढ़ाव	7
1.14	सरकारी व्यय	8
1.15	सरकारी प्राप्तियां	8
1.16	मूल्य की तुलना में ऋण (एलटीवी) : नये आवास में ऋण हिस्सा	8
1.17	मूल्य की तुलना में आय (एलटीआई) : नये आवास में ऋण हिस्सा	8
2.1	आस्ति, ऋण और जमाराशि वृद्धि	11
2.2	बकाया सी-डी अनुपात में प्रवृत्तियां : बैंक-समूह वार	11
2.3	ऋण और जमाराशियां वृद्धि - वर्षानुवर्ष आधार पर	11
2.4	पूंजी पर्याप्तता - सीआरएआर	12
2.5	एससीबी का लिवरेज अनुपात	12

	पृष्ठ सं.
2.6 अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की आस्ति गुणवत्ता	12
2.7 स्प्रेड / एनआईएम में प्रवृत्तियां	14
2.8 बैंकिंग स्थिरता संकेतक	15
2.9 बैंकिंग स्थिरता मानचित्र	15
2.10 एससीबी के प्रणालीगत स्तर पर जीएनपीए तथा सीआरएआर का अनुमान	16
2.11 बैंक समूह-वार जीएनपीए एवं सीआरएआर के अनुमान	16
2.12 अनुमानित क्षेत्रगत जीएनपीए (परिदृश्यों के अंतर्गत)	17
2.13 संभावित हानियां : बैंक समूह-वार	17
2.14 अप्रत्याशित हानियां : बैंक समूह-वार	18
2.15 संभावित कमियां : बैंक समूह-वार	18
2.16 प्रत्याशित हानियां तथा अप्रत्याशित हानियां : बैंक-वार	18
2.17 ऋण जोखिम - आघात एवं उनके प्रभाव	19
2.18 ऋण जोखिम : संकेंद्रण	20
2.19 चलनिधि जोखिम (जमाराशि का तेजी से निकलना)	21
2.20 अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के व्युत्पन्नी पोर्टफोलियो की प्रवृत्ति (ऋण समतुल्य)	22
2.21 कुल व्युत्पन्नियों का बाजार मूल्य - आधार रेखा	23
2.22 दबाव परीक्षण - चुनिंदा बैंकों के व्युत्पन्नी पोर्टफोलियो पर आघातों का प्रभाव	23
2.23 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की लाभप्रदता की प्रवृत्ति	23
2.24 स्थानीय क्षेत्र बैंकों की आस्तियों पर प्रतिफल एवं निवल ब्याज मार्जिन	24
2.25 शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) की संख्या तथा उनकी आस्तियों में वृद्धि	24
2.26 अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की तुलना में शहरी सहकारी बैंकों से संबंधित ऋण-जमा तथा निवेश-जमा अनुपात	24
2.27 राज्य सहकारी बैंकों के तुलन पत्रों के चुनिंदा सूचक	26
2.28 जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों की लाभप्रदता की प्रवृत्ति	27
2.29 ग्रामीण सहकारी बैंकों का अल्पावधि सकल अनर्जक आस्ति अनुपात	27
2.30 प्राथमिक कृषि ऋण सोसायटियों से (पीएसीएस) बकाया ऋण में वृद्धि	27
2.31 लाभप्रद/हानिग्रस्त पीएसीएस	28
2.32 राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (एससीएआरडीबीएस) की तुलन पत्र सूचकांक की प्रवृत्ति	28
2.33 पीसीएआरडीबी का लाभदायक सूचकांक	29
2.34 एनबीएफसी - एनडी - एसआई की आस्ति गुणवत्ता	31
2.35 एनबीएफसी - एनडी - एसआई का जोखिम भारत आस्तियों के अनुपात की पूंजी	31

	पृष्ठ सं.
2.36 एनबीएफसी - एनडी - एसआई की आस्तियों पर प्रतिफल में प्रवृत्ति	31
2.37 अंतर बैंक बाजार का आकार	32
2.38 अंतर बैंक बाजार में विभिन्न बैंक समूहों का हिस्सा	32
2.39 अंतर बैंक उधारी	33
2.40 अंतर बैंक उधार	33
2.41 अंतर बैंक बाजारों में निधि आधारित एवं गैर-निधि आधारित एक्सपोजर	33
2.42 निधि आधारित अंतर बैंक उधार	33
2.43 अल्पावधि अंतर बैंक बाजार	34
2.44 भारतीय बैंकिंग प्रणाली का नेटवर्क संरचना - (सितंबर 2014)	34
2.45 आस्ति प्रबंधन कंपनियां (एएमसीएस) तथा बीमा कंपनियों से बैंकिंग क्षेत्र द्वारा एकत्रित निधियां	25
3.1 मौजूदा ढांचे के अंतर्गत औसत सीईटी 1, टियर 1 तथा कुल पूंजी अनुपात	38
3.2 बैंकिंग क्षेत्र के पूंजी अनुपात (सितंबर 2014)	40
3.3 बैंकिंग क्षेत्र के दीर्घावधि पूंजी लिखत / बांडों में बीमा कंपनियों का निवेश	40
3.4 बैंकिंग क्षेत्र की उपलब्ध चलनिधियां (असमायोजित स्तर 1-एचक्यूएलए) - (सितंबर 2014)	41
3.5 ब्रिक्स देशों में छाया बैंकिंग प्रणाली का आकार	42
3.6 भारतीय वित्तीय प्रणाली की कुल आस्तियों में विभिन्न क्षेत्रों का हिस्सा	42
3.7 सीडीआर कक्ष के अंतर्गत राशि और मामलों की संख्या की तिमाही प्रवृत्ति	45
3.8 बीएसई से संबद्ध 100 कंपनियों का औसत ऋण इक्विटी अनुपात	46
3.9 बैंकों द्वारा एआरसी को बेची गयी आस्तियों की राशि	48
3.10 डीएफआई में बैंकिंग क्षेत्र का निवेश	52
3.11 डीएफआई द्वारा बैंकिंग क्षेत्र को दिए गए ऋण और अग्रिम	52
3.12 विदेश स्थित व्युत्पन्नी लिखतों की प्रवृत्ति	54
3.13 नकदी बाजार की तुलना में व्युत्पन्नी बाजार का टर्नओवर अनुपात	55
3.14 निवेशक प्रकार, निवेश उत्पादों तथा भौगोलिक पहुंच के अनुसार भारत में म्युचुअल फंडों के एयूएम का वितरण	56
3.15 निवेशकों के अनुसार इक्विटी एयूएम संरचना (अवधि-वार)	57
3.16 निवेशकों के अनुसार इक्विटी से इतर एयूएम संरचना (अवधि-वार)	57
3.17 शीर्ष-10 एएमसी द्वारा सामूहिक रूप से धारित इक्विटी शेयर का बारंबारता वितरण	57
3.18 निपटान प्रणालियों का वितरण (मूल्य में)	59
3.19 निपटान प्रणालियों का वितरण (मात्रा में)	59
3.20 जमाराशि बीमा निधि : अधिशेष एवं बीमांकित देयताएं	61

सारणियों की सूची

2.1	मार्च-सितंबर 2014 के दौरान दबावग्रस्त अग्रिम अनुपात में परिवर्तन अग्रिम अनुपात में परिवर्तन अग्रिम अनुपात में परिवर्तन	13
2.2	कुल ऋण पोर्टफोलियो में दबावग्रस्त अग्रिमों का हिस्सा	13
2.3	अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (एससीबी) की आस्तियों तथा इक्विटी पर प्रतिलाभ - बैंक समूह-वार	14
2.4	एससीबी की लाभप्रदता	14
2.5	समष्टि आर्थिक परिदृश्य धारणाएं	15
2.6	ऋण जोखिम : क्षेत्र	20
2.7	चलनिधि जोखिम : अनाहरित सीमाओं/आकस्मिकताओं की न्यागमन/अनाहरित ऋण की वचनबद्ध श्रृंखला/ साख पत्र गारंटियों की न्यागमन की उपयोगिता	22
2.8	अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों की वित्तीय मजबूती के चुनिंदा संकेतक	25
2.9	ग्रामीण सहकारी बैंकों की मजबूती के संकेतक (अल्पावधिक)	26
2.10	ग्रामीण सहकारी बैंक की मजबूती सूचकांक (दीर्घावधि)	29
2.11	एनबीएफसी-एनडी-एसआई के तुलनपत्र का समेकन	30
2.12	एनबीएफसी - एनडी-एसआई क्षेत्र के वित्तीय कार्यनिष्पादन	30
2.13	अंतरसंबद्ध शीर्ष -5 बैंकों द्वारा प्रणाली में उत्पन्न होने वाली संक्रामकता	36
3.1	शीर्ष एनबीएफसी की तुलना में बैंकों, एएमसी और बीमा कंपनियों का एक्सपोजर	43
3.2	रिजर्व बैंक में पंजीकृत एनबीएफसी का आकार-वार वितरण	44
3.3	प्रवर्तकों के प्लेज शेयरों के हिस्से की उद्योग-वार स्थिति (मार्च 2014 को)	47
3.4	भारतीय पारस्परिक निधि उद्योग में संकेंद्रण से संबंधित चुनिंदा सूचक	57

चुनिंदा संक्षेपाक्षरों की सूची

एई	उन्नत अर्थव्यवस्था	सीजीए	लेखा महानियंत्रक
एएफए	अतिरिक्त प्राधिकरण कारक	सीजीएफ	ऋण गारंटी निधि
एएफसी	आस्ति वित्त कंपनी	सीएनपी	अप्रस्तुत कार्ड
एएफएस	बिक्री के लिए उपलब्ध	सीपीआई	उपभोक्ता मूल्य सूचकांक
एएमसी	आस्ति प्रबंध कंपनी	सीपीएमआई	भुगतान और बाजार मूलभूत सुविधा संबंधी समिति
एएमएफआई	भारतीय म्युचुअल फंड संघ	सीपीएसएस	भुगतान और निपटान प्रणाली समिति
एएमएल	धन-शोधन निवारण	सीआरएआर	जोखिमभारित आस्तियों की तुलना में पूंजी अनुपात
एआरसी	आस्ति पुनर्रचना कंपनी	सीआरआइएलसी	बड़े ऋणों के संबंध में सूचना का केंद्रीय भंडार
एटी 1	अतिरिक्त टियर-1	सीआरआर	आरक्षित नकदी निधि अनुपात
एयूएम	प्रबंध के अधीन आस्तियां	डीसीसीबी	जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक
बीसीबीएस	बैंकिंग पर्यवेक्षण के संबंध में बासेल समिति	डीईए	जमाकर्ता शिक्षा एवं जागरूकता
बीसी-आईसीटी	व्यवसाय प्रतिनिधि - सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी	डीएफआई	विकासात्मक वित्तीय संस्था
बीसीपी	बासेल के मुख्य सिद्धांत	डीआईसीजीसी	निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम
बीसी	व्यवसाय प्रतिनिधि	डीआईएफ	निक्षेप बीमा निधि
बीई	बजट आकलन	डीआईआई	घरेलू संस्थागत निवेशक
बीआईएस	अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक	डी-एसआइबी	घरेलू प्रणालीगत दृष्टि से महत्वपूर्ण बैंक
बीओजे	बैंक ऑफ जापान	ईसीबी	यूरोपीय केंद्रीय बैंक/बाह्य वाणिज्यिक उधार
ब्रिक्स	ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका	ईसीबी	बाह्य वाणिज्यिक उधार
बीएसबीडीए	मूलभूत बचत बैंक जमा खाता	ईसीआर	निर्यात ऋण पुनर्वित्तीयन
बीएसई	बांबे शेयर बाजार	ईईटी	छूट, छूट, करयोग्य
बीएसआई	बैंकिंग स्थिरता सूचक	ईएल	अपेक्षित हानि
सीएडी	चालू खाता घाटा	ईएलएसएस	इक्विटी-संबद्ध बचत योजना
सीएजीआर	यौगिक वार्षिक संवृद्धि दर	ईएमडीई	उभरते बाजार वाली एवं विकासशील अर्थव्यवस्था
सीबीओई	शिकागो बोर्ड ऑफ़ शान्स एक्सचेंज	ईएमई	उभरते बाजार वाली अर्थव्यवस्था
सीसी	समाशोधन निगम	ईपीएफओ	कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
सीसीबी	प्रतिचक्रीय पूंजीगत बफर	ईपीआरए	यूरोपीय सरकारी स्थावर संपदा संघ
सीसीआईएल	भारतीय समाशोधन निगम लिमि.	ईएस	अपेक्षित कमी
सीसीपी	केंद्रीय प्रतिपक्षी	ईटीएफ	एक्सचेंज व्यापारित निधि
सी-डी	जमा की तुलना में ऋण	एफएटीएफ	वित्तीय कार्रवाई कार्यबल
सीडीआर	कॉर्पोरेट कर्ज पुनर्रचना	एफसीसीबी	परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा बांड
सीडी	जमा प्रमाणपत्र	एफआई	वित्तीय संस्था
सीईटी 1	सामान्य इक्विटी टियर I	एफआईपी	वित्तीय समावेशन योजना
सीएफटी	आतंकवाद वित्तपोषण का मुकाबला करना		

एफआई	विदेशी निवेशक	एलओयू	स्थानीय परिचालक यूनिट
एफएमसी	वायदा बाजार आयोग	एलटीआइ	आय की तुलना में ऋण का अनुपात
एफएमआई	वित्तीय बाजार मूलभूत सुविधा	एलटीवी	मूल्य की तुलना में ऋण का अनुपात
एफपीआइ	विदेशी संविभाग निवेश/विदेशी संविभाग निवेशक	एमबीएस	बंधक समर्थित प्रतिभूतियां
एफएसएपी	वित्तीय क्षेत्र के आकलन का कार्यक्रम	एमसीए	कॉर्पोरेट मामलों का मंत्रालय
एफएसबी	वित्तीय स्थिरता बोर्ड	एमएफ	पारस्परिक निधि
एफएसडीसी	वित्तीय स्थिरता एवं विकास परिषद	एमओएसपीआई	सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
एफएसआर	वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट	एमओयू	समझौता ज्ञापन
जीसीसी	सामान्य क्रेडिट कार्ड	एमआरसी	न्यूनतम अपेक्षित राशि
जीडीपी	सकल घरेलू उत्पाद	एमआईआईटी	बंधक स्थावर संपदा निवेश ट्रस्ट
जीएफ	साधारण निधि	एमएससीआईआई	मॉर्गन स्टेनले पूंजीगत अंतरराष्ट्रीय उन्नत अर्थव्यवस्थाएं
जीएफएसआर	वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट	एमएससीआईआईएम	मॉर्गन स्टेनले पूंजीगत अंतरराष्ट्रीय उभरते बाजार
जीएलएसी	अव्यवहार्य संस्था की हानि वहन - क्षमता	एमएसएफ	मार्जिनल स्थायी सुविधा
जीएनपीए	सकल अनर्जक अग्रिम	एमएसएमई	सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम
जीओआई	भारत सरकार	एमटीएम	बाजार मूल्य आधारित
जी-एसआईबी	वैश्विक प्रणालीगत रूप से महत्त्वपूर्ण बैंक	नाबार्ड	राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक
एचएफटी	कारोबार के लिए धारित	एनएएफएससीओबी (नैफ्सकोब)	राष्ट्रीय राज्य सहकारी बैंक लिमि.
एचएनआई	उच्च मालियत वाले व्यक्ति	एनएवी	निवल आस्ति मूल्य
एचक्यूएलए	उच्च गुणवत्ता वाली चलनिधियुक्त आस्तियां	एनबीएफसी	गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां
एचटीएम	परिपक्वता के लिए धारित	एनबीएफसी-डी	गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां - जमा स्वीकार करने वाली
आईबीए	भारतीय बैंक संघ	एनबीएफसी-एनडी	गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां - जमा स्वीकार नहीं करने वाली
आईआईएफ	अंतरराष्ट्रीय वित्त संस्था	एनबीएफसी-एनडी-एसआई	गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां - जमा स्वीकार नहीं करने वाली - प्रणालीगत दृष्टि से महत्त्वपूर्ण
आईआईपी	औद्योगिक उत्पादन सूचकांक	एनडीटीएल	निवल मांग एवं मीयादी देयता
आईएमएफ	अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष	एनएचबी	राष्ट्रीय आवास बैंक
आईएनआर	भारतीय रुपया	एनआईएम	निवल ब्याज मार्जिन
आईओएससीओ	अंतरराष्ट्रीय प्रतिभूति आयोग संगठन	एनएनपीए	निवल अनर्जक आस्तियां
आईपीओ	प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव	एनओएफ	निवल स्वाधिकृत निधि
आईआरडीए	बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण	एनपीए	अनर्जक अग्रिम
आईटी	सूचना प्रौद्योगिकी	एनपीएस	राष्ट्रीय पेंशन योजना
जेएलएफ	उधारदाताओं का संयुक्त फोरम		
केसीसी	किसान क्रेडिट कार्ड		
एलएबी	स्थानीय क्षेत्र बैंक		
एलसीआर	चलनिधि कवरेज अनुपात		
एलईआई	विधिक संस्था निर्धारक		

चुनिंदा संक्षेपाक्षरों की सूची

एनएसडीएल	नेशनल सिक्कूरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड/राष्ट्रीय प्रतिभूति भंडारण लिमिटेड	आरडब्लूए	जोखिम भारित आस्तियां
एनएसई	राष्ट्रीय शेयर बाजार	एसएआरएफईएसआइ/सरफेसी	वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्रचना तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन कानून
ओडी	ओवरड्राफ्ट	एससी/आरसी	प्रतिभूतिकरण/पुनर्निर्माण कंपनियां
ओडीआइ	विदेश स्थित व्युत्पन्नी लिखत	एससीएआरडीबी	राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक
ओटीसी	ओवर द काउंटर	एससीबी	अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक
पीएसएस	प्राथमिक कृषि ऋण समितियां	एसडी	मानक विचलन
पीएटी	करोत्तर लाभ	सेबी	भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड
पीबीसी	प्रमुख कारोबारी मानदंड	एसजीएफ	निपटान गारंटी निधि
पीबीटी	कर पूर्व लाभ	एसआइडीबीआइ/सिडबी	भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक
पीसीएआरडीबी	प्राथमिक सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक	एसएलसीसी	राज्य स्तरीय समन्वय समिति
पीएफआरडीए	पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण	एसएलआर	सांविधिक चलनिधि अनुपात
पीएमएफआई	वित्तीय बाजार मूलभूत सुविधा सिद्धांत	एसएमए	विशेष उल्लेख वाले खाते
पीएमजेडीवाई	प्रधानमंत्री जन धन योजना	एसपीवी	विशेष प्रयोजन माध्यम
पीएसबी	सरकारी क्षेत्र का बैंक	एसआर	प्रतिभूति रसीद
क्यूसीसीपी	अर्हता प्राप्त केंद्रीय प्रतिपक्ष	एसटीसीबी	राज्य सहकारी बैंक
क्यूई	मात्रात्मक सुलभता/सहजता	एसयूसीबी	अनुसूचित शहरी सहकारी बैंक
आरबीआई	भारतीय रिजर्व बैंक	एसडब्लूएफ	सरकारी संपदा निधि
आरसीएपी	विनियामकीय संगतता मूल्यांकन कार्यक्रम	टीसीटीएफ	अत्यधिक संबद्ध कि असफल होना असंभव/ इतने बढ़िया तरह से संबद्ध कि असफल हो ही नहीं सकते
रीर	वास्तविक प्रभावी विनियम दर	टीएलएसी	हानि वहन करने की कुल क्षमता
आरईआइटी	स्थावर संपदा निवेश ट्रस्ट	यूसीबी	शहरी सहकारी बैंक
आरआइडीएफ	ग्रामीण आधारभूत संरचना विकास निधि	यूएल	अप्रत्याशित हानि
आरओए	आस्तियों पर प्रतिलाभ	यूएसडी	अमरीकी डॉलर
आरओई	इक्विटी पर प्रतिलाभ	वाइ-ओ-वाइ	वर्ष-दर-वर्ष
आरआरबी	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक		
आरटीजीएस	वास्तविक समय सकल निपटान		

विहगावलोकन

समष्टि-वित्तीय जोखिम

वैश्विक वृद्धि की वर्तमान कमजोर संभावना के कारण अधिकांश उन्नत अर्थव्यवस्थाओं(एई)में मौद्रिक नीति का सुगम रुझान जारी रह सकता है। परिणामस्वरूप, जोखिम के प्रतिफल कम होने से कमजोरी बढ़ सकती है और बाजारों में अचानक तेजी से होने वाले उछाल की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। अभी तक, वित्तीय जोखिम लेने का सहगामी असर आर्थिक जोखिम लेने पर नहीं पड़ा है। उन्नत अर्थव्यवस्थाओं(एई) में ब्याज दरें निम्न स्तर पर होने की पृष्ठभूमि के साथ उभरते बाजार एवं विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में पोर्टफोलियो प्रवाह मजबूत रहा है जिससे उसकी (पोर्टफोलियो) वापसी का जोखिम बढ़ गया है जिसका वृद्धि पर विपरीत असर पड़ने अथवा वित्तीय बाजार जोखिमों की संभावना बढ़ गई है। इस प्रकार से, और अधिक सतर्कता जरूरी हो गई है।

घरेलू मोर्चे पर, हाल के महीनों में वृद्धि की संभाना में सुधार होने, मुद्रास्फीति में गिरावट आने, विदेशी क्षेत्र में सुधार होने तथा राजनीतिक स्थिरता के साथ समष्टि आर्थिक कमजोरियों में काफी कमी आई है। हालांकि, निवेश के इरादों के कमजोर होने के कारण बैंकिंग कारोबार की वृद्धि तथा प्राथमिक पूंजी बाजारों में वृद्धि कमजोर बनी हुई है। वास्तविक परिणामों में, कारोबारी मनोभावों को बरकरार रखने की अनिश्चितता बनी हुई है।

वित्तीय संस्थाएं : गतिविधियां एवं स्थिरता

2013-14 के दौरान भारतीय बैंकिंग क्षेत्र की वृद्धि में और अधिक गिरावट आई है। बैंकों के बकाया ऋणों के लिए प्रावधानीकरण के उच्च स्तर तथा ऋण की मंद वृद्धि होने के कारण लाभप्रदता में कमी आई। शहरी एवं ग्रामीण सहकारी बैंकों के वित्तीय हालात से प्रमुख सूचकों की भिन्न-भिन्न प्रवृत्तियों का पता चलता है। शहरी सहकारी बैंकों ने बेहतर प्रदर्शन किया किंतु प्राथमिक कृषि ऋण समितियों तथा दीर्घावधि ग्रामीण ऋण समितियों का कार्य निष्पादन उनकी हानियों के साथ ही आस्ति गुणवत्ता में गिरावट होने के कारण चिंता का विषय बना हुआ है। जमा स्वीकार नहीं करने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों(प्रणालीगत दृष्टि से महत्वपूर्ण) की आस्ति के

आकार में वृद्धि देखी गई किंतु समीक्षा अवधि में उनकी आस्ति गुणवत्ता में और अधिक गिरावट आ गई है।

बैंकिंग स्थिरता सूचक से पता चलता है कि 2014-15 की पहली छमाही के दौरान बैंकिंग क्षेत्र पर समग्र जोखिम अपरिवर्तित रहा। व्यक्तिशः आयामों के अंतर्गत, प्रणाली में चलनिधि की स्थिति में सुधार हुआ है किंतु सुदृढ़ता में कमी होने के साथ ही आस्ति गुणवत्ता में गिरावट होने के कारण चिंताएं बनी हुई हैं। सूचक के लाभप्रदता आयाम में सुधार का पता चलता है किंतु यह अभी भी धीमा बना हुआ है। दबाव परीक्षण से पता चलता है कि समष्टि आर्थिक परिस्थितियों में संभावित सकारात्मक गतिविधियों के तहत बैंकों की आस्ति गुणवत्ता में आने वाले समय में सुधार हो सकता है और बैंक अपने वर्तमान प्रावधान के स्तर के साथ संभावित हानियों को पूरा करने की स्थिति में हो सकते हैं। हालांकि, यदि समष्टि आर्थिक परिस्थितियां बहुत अधिक खराब हो जाएं तो अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की आस्ति गुणवत्ता में वर्तमान स्तर से और गिरावट आ सकती है और बैंक, प्रतिकूल समष्टि आर्थिक जोखिम परिदृश्यों के अंतर्गत पर्याप्त प्रावधान के रूप में प्रत्याशित हानियों को पूरा करने में पीछे रह सकते हैं।

परस्पर संबद्धता के विश्लेषण से पता चलता है कि कुल बैंकिंग क्षेत्र की आस्तियों की तुलना में अंतर-बैंक बाजार का आकार धीरे-धीरे कम होता जा रहा है। किंतु, पाँच अत्यधिक संबद्ध बैंकों के संक्रामक विश्लेषण से ज्ञात होता है कि यदि कोई एक बैंक संक्रामकता का शिकार होता है तो संयुक्त ऋण-शोधन-चलनिधि स्थिति के अंतर्गत बैंकिंग प्रणाली अपनी टियर-1 पूंजी का काफी हिस्सा गंवा सकती है।

वित्तीय क्षेत्र विनियमन और मूलभूत सुविधाएं

जहां वाणिज्यिक बैंकों का जोखिम भारित आस्तियों की तुलना में पूंजी अनुपात (सीआरएआर) सितंबर 2014 में 12.8 प्रतिशत पर संतोषजनक है, वहीं आगे चलकर बैंकिंग क्षेत्र, विशेषकर सरकारी क्षेत्र के बैंकों के लिए अतिरिक्त पूंजी बफर के संबंध में विनियामकीय अपेक्षा को पूरा करने के लिए और अधिक पूंजी की आवश्यकता पड़ेगी।

विनियामक द्वारा, जानबूझकर की गई चूक के मामलों को अलग-अलग करके देखने पर अधिक ध्यान देने तथा होने वाली चूक के नुकसान में प्रवर्तकों की समान सहभागिता सुनिश्चित करने को देखते हुए इस बात की आवश्यकता है कि निवल आर्थिक प्रभाव मूल्यांकन और बड़े कॉर्पोरेट ऋण पुनर्चना(सीडीआर) के मामलों की प्रक्रिया में और अधिक पारदर्शिता लाई जाए। इससे जुड़ा एक अन्य पहलू है जो बैंकों की आस्ति गुणवत्ता को चुभता है वह है कॉर्पोरेट लीवरेज और बैंक के तुलनपत्रों पर उसके मूल्यांकन का प्रभाव, खासतौर से होल्डिंग कंपनी स्ट्रक्चर द्वारा 'दुगुनी लीवरेजिंग' तथा प्रवर्तकों द्वारा शेयरों को गिरवी रखना है।

भारतीय स्टॉक बाजार ने हाल के महीने में तेजी से प्रगति की है। जहां उसमें खुदरा निवेशकों का आधार अभी भी अपेक्षाकृत कम रहा है, वहीं भारत के स्टॉक बाजार ने भारी मात्रा में विदेशी निवेश को आकर्षित किया है, किंतु विभिन्न युक्तियुक्त कारणों से उसकी

वापसी का जोखिम बढ़ गया है। भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) ने प्रमुख निपटान गारंटी निधि के रूप में एक अतिरिक्त सुरक्षा कवच बनाया है जिससे व्यापार के निपटान में संभावित चूक के जोखिम को समाप्त किया जा सके और घरेलू पूंजी बाजार में जोखिम प्रबंधन ढांचे को मजबूत किया जा सके।

वास्तविक उपयोगकर्ताओं/हेजर्स की सहभागिता बढ़े और बाजार में मूल्य-निर्धारण की गुणवत्ता बेहतर बनाने के लिए वायदा बाजार आयोग (एफएमसी) ने पोजीशन लिमिट को संशोधित किया है जो अंतर्निहित पण्यों के उत्पादन तथा आयात के अनुमानों से संबद्ध होती हैं।

अनधिकृत रूप से जमाराशियां स्वीकार करने एवं वित्तीय धोखाधड़ी से संबंधित मामलों से निपटने के लिए वित्तीय स्थिरता और विकास संघ (एफएसडीसी) की पहल के अंतर्गत राज्य स्तरीय समन्वय समिति (एसएलसीसी) को और मजबूत बनाया गया है।

अध्याय I

समष्टि - वित्तीय जोखिम

वैश्विक वृद्धि की वर्तमान कमजोर संभावना के कारण अधिकांश उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में मौद्रिक नीति का सुगम रुझान जारी रह सकता है। परिणामस्वरूप, जोखिम के प्रतिफल कम होने से कमजोरी बढ़ सकती है और बाजारों में अचानक तेजी से होने वाले उछाल की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। अभी तक, वित्तीय जोखिम लेने का सहगामी असर आर्थिक जोखिम लेने पर नहीं पड़ा है। उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में व्याज दरें निम्न स्तर पर होने की पृष्ठभूमि के साथ उभरते बाजार एवं विकासशील अर्थव्यवस्थाओं (ईएमडीई) में पोर्टफोलियो प्रवाह मजबूत रहा है जिससे उसकी (पोर्टफोलियो) वापसी का जोखिम बढ़ गया है जिसका वृद्धि पर विपरीत असर पड़ने अथवा वित्तीय बाजार जोखिमों की संभावना बढ़ गई है। इस प्रकार से, और अधिक सतर्कता जरूरी हो गई है।

घरेलू मोर्चे पर, हाल के महीनों में वृद्धि की संभावना में सुधार होने, मुद्रास्फीति में गिरावट आने, विदेशी क्षेत्र में सुधार होने तथा राजनीतिक स्थिरता के साथ समष्टि आर्थिक कमजोरियों में काफी कमी आई है। हालांकि, निवेश के इरादों के अभी भी कमजोर होने के कारण बैंकिंग कारोबार की वृद्धि तथा प्राथमिक पूंजी बाजारों में वृद्धि कमजोर बनी हुई है। वास्तविक परिणामों में, कारोबारी मनोभावों को बरकरार रखने की अनिश्चितता बनी हुई है।


वैश्विक पृष्ठभूमि

1.1 विश्व में सुधार की स्थिति कमजोर होती हुई प्रतीत होती है। जहां अमरीका में आर्थिक वृद्धि की पकड़ मजबूत हो रही है, वहीं यूरो क्षेत्र में पिछड़ रही है और यहां तक कि जापान में आर्थिक वृद्धि की गति विपरीत होने लगी है। चीन में भी यदि स्थिति कठोर बनी तो यह विश्व के लिए एक अतिरिक्त जोखिम बन जाएगा। इसके अलावा, मध्य-पूर्व देशों तथा युक्रेन से भू-राजनैतिक जोखिमों से उत्पन्न होने वाली घटनाओं का भी विश्व की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ रहा है। आर्थिक वृद्धि और स्थिरता के पैटर्न में बदलाव किए बिना, जो काफी हद तक अभी भी मुद्रा की सहज स्थिति पर टिकी हुई है, प्रभावित होने की संभावना बनी हुई है, खासतौर से अनेक क्षेत्रों में मुद्रास्फीति की स्थिति नीतिगत लक्ष्य से नीचे है और अन्य क्षेत्रों में अवस्फीति का खतरा बना हुआ है।

1.2 इस पृष्ठभूमि में, विश्व में वित्तीय स्थिरता की संभावनाएं अनिश्चित बनी हुई हैं तथा वित्तीय बाजारों की स्थिति बेहतर होने की संभावना का वातावरण क्षीण माना जा रहा है और उम्मीद यह की जा रही है कि अत्यधिक मौद्रिक सहजता की स्थिति जारी रहेगी। पूरे विश्व में स्टॉक बाजारों में, खासतौर से उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में काफी तेजी रही है जिसमें हाल के समय तक कम अस्थिरता रही है, और यह स्थिति पूर्व में अनुभव की गई स्थिति के समान बन रही है जिसमें वित्त की अधिकता हो गई थी जिसके कारण पूरे विश्व में वित्तीय संकट उत्पन्न हो गया था (चार्ट 1.1)। अमरीका में मात्रात्मक सहजता (क्यूई) का दौर खत्म हो जाने के बावजूद बैंक

ऑफ जापान और यूरोपियन सेंट्रल बैंक के साथ जो व्यापार चल रहे थे उसके जारी रहने की संभावना है जिससे विश्व की चलनिधि में वृद्धि होगी। साथ ही कम आमदनी की मात्रा, पेंशन और सेवानिवृत्ति निधि को प्रभावित कर रही है जो उन्हें निवेश की रणनीति को और अधिक जोखिमपूर्ण विकल्पों की ओर उकसा रही है। इस प्रकार के अपेक्षाकृत शांत वातावरण में अमरीकी तिजोरी बांड आय (यिल्ड) में 15 अक्टूबर की अचानक गिरावट से जोखिमों के महादूत पैदा हो जाने की संभावना है।

चार्ट 1.1 : वित्तीय बाजारों में उतार-चढ़ाव और जोखिम उत्क्रमण



टिप्पणी: 12 दिसंबर 2014 तक अद्यतन।

स्रोत: ब्लूमबर्ग।

घरेलू समष्टि-आर्थिक स्थिति


संवृद्धि

1.3 घरेलू स्तर पर 2014-15 की दूसरी तिमाही में गतिविधियां कमजोर रही हैं और संवृद्धि दर 5.3 प्रतिशत थी, तथा ये गतिविधियां तीसरी तिमाही में भी मंद रहने की संभावना है क्योंकि खरीफ की फसल ठीक-ठाक थी। वर्ष 2014-15 में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) में जो अस्थिरता पाई गई है उसने औद्योगिक विकास के समेकन के प्रति कई प्रश्न खड़े कर दिए हैं। पिछले चार वर्षों में 2014-15 में क्षमता का उपयोग¹ सबसे कम हुआ है (चार्ट 1.2), इसलिए जो महत्वपूर्ण नये निवेश किए गए हैं उनका परिणाम आने में अभी समय लगेगा। इसके अलावा, इस समय नये निवेशों के जो इरादे हैं, उनमें मामूली सी बढ़त ही दिखाई दे रही है (चार्ट 1.3)। भारतीय रिजर्व बैंक का 2014-15 के लिए जीडीपी का मौजूदा केंद्रीय आकलन 5.5 प्रतिशत है जिसमें 2015-16 में धीरे-धीरे वृद्धि पैदा होने की उम्मीद है।

मुद्रास्फीति


1.4 मुद्रास्फीति की ऊंची और लगातार ऊंची दर बनी रहने से मूल्यों के प्रति अनिश्चितता की प्रत्याशा बन गई है। फलस्वरूप, मुद्रास्फीति की ऊंची दर निवेश तथा उपभोग के निर्णयों पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है। इन हालात में, सीपीआई मुद्रास्फीति में एक वर्ष पहले की 11.2 प्रतिशत की दर में कमी हुई जो नवंबर 2014 में सहज होकर 4.4 प्रतिशत हो गई (चार्ट 1.4) जिससे भारत के समष्टि-आर्थिक परिदृश्य में अत्यधिक सुधार दिखाई देता है। भारतीय रिजर्व बैंक के हाल के अनुमान यह दर्शाते हैं कि सीपीआई मुद्रास्फीति अगले 12 महीने तक 6 प्रतिशत के आसपास रहने की उम्मीद है बशर्ते अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतें वर्तमान कीमत स्तर के निकट बनी रहें और अगले वर्ष मानसून सामान्य बना रहे।

चार्ट 1.2 : क्षमता का अनुप्रयोग




स्रोत: भा.रि.बैं. तिमाही आदेश बहियां, इन्वेंटरी तथा क्षमता के अनुप्रयोग का सर्वेक्षण।

चार्ट 1.3 : निजी कॉर्पोरेट निवेश का परिकल्पित आशय



स्रोत : भारतीय रिजर्व बैंक।


चार्ट 1.4 : उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति



स्रोत: एमओएसपीआई, भारत सरकार।

¹ रिजर्व बैंक की तिमाही आर्डर बुक, इन्वेंट्री और क्षमता उपयोग सर्वेक्षण के आंकड़ों पर आधारित।

चार्ट 1.5 : बैंक ऋण एवं जमा संग्रहण की प्रवृत्ति



स्रोत : डीबीआईई, भारतीय रिजर्व बैंक।

ऋण


1.5 पिछले दिनों में बैंक ऋण और जमा में वृद्धि अपेक्षाकृत कम रही है (चार्ट 1.5)। कृषि और संबद्ध कार्यकलापों को छोड़कर अन्य में ऋण में वृद्धि की गति धीमी रही है (चार्ट 1.6)। ऋण में कम वृद्धि कई बातों को दर्शाती है : निधियन के वैकल्पिक स्रोतों पर निर्भरता, तुलनपत्र की दुरुस्तगी और मांग में कमी तथा जोखिम न उठाने का रुझान। लेकिन, ऋण में तेजी आना मौजूदा हालात में जरूरी है क्योंकि सुधार के बाद की अवधि² में कारोबारी-चक्र को ऋण-चक्र द्वारा ही आगे बढ़ाया जा रहा है (चार्ट 1.7)। इसलिए, बैंकों से अपेक्षित है कि जैसे ही निवेश में तेजी आए वे ऋण की मांग को पूरा करने के लिए तैयार रहें।

गृहस्थ वित्तीय सेवाएं

1.6 वर्ष 2012-13 में सकल घरेलू बचत दर घटकर 30.1 प्रतिशत पर पहुंच गई थी जो पिछले नौ वर्षों की सबसे कम दर थी। इस कमी का काफी हद तक कारण यह था कि गृहस्थों की वित्तीय बचत दर घट गई थी (चार्ट 1.8) तथा पसंद बदल गई थी और वे भौतिक आस्तियों तथा मूल्यवान वस्तुओं को लेने लगे थे। लेकिन, वर्ष 2013-14 के लिए गृहस्थों की वित्तीय बचत की दर के प्रारंभिक अनुमानों से पता चलता है कि उसमें मामूली सी वृद्धि हुई है, जो काफी हद तक बैंक में जमा तथा छोटी बचत के रूप में हुई है। निवेश गतिविधियों के उत्थान के लिए वित्तीय बचत को बढ़ाया जाना आवश्यक है।

² 1992-93 के बाद


चार्ट 1.6 : प्रमुख क्षेत्रों द्वारा क्षेत्रवार ऋण अभिनियोजन में वृद्धि



टिप्पणी : आंकड़े अनंतिम हैं और सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के चुनिंदा बैंकों के कुल खाद्येतर ऋण के 95 प्रतिशत तक शामिल किया गया है।


स्रोत : डीबीआईई, भारतीय रिजर्व बैंक।

चार्ट 1.7: बिजनेस के साथ-साथ ऋण चक्र : बीपी फिल्टर (बारंबारता : 10-14 वर्ष)



स्रोत : भारतीय रिजर्व बैंक स्टाफ परिकलन।

चार्ट 1.8 : क्षेत्र-वार सकल घरेलू बचत एवं मूल्यवान वस्तुएं




स्रोत : भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित डाटाबेस।

बाह्य गतिविधियां

1.7 चालू खाता घाटा (सीएडी) में नियंत्रण, पूंजी के आने वाले प्रवाह में सुधार, विनिमय-दर में अपेक्षाकृत स्थिरता बनी रहने तथा विदेशी मुद्रा का पर्याप्त भंडार होने से बाहरी गतिविधियों से प्रभावित होने की संभावना कम हो गई है (चार्ट 1.9)। जहां पूरे विश्व में कच्चे तेल और वस्तुओं की कीमतों में गिरावट से सीएडी को संभालने में मदद मिलेगी, वहीं लगातार सावधानी बरतने की जरूरत है क्योंकि पूंजी का आने वाला प्रवाह अस्थिर हो सकता है।


1.8 वर्ष 2014 के दौरान भारत में विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (एफपीआई) काफी तीव्र था (चार्ट 1.10 ए और बी)। उनके ऋण में ब्याज की अत्यधिक कठोरता से घरेलू ऋण बाजार में अस्थिरता पैदा हो सकती है, बावजूद इसके कि भारतीय ऋण-पेपर पर एफपीआई के दीर्घकालिक प्रभाव को ध्यान में लिए जाने के कतिपय सबूत मिलते हैं। भारत में अमरीका आधारित एफपीआई की प्राथमिकता को देखते हुए (चार्ट 1.11 ए और बी), अमरीकी

चार्ट 1.9: बाह्य क्षेत्र में सुधार



स्रोत : डीबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक।


चार्ट 1.10: भारत में विदेशी पोर्टफोलियो निवेश



टिप्पणी: चार्ट 1.10 ख में दर्शाये गये आंकड़े अनंतिम हैं। घरेलू संरचनागत निवेश को डीआईआई कहलाता है। 11 दिसंबर 2014 तक का डाटा अद्यतन किया गया है।

स्रोत: ब्लूमबर्ग, एनएसडीएन, बीएसई।

चार्ट 1.11: मूल देश द्वारा विदेशी पोर्टफोलियो में निवेश (जून 2013 - अक्टूबर 2014 के बीच)



स्रोत : सेबी।

मौद्रिक नीति में अचानक बदलाव से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों चैनलों के माध्यम से एफपीआई प्रवाहों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।


वित्तीय बाज़ार

1.9 वर्ष 2014 के दौरान उभरते बाज़ार की अर्थव्यवस्थाओं(ईएमई) में पोर्टफोलियो आगम प्रवाह काफी तेज था (चार्ट 1.12)। भारतीय स्टॉक और रुपए का निष्पादन अन्य ईएमई की तुलना में काफी अच्छा था (चार्ट 1.13ए और बी) हालांकि भारतीय बाज़ार मई 2014 के बाद तेजी से आगे बढ़े हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि वे एमएससीआई आई और एस एंड पी 500 के आकर्षण का केंद्र अब बने हैं जिन्होंने काफी समय पहले ही उसमें सुधार को बेहतर बताना प्रारंभ किया है। समग्र समाष्टि-आर्थिक स्थितियों में सुधार, अपेक्षाकृत स्थिर विनिमय-दर, राजनीतिक स्थिरता की बहाली तथा विकास को बढ़ाने के लिए सुधार की प्रत्याशाओं ने भारत के पक्ष में अपेक्षाकृत अच्छे हालात पैदा कर लिए हैं और भारत में आस्तियों की मांग को अत्यधिक बढ़ावा मिला है। आगे की चुनौती संरचनागत सुधार के माध्यम से इन प्रत्याशाओं को पूरा करने की है।

सरकारी व्यय

1.10 संघीय बजट 2014-15 में यह लक्ष्य रखा गया है कि विकास की ऊंची दर प्राप्त की जाए, मुद्रास्फीति को कम रखते हुए समष्टि-आर्थिक स्थिरता बनाए रखी जाए, राजकोषीय घाटे को कम किया जाए तथा चालू खाता घाटे को नियंत्रित स्थिति में लाया जाए। वर्ष के पहले सात महीनों के बारे में उपलब्ध जानकारी से


चार्ट 1.12 : चुनिंदा उभरती बाज़ार अर्थव्यवस्थाओं में पोर्टफोलियो अंतर्वाह



नोट : 2014 की दूसरी तिमाही के आंकड़े अनुमानित हैं।

स्रोत : अंतरराष्ट्रीय वित्त संस्थान (आईआईएफ)।


चार्ट 1.13: स्टॉक बाज़ार तथा मुद्रा के उतार चढ़ाव



टिप्पणी: 12 दिसंबर 2014 तक का डाटा।

स्रोत: ब्लूमबर्ग।

चार्ट 1.14: सरकारी व्यय
(संचयी स्थिति: अप्रैल - अक्टूबर)



स्रोत : सीजीए, भारत सरकार।


पता चलता है कि बजट में जो अनुमान किया गया था उसके हिसाब से कुल व्यय पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में कम था, मुख्य रूप से योजना एवं योजना से इतर राजस्व व्यय में कमी रहने की वजह से (चार्ट 1.14)। वित्तीय वर्ष पहले सात महीनों में सब्सिडी पर हुआ व्यय घटकर बजट अनुमान का 70.8 प्रतिशत हो गया है (एक वर्ष पूर्व यह 78.4 प्रतिशत था)। गैर-योजनागत पूंजी व्यय अधिक होने के कारण कुल पूंजी व्यय 1.1 प्रतिशत अंक कम था।

1.11 लेकिन, बजट अनुमान के हिसाब से अप्रैल-अक्टूबर 2014-15 में कर राजस्व का प्रतिशत पिछले वर्ष की तुलना में कम था जो सभी प्रमुख करों के अधीन राजस्व कर की कम वसूली दर्शाता है। कर से इतर राजस्व भी बजट-अनुमान के प्रतिशत से कम था (चार्ट 1.15)। कम राजस्व जुटाए जाने का आंशिक कारण अभी भी आर्थिक गतिविधियों की मंदी रही है जो चिंता का बहुत बड़ा कारण है।

बंधक ऋण (मार्गेज डेट) - मूल्य/आय अनुपात के आकलन के लिए आवास मूल्य और ऋण


1.12 वर्ष 2014-15³ की पहली तिमाही के दौरान बहुत से शहरों में भवन मूल्यों में सुधार हुआ है। इसके अलावा, मूल्य की तुलना में ऋण के उच्च अनुपात में गिरावट आई (चार्ट 1.16) तथा आवास के लिए दिए जाने वाले उधार की तुलना में मूल्य का उच्च अनुपात भी अपेक्षाकृत कम⁴ रहा है। (चार्ट 1.17)। हालांकि, 2014-15 की पहली तिमाही में एलटीवी तथा एलटीआई के दिशात्मक परिवर्तन में वापसी देखी गई है।

चार्ट 1.15: सरकारी प्राप्तियां
(संचयी स्थिति: अप्रैल - अक्टूबर)




स्रोत : सीजीए, भारत सरकार।

चार्ट 1.16: मूल्य की तुलना में ऋण (एलटीवी) : नये आवास में ऋण हिस्सा



स्रोत : संपत्ति मूल्य निगरानी प्रणाली सर्वेक्षण, डीएसआईएम, भारतीय रिजर्व बैंक

चार्ट 1.17: मूल्य की तुलना में आय (एलटीआई) : नये आवास में ऋण हिस्सा



स्रोत : संपत्ति मूल्य निगरानी प्रणाली सर्वेक्षण, डीएसआईएम, भारतीय रिजर्व बैंक

³ राष्ट्रीय आवास बैंक डाटा पर आधारित (एनएचबी रेसिडेक्स)

⁴ आस्ति मूल्य निगरानी प्रणाली सर्वेक्षण, भारिबैं

1.13 विकास प्रक्रिया और रोजगार में आवास तथा बंधक-बाजार के विकास की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। सरकार की वर्ष 2022 तक सभी को आवास उपलब्ध कराने की वचनबद्धता की नीति को देखते हुए आवास क्षेत्र के अत्यधिक बढ़ने की बहुत ज्यादा संभावना है और साथ ही बंधक-बाजार के भी बढ़ने की। इस

संबंध में सेबी (भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड) ने हाल ही में सेबी (स्थावर-संपदा निवेश न्यास) विनियमावली, 2014 को अधिसूचित किया है (बॉक्स 1.1)। इस विनियमावली से भारत में स्थावर-संपदा क्षेत्र को विकसित करने में सहायता मिलेगी और इससे सभी हितधारकों को फायदा पहुंचेगा।

बॉक्स 1.1 : स्थावर-संपदा निवेश न्यास

स्थावर-संपदा निवेश न्यास की इकाइयां पूरे विश्व में प्रमुख एक्सचेंजों में अच्छे स्टॉक की बिक्री करती हैं और वे स्थावर-संपदा में या तो संपत्ति में या फिर मार्गेज में सीधे निवेश करती हैं। उन्हें कर में विशेष छूट दी गई है और वे निवेशकों को अलग प्रकार की उच्च आमद का प्रस्ताव पेश करती हैं, तथा स्थावर-संपदा में अधिक से अधिक निवेशकों की सहभागिता के लिए एक ढांचा प्रस्तुत करती हैं। स्थावर-संपदा निवेश न्यास की ज्यादातर कमाई को नियमित रूप से लाभांश के रूप में उसके शेयरधारकों में बांट दिया जाता है। यूरोपियन पब्लिक रीयल स्टेट एसोसिएशन (एपरा) के स्थावर-संपदा निवेश न्यास (आरईआईटी) के वैश्विक सर्वेक्षण 2014 के अनुसार पूरे विश्व में 37 देश ऐसे हैं जहां उक्त न्यास हैं या फिर 'आरईआईटी जैसी' विनियमावली लागू है। अलग-अलग देशों में आरईआईटी का ढांचा अलग-अलग है और ऐसे ढांचे लगातार बढ़ते जा रहे हैं।⁵ चूंकि आरईआईटी की एशिया में शुरुआत अभी वर्ष 2000 के प्रारंभ में हुई है, इसके बावजूद इसे पूरे महाद्वीप में अपना लिया गया है और इसका बाजार 140 बिलियन अमरीकी डालर से भी अधिक बढ़ गया है।⁶

आरईआईटी मुख्यतया तीन प्रकार की है: इक्विटी आरईआईटी, बंधक आरईआईटी और संकर (हाइब्रिड) आरईआईटी। इक्विटी-आरईआईटी संपत्ति में निवेश करती हैं और उसका स्वामित्व रखती हैं और उनका राजस्व मुख्य रूप से किराये से आता

है। बंधक आरईआईटी, स्थावर-संपदा तथा बंधक समर्थित प्रतिभूतियों में निवेश करती हैं और उन्हें राजस्व प्राथमिक रूप से ब्याज से होने वाली आय से प्राप्त होता है जो वे बंधक-ऋणों से कमाती हैं। संकर (हाइब्रिड) आरईआईटी, उक्त इक्विटी एवं बंधक दोनों आरईआईटी की निवेश रणनीतियों का संयुक्त रूप से इस्तेमाल करती हैं और संपत्ति तथा बंधक दोनों में निवेश करती हैं। किसी भी प्रकार के अन्य निवेश की तरह, आरईआईटी के निवेशों में भी अपने प्रकार के जोखिम होते हैं। बंधक-आरईआईटी (एमआरईआईटी) स्थावर-संपदा के मालिकों को धन उधार देती हैं और बंधक समर्थित प्रतिभूतियों (अधिकांशतः एजेंसी समर्थित) को खरीदती हैं और उनके कारोबार का मॉडल ऐसे अन्य जोखिमों पर आधारित रहता है जो बाजार को काफी हद तक हिला सकता है। उनमें से कुछ जोखिम इस प्रकार हैं: (क) निधीयन (फंडिंग) और चलनिधि जोखिम, (ख) पुनर्वित्त और रोल-ओवर जोखिम, (ग) परिपक्वता अवधि बेमेल होने का जोखिम, (घ) अभिसारिता जोखिम, संकेंद्रण और सहसंबंध जोखिम, (ङ) बाजारगत जोखिम। ये सब जोखिम आपस में जुड़े हुए हैं और इन जोखिमों के पैदा हो जाने से स्थिति भयावह हो सकती है। लेकिन, भारत में वर्तमान आरईआईटी विनियम में एमआरईआईटी का प्रावधान नहीं है और उसका लक्ष्य है कि स्थावर-संपदा क्षेत्र को तेजी से विकसित किया जाए।

⁵ यूरोपियन पब्लिक रीयल स्टेट एसोसिएशन (<http://www.epra.com/regulation-and-reporting/taxation/reit-survey/>)।

⁶ के. अटचिसोन एंड वीएस येउंग (2014), "एशियाई अर्थव्यवस्थाओं पर आरईआईटी का प्रभाव," एशियन पैसिफिक रीयलस्टेट एसोसिएशन लिमि., अप्रैल (<http://www.aprea.asia/file/The%20Impact%20of%20REITs%20on%20Asian%20Economies.pdf>)।

अध्याय II

वित्तीय संस्थाएं : गतिविधियां एवं स्थिरता

2013-14 के दौरान भारतीय बैंकिंग क्षेत्र की वृद्धि में और अधिक गिरावट आई। बैंकों के बकाया ऋणों के लिए प्रावधानीकरण के उच्च स्तर तथा ऋण की मंद वृद्धि होने के कारण लाभप्रदता में कमी आई। शहरी एवं ग्रामीण सहकारी बैंकों के वित्तीय हालात तथा सुदृढ़ता से प्रमुख सूचकों की भिन्न-भिन्न प्रवृत्तियों का पता चलता है। शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) ने बेहतर प्रदर्शन किया किंतु प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पीएसीएस) तथा दीर्घावधि ग्रामीण ऋण समितियों का कार्य निष्पादन उनकी हानियों के साथ ही आस्ति गुणवत्ता में गिरावट होने के कारण चिंता का विषय बना हुआ है। जमा स्वीकार नहीं करने वाली-गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां जो प्रणालीगत दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, की आस्तियों के आकार में वृद्धि देखी गई किंतु, समीक्षा अवधि में उनकी आस्ति गुणवत्ता में और अधिक गिरावट आ गई है।

बैंकिंग स्थिरता सूचक से पता चलता है कि 2014-15 की पहली छमाही के दौरान बैंकिंग क्षेत्र पर समग्र जोखिम अपरिवर्तित रहा। व्यक्तिशः आयामों के अंतर्गत, प्रणाली में चलनिधि की स्थिति में सुधार हुआ है किंतु सुदृढ़ता में कमी होने के साथ ही आस्ति गुणवत्ता में और अधिक गिरावट होने के कारण चिंताएं बनी हुई हैं। सूचक के लाभप्रदता आयाम में सुधार का पता चलता है किंतु यह अभी भी धीमा बना हुआ है। दबाव परीक्षण से पता चलता है कि समष्टि आर्थिक परिस्थितियों में संभावित सकारात्मक गतिविधियों के तहत बैंकों की आस्ति गुणवत्ता में आने वाले समय में सुधार हो सकता है और बैंक अपने वर्तमान प्रावधानीकरण के स्तर के साथ संभावित हानियों को पूरा करने की स्थिति में हो सकते हैं। हालांकि, यदि समष्टि आर्थिक परिस्थितियां बहुत अधिक खराब हो जाएं तो अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) की आस्ति गुणवत्ता में वर्तमान स्तर से और गिरावट आ सकती है और बैंक, प्रतिकूल समष्टि आर्थिक जोखिम परिदृश्यों के अंतर्गत पर्याप्त प्रावधानीकरण के रूप में प्रत्याशित हानियों को पूरा कर पाने में पीछे रह सकते हैं।

परस्पर संबद्धता के विश्लेषण से पता चलता है कि कुल बैंकिंग क्षेत्र की आस्तियों की तुलना में अंतर-बैंक बाजार का आकार धीरे-धीरे कम होता जा रहा है। किंतु, पाँच अत्यधिक संबद्ध बैंकों के संक्रामक विश्लेषण से ज्ञात होता है कि यदि कोई एक बैंक संक्रामकता का शिकार होता है तो संयुक्त ऋण-शोधन-चलनिधि स्थिति के अंतर्गत बैंकिंग प्रणाली अपनी टियर-I पूंजी को काफी हद तक गंवा सकती है।

2.1 ऋण के लिए सुस्त मांग तथा आस्ति गुणवत्ता की चिंता के चलते भारतीय बैंकिंग क्षेत्र ने 2013-14 में अपेक्षाकृत कम वृद्धि तथा लाभप्रदता में झुकाव का अनुभव किया। अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (एससीबी) ने तुलन-पत्र वृद्धि में कमी तथा निवल लाभों में गिरावट दर्शायी जबकि अन्य बैंकिंग संस्थानों के बीच प्रवृत्तियां भिन्न रहीं। प्राथमिक कृषि ऋण सोसायटियों (पीएसी) को छोड़कर शहरी सहकारी बैंकों तथा अल्पावधि ग्रामीण ऋण सहकारी संस्थाओं ने वृद्धि तथा स्वास्थ्य में भी सुधार दर्शाया। तथापि, दीर्घावधि क्रेडिट सहकारी संस्थाएं बैंकिंग क्षेत्र के भीतर एक कमजोर बिंदु बनी रहीं।

2.2 इस रिपोर्ट में प्रयुक्त डाटा 31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष के लिए बैंकों के लेखापरीक्षित खातों पर आधारित हैं तथा विश्लेषण के लिए 30 सितंबर 2014 तक की पर्यवेक्षी विवरणियों का प्रयोग किया गया है। वार्षिक खातों में बैंकों के विदेशी परिचालन शामिल हैं जबकि पर्यवेक्षी विवरणियों ने केवल उनके देशी परिचालन कवर किए हैं। तुलन-पत्रों पर विस्तृत डाटा तथा अनुसूचित वाणिज्य

बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, स्थानीय क्षेत्र बैंकों, शहरी सहकारी बैंकों तथा ग्रामीण ऋण सहकारी समितियों के आय और व्यय (www.rbi.org.in) पर 'भारत में बैंकों से संबंधित सांख्यिकी सारणियां - 2013-14 में उपलब्ध हैं।

अनुसूचित वाणिज्य बैंक

2.3 इस खंड में अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के (i) 2013-14 के दौरान उनके देशी तथा विदेशी परिचालनों को शामिल करते हुए समेकित परिचालन (उनके लेखा-परीक्षित खातों के माध्यम से रिपोर्ट किए गए) तथा (ii) 2014-15 की प्रथम छमाही के दौरान घरेलू परिचालन (पर्यवेक्षी विवरणियों पर आधारित) स्वास्थ्य तथा कार्य-निष्पादन पर चर्चा की गई है।

कार्य-निष्पादन

समेकित परिचालन

2.4 अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के समेकित तुलन-पत्र ने 2013-14 में कुल आस्तियों, और ऋण में वृद्धि में लगातार चौथे

वर्ष भी गिरावट दर्ज की (चार्ट 2.1)। इस गिरावट का श्रेय विभिन्न कारकों को जाता है जो धीमी आर्थिक वृद्धि से लेकर, डीलिवरेजिंग, आस्ति गुणवत्ता पर सतत दबाव जिससे बैंकों के बीच जोखिम विमुखता बढ़ती है तथा कार्पोरेट द्वारा गैर-बैंकिंग वित्त जिसमें वाणिज्यिक पत्र और बाह्य (वाणिज्यिक) उधार शामिल है, पर बढ़ती निर्भरता है।


2.5 ऋण तथा जमा दोनों की वृद्धि कमोबेश समान रही है, इसलिए समग्र स्तर पर बकाया ऋण-जमा (सी-डी) अनुपात लगभग 79 प्रतिशत पर अपरिवर्तित था (चार्ट 2.2)।

घरेलू परिचालन

ऋण और जमा वृद्धि


2.6 वर्ष-दर-वर्ष आधार पर ऋण वृद्धि में सतत गिरावट रही तथा सितंबर 2014 के अंत तक 10.0 प्रतिशत की न्यूनतम वृद्धि दर्ज की गई और साथ ही सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने दूसरों के मुकाबले 7.9 प्रतिशत के साथ निम्नतर निष्पादन दर्ज किया। जमा वृद्धि में भी सितंबर 2014 तक 12.9 प्रतिशत की गिरावट आई जबकि मार्च 2014 तक यह 13.7 प्रतिशत थी (चार्ट 2.3)।

चार्ट 2.1 : आस्ति, ऋण और जमा वृद्धि




स्रोत : बैंकों के वार्षिक खाते

चार्ट 2.2 : बकाया सी-डी अनुपात में प्रवृत्तियां : बैंक-समूह वार



स्रोत : बैंकों के वार्षिक खाते

चार्ट 2.3 : ऋण और जमा वृद्धियां - वर्षानुवर्ष आधार पर



स्रोत : आरबीआई पर्यवेक्षी विवरणियां

सुदृढ़ता

पूंजी पर्याप्तता

2.7 अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की कुल पूंजी और जोखिम भारित आस्तियों (आरडब्ल्यूए) में मार्च और सितंबर 2014 के बीच क्रमशः 1.9 प्रतिशत, 4.1 प्रतिशत वृद्धि हुई जिसके फलस्वरूप जोखिम भारित आस्तियों के अनुपात की तुलना में पूंजी (सीआरएआर) 13.0 प्रतिशत से कम होकर 12.8 प्रतिशत हो गई (चार्ट 2.4)।

लीवरेज


2.8 सितंबर 2014 में टियर I लिवरेज अनुपात¹ 6.2 प्रतिशत था। सरकारी क्षेत्र के बैंकों के मामले में यह मार्च 2014 के 5.1 प्रतिशत से मामूली रूप से बढ़कर सितंबर 2014 में 5.2 प्रतिशत हो गया (चार्ट 2.5)।

आस्ति गुणवत्ता

2.9 कुल सकल अग्रिमों की तुलना में एससीबी के सकल अनर्जक अग्रिमों (जीएनपीए) के प्रतिशत में सितंबर 2014 में 4.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि यह मार्च 2014 में 4.1 प्रतिशत था। कुल निवल अग्रिमों की तुलना में निवल अनर्जक अग्रिमों (एनएनपीए) के प्रतिशत में भी सितंबर 2014 में 2.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि यह मार्च 2014 में 2.2 प्रतिशत था। दबावग्रस्त अग्रिम² कुल अग्रिमों के प्रतिशत की तुलना में मार्च और सितंबर 2014 के बीच 10.0 प्रतिशत से 10.7 प्रतिशत बढ़ गया। सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने सितंबर 2014 में उनके कुल अग्रिमों में 12.9 प्रतिशत के उच्चतम स्तर के दबावग्रस्त अग्रिम दर्ज किया गया जिसके बाद निजी क्षेत्र के बैंक 4.4 प्रतिशत पर रहे (चार्ट 2.6)।


2.10 अधिक सूक्ष्म स्तर पर, 46 एससीबी (एससीबी के कुल ऋण पोर्टफोलियो का लगभग 88 प्रतिशत का हिसाब लेते हुए) के मामले में मार्च और सितंबर 2014 के बीच कुल दबावग्रस्त अग्रिमों

चार्ट 2.4 : पूंजी पर्याप्तता - सीआरएआर




स्रोत : आरबीआई पर्यवेक्षी विवरणियां

चार्ट 2.5 : एससीबी का लिवरेज अनुपात



स्रोत : आरबीआई पर्यवेक्षी विवरणियां

चार्ट 2.6 : अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की आस्ति गुणवत्ता



स्रोत : आरबीआई पर्यवेक्षी विवरणियां

¹ टियर I लिवरेज अनुपात को कुल आस्तियों की तुलना में टियर I पूंजी अनुपात के रूप में परिभाषित किया गया है।

² आस्ति गुणवत्ता का विश्लेषण करने हेतु दबावग्रस्त अग्रिमों को जीएनपीए तथा पुनर्चित मानक अग्रिम के रूप में परिभाषित किया गया है।

के हिस्से में वृद्धि हुई (सारणी 2.1)। 20 बैंक ऐसे हैं जिनका एससीबी के कुल दबावग्रस्त अग्रिमों में शेयर एससीबी के कुल दबावग्रस्त अग्रिमों में उनके शेयर की तुलना में अधिक है। इन 20 बैंकों के पास समग्र रूप से एससीबी के कुल ऋण का 43 प्रतिशत है तथा बैंकिंग प्रणाली का कुल दबावग्रस्त अग्रिम में उनका लगभग 60 प्रतिशत का योगदान है।

2.11 पांच उप-खंड यथा 'मूलभूत सुविधाएं', 'लोहा और इस्पात', 'कपड़ा', 'खनन (कोयला सहित)' तथा 'विमानन' है जिनमें मुख्यतः उच्चतर स्तर की दबावग्रस्त आस्तियां थीं और पिछली एफएसआर में इन उप-खंडों को 'दबावग्रस्त' क्षेत्र के रूप में पहचाना गया था। जून 2014 के अंत की स्थिति के अनुसार इन पांच उप-खंडों के पास सभी एससीबी के कुल दबावग्रस्त अग्रिमों का 52 प्रतिशत था जबकि सरकारी क्षेत्र के बैंकों के मामले में यह 54 प्रतिशत था (सारणी 2.2.)।

2.12 सितंबर 2014 तक मूलभूत सुविधा क्षेत्र के एक्सपोजर से संबंधित डाटा से ज्ञात होता है कि इस क्षेत्र में अनुसूचित वाणिज्य बैंकों का एक्सपोजर उनके कुल ऋण की तुलना में 15.6 प्रतिशत और बढ़ गया है। ऊर्जा खंड जिसमें मुख्य रूप से बिजली, तेल, गैस शामिल है का एक्सपोजर, मूलभूत सुविधा क्षेत्रों के प्रति बैंक के समग्र एक्सपोजर का प्रमुख भाग (लगभग 58 प्रतिशत) तथा उसके बाद परिवहन (लगभग 21 प्रतिशत) तथा दूरसंचार (लगभग 10 प्रतिशत) है। बैंक समूहों के बीच सितंबर 2014 के अंत की स्थिति के अनुसार मूलभूत सुविधा में

सारणी 2.1 : मार्च-सितंबर 2014 के दौरान दबावग्रस्त अग्रिम अनुपात में परिवर्तन

	बैंकों की संख्या	सभी एससीबी के कुल अग्रिमों में शेयर (प्रतिशत में)
दबावग्रस्त अग्रिम अनुपात में वृद्धि	46	88.2
दबावग्रस्त अग्रिम अनुपात में गिरावट	25	5.9
दबावग्रस्त अग्रिम अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं	18	5.9
जोड़	89	100.0

स्रोत : आरबीआई पर्यवेक्षी विवरणियां

सारणी 2.2 : कुल ऋण पोर्टफोलियो में दबावग्रस्त अग्रिमों का हिस्सा

प्रतिशत

उप खंड		सभी एससीबी			पीएसबी		
		मार्च 13	मार्च 14	जून 14	मार्च 13	मार्च 14	जून 14
खनन	एससीबी के कुल अग्रिम में शेयर	0.7	0.6	0.6	0.8	0.7	0.7
	एससीबी के कुल दबावग्रस्त अग्रिमों में शेयर	0.6	0.9	0.9	0.6	0.8	0.8
लोहा और इस्पात	एससीबी के कुल अग्रिम में शेयर	4.9	4.8	4.8	5.7	5.5	5.6
	एससीबी के कुल दबावग्रस्त अग्रिमों में शेयर	8.2	10.8	10.2	8.7	11.2	10.6
टेक्सटाइल	एससीबी के कुल अग्रिम में शेयर	3.7	3.5	3.5	4.1	4.0	4.0
	एससीबी के कुल दबावग्रस्त अग्रिमों में शेयर	7.5	7.7	7.2	7.5	7.8	7.4
मूलभूत सुविधाएं	एससीबी के कुल अग्रिम में शेयर	14.6	14.4	14.8	16.8	16.5	17.1
	एससीबी के कुल दबावग्रस्त अग्रिमों में शेयर	28.8	29.4	30.7	29.5	30.2	31.9
विमानन	एससीबी के कुल अग्रिम में शेयर	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.7
	एससीबी के कुल दबावग्रस्त अग्रिमों में शेयर	3.9	3.3	3.1	4.3	3.6	3.4
जोड़	एससीबी के कुल अग्रिम में शेयर	24.4	23.9	24.2	28.0	27.2	28.0
	एससीबी के कुल दबावग्रस्त अग्रिमों में शेयर	48.9	52.0	52.0	50.5	53.7	54.0

स्रोत : आरबीआई पर्यवेक्षी विवरणियां

सरकारी क्षेत्र के बैंकों का एक्सपोजर उनके सकल अग्रियों का 17.5 प्रतिशत था जोकि निजी क्षेत्र के बैंकों (9.6 प्रतिशत पर) तथा विदेशी बैंकों (12.1 प्रतिशत पर) से उल्लेखनीय रूप से अधिक था।

लाभप्रदता

समेकित परिचालन

2.13 2013-14 के दौरान, अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (एससीबी) के निवल लाभ में वृद्धि जो 2011-12 से गिरती प्रवृत्ति की रही है वह 2013-14 में नकारात्मक हो गई। समस्त अनुसूचित वाणिज्य बैंकों का निवल लाभ लगभग 809 बिलियन रुपए था जिससे ज्ञात होता है कि पिछले वर्ष की तुलना में 11.3 प्रतिशत की कमी हुई है। निवल लाभ में गिरावट मुख्यतः बैंक के विलंबित ऋणों पर अधिक प्रावधानीकरण के कारण हुई जिससे वर्ष के दौरान लगभग 12 प्रतिशत ब्याज व्यय में वृद्धि के साथ-साथ लगभग 34 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। परिणामस्वरूप उनका आस्तियों पर प्रतिलाभ (आरओए) तथा इक्विटी पर प्रतिलाभ (आरओई) (सारणी 2.3) प्रभावित हुआ। उनके स्प्रेड तथा निवल ब्याज मार्जिन (एनआईएम) में भी गिरावट दिखाई दी (चार्ट 2.7)।

घरेलू परिचालन


2.14 वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान कर पश्चात लाभ (पीएटी) के संकुचन के बाद एससीबी ने प्रावधानीकरण तथा बट्टे खाते डालने में उल्लेखनीय निम्नतर वृद्धि के कारण सितंबर 2014 में पीएटी में 10.0 प्रतिशत की सकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई। सितंबर 2014 के अंत की स्थिति के अनुसार सभी एससीबी की आस्तियों पर प्रतिलाभ (आरओए) 0.8 प्रतिशत पर स्थिर रहा जबकि एससीबी की इक्विटी पर प्रतिलाभ (आरओई) में सितंबर 2014 के अंत की स्थिति के अनुसार 9.9 प्रतिशत का सुधार रहा जबकि यह मार्च 2014 की स्थिति के अनुसार 9.5 प्रतिशत था (सारणी 2.4)।

सारणी 2.3 : अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (एससीबी) की आस्तियों तथा इक्विटी पर प्रतिलाभ - बैंक समूह-वार (प्रतिशत)

क्रम सं.	बैंक समूह/वर्ष	आस्तियों पर प्रतिलाभ		इक्विटी पर प्रतिलाभ	
		2012-13	2013-14	2012-13	2013-14
1	सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक	0.80	0.50	13.24	8.47
2	निजी क्षेत्र के बैंक	1.63	1.65	16.46	16.22
3	विदेशी बैंक	1.92	1.57	11.53	9.02
	सभी एससीबी	1.04	0.81	13.84	10.68

टिप्पणियां : आस्तियों पर प्रतिलाभ = निवल लाभ / औसत कुल आस्तियां
इक्विटी पर प्रतिलाभ = निवल लाभ / औसत कुल इक्विटी
स्रोत : संबंधित बैंकों के वार्षिक लेखा

चार्ट 2.7 : स्प्रेड / एनआईएम में प्रवृत्तियां



टिप्पणियां : निधि की लागत = (आईपीडी + आईपीबी) / (जमाराशि + उधार)
निधि पर प्रतिलाभ = (आईईए + आईआईई) / (अग्रिम + निवेश)
निवल ब्याज मार्जिन = निवल ब्याज आय / कुल आस्तियां
स्प्रेड = प्रतिलाभ और निधि की लागत के बीच का अंतर जहां:
आईपीडी = जमाराशियों पर प्रदत्त ब्याज
आईपीबी = आरबीआई एवं अन्य एजेसियों से लिए गए उधार पर प्रदत्त ब्याज
आईईए = अग्रियों और बिलों पर अर्जित ब्याज
आईआईई = निवेश पर अर्जित ब्याज
स्रोत : बैंकों का वार्षिक लेखा

सारणी 2.4 : एससीबी की लाभप्रदता

(प्रतिशत)

	आस्तियों पर प्रतिलाभ	इक्विटी पर प्रतिलाभ	पीएटी वृद्धि	प्रावधानीकरण एवं कर वृद्धि पूर्व अर्जन	निवल ब्याज आय - वृद्धि	अन्य परिचालगत आय - वृद्धि
सितं-11	1.0	12.4	6.3	11.2	16.8	4.1
मार्च-12	1.1	13.4	14.6	15.3	15.8	7.4
सितं-12	1.1	13.2	24.5	13.2	12.9	12.4
मार्च-13	1.0	12.9	12.9	9.9	10.8	14.4
सितं-13	0.8	10.2	-9.7	12.8	11.6	30.5
मार्च-14	0.8	9.5	-14.1	9.5	11.7	16.6
सितं-14	0.8	9.9	10.0	7.0	9.7	4.3

टिप्पणी : आस्तियों पर प्रतिलाभ तथा इक्विटी पर प्रतिलाभ वार्षिकीकृत आंकड़े हैं जबकि वृद्धियों की गणना वर्ष-दर-वर्ष आधार पर की गई हैं।
स्रोत : भा.रि.बैंक की पर्यवेक्षी विवरणियां।

जोखिम

2.15 बैंकिंग स्थिरता संकेतक (बीएसआई)³ के अनुसार बैंकिंग क्षेत्र के जोखिम में, पिछले एफएसआर⁴ के प्रकाशन के बाद अब तक ज्यादा परिवर्तन नहीं हुआ है। बीएसआई ने पिछले क्रतिपय वर्षों में बैंकिंग क्षेत्र में संवेदनशीलता में लगातार वृद्धि दर्शायी। जोखिमों में वृद्धि करने वाले घटकों को उनकी अंशधारिता के क्रम में इस प्रकार रखा जा सकता है : चलनिधि, लाभ प्रदता, सुदृढ़ता और आस्ति गुणवत्ता। हालांकि, मार्च और सितंबर 2014 के दौरान प्रणाली में चलनिधि स्थिति में सुधार हुआ है, लेकिन आस्ति गुणवत्ता तथा सुदृढ़ता में और कमी हुई है जोकि चिंता का विषय बना हुआ है। लाभप्रदता में सुधार रहा लेकिन सुस्त रहा (चार्ट 2.8 और 2.9)।

दबाव परीक्षण

समष्टि दबाव परीक्षण - ऋण जोखिम

2.16 समष्टि आर्थिक आघातों के विरुद्ध भारतीय बैंकिंग प्रणाली के लचीलेपन की जांच ऋण जोखिम हेतु क्रमबद्ध समष्टि दबाव परीक्षणों के माध्यम से प्रणाली, बैंक समूह तथा सेक्टरवार स्तर पर की गई। इन परीक्षणों में कल्पित जोखिम परिदृश्य सम्मिलित है जिससे एक बेसलाइन तथा मध्यम और भारी जोखिम को दर्शाते हुए दो प्रतिकूल समष्टि आर्थिक परिदृश्य को समाविष्ट किया गया है (सारणी 2.5)। प्रतिकूल परिदृश्य, मध्यम जोखिम के

सारणी 2.5 : समष्टि आर्थिक परिदृश्य धारणाएं⁷

(प्रतिशत)

वित्त वर्ष		आधार रेखा	मध्यम दबाव	अति दबाव
2014-15*	वास्तविक जीडीपी वृद्धि	5.5	4.0	2.6
	सकल राजकोषीय घाटा	4.1	4.9	5.7
	सीपीआई (संयुक्त) मुद्रास्फीति	7.4	8.9	10.4
	भारित औसत उधार दर	12.1	12.6	13.0
	जीडीपी अनुपात की तुलना में पण्य निर्यात ⁸	15.5	14.3	13.1
2015-16	वास्तविक जीडीपी वृद्धि	6.3	4.1	2.1
	सकल राजकोषीय घाटा	3.6	4.8	6.0
	सीपीआई (संयुक्त) मुद्रास्फीति	7.2	9.5	11.6
	भारित औसत उधार दर	12.1	12.8	13.5
	जीडीपी अनुपात की तुलना में पण्य निर्यात	16.5	14.7	13.0

* वित्तीय वर्ष : 2014-15 की पिछली दो तिमाहियों के लिए औसत संख्या।

³ विस्तृत कार्य-प्रणाली तथा विभिन्न बीएसआई आयामों के अंतर्गत प्रयुक्त मूल संकेतक अनुबंध 2 में दिए गए हैं।

⁴ एफएसआर, जून 2014 (मार्च 2014 के अंत के डाटा के संदर्भ में)


⁵ सीआरएआर, टिअर -II पूंजी की तुलना में टिअर -I पूंजी तथा लीवरेज अनुपात के आधार पर सुदृढ़ता मापी गई।

⁶ घरेलू परिचालन को शामिल करते हुए अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के पर्यवेक्षी डाटा के आधार पर।

⁷ ये दबाव परिदृश्य कल्पित- अति प्रतिकूल आर्थिक परिस्थितियों के चलते अभावग्रस्त एवं रूढ़िवादी आकलन है और इसे पूर्वानुमान अथवा प्रत्याशित परिणाम के रूप में न माना जाए।

⁸ एससीबी की आस्ति गुणवत्ता पर आरईआईआर के माध्यम से विनिमय दर के प्रभाव को भी शामिल किया गया है। यह प्रभाव बहुत ही कम रहा। ब्यौरा अनुबंध 2 में दिया गया है।


चार्ट 2.8 : बैंकिंग स्थिरता संकेतक



टिप्पणी : सूचक मूल्य में वृद्धि से कम स्थिरता का पता चलता है। प्रत्येक आयाम की चौड़ाई जोखिम के प्रति अपने योगदान को दर्शाती है।

स्रोत : आरबीआई पर्यवेक्षी विवरणियां⁶ तथा स्टाफ का आकलन

चार्ट 2.9 : बैंकिंग स्थिरता मानचित्र



टिप्पणी : केंद्र बिंदु से दूरी जोखिम में बढ़ोत्तरी दर्शाता है।

स्रोत : आरबीआई पर्यवेक्षी विवरणियां तथा स्टाफ का आकलन

लिए 1 मानक विचलन (एसडी) तक तथा भारी जोखिम के लिए 1.25 से 2 मानक विचलन के आधार पर प्राप्त किए गए (10 वर्ष का ऐतिहासिक डाटा)।

प्रणाली स्तरीय ऋण जोखिम


2.17 ऋण जोखिम हेतु समष्टि दबाव परीक्षण से यह पता चलता है कि आधार-रेखा परिदृश्य जो अगले वित्तीय वर्ष के दौरान समग्र समष्टि आर्थिक परिदृश्यों में सुधार की उम्मीद रखता है, के अंतर्गत सभी एससीबी के जीएनपीए अनुपात जो सितंबर 2014 के अंत तक 4.5 प्रतिशत था, वह घटकर मार्च 2016 तक 4.0 प्रतिशत हो जाने की संभावना है। तथापि, यदि समष्टि आर्थिक परिस्थितियां बिगड़ती हैं तो जीएनपीए अनुपात

में शायद और वृद्धि हो सकती है तथा एक विकट दबाव परिदृश्य के चलते यह मार्च 2016 तक लगभग 6.3 प्रतिशत तक पहुँच सकता है। ऐसे विकट दबाव परिदृश्य के अंतर्गत एससीबी के प्रणाली स्तरीय सीआरएआर मार्च 2016 तक 9.8 प्रतिशत तक घट सकता है जो कि सितंबर 2014 में 12.8 प्रतिशत था (चार्ट 2.10)।

बैंक समूह स्तरीय ऋण जोखिम

2.18 बेहतर समष्टि आर्थिक परिस्थितियों के कल्पित आधार-रेखा परिदृश्य के अंतर्गत सरकारी क्षेत्र के बैंकों की आस्ति गुणवत्ता में सुधार की गुंजाइश है लेकिन वे बैंक-समूहों के बीच उच्चतम जीएनपीए अनुपात रखना कायम रखेंगे (चार्ट 2.11)।


चार्ट 2.10 : एससीबी के प्रणालीगत स्तर पर जीएनपीए तथा सीआरएआर का अनुमान (विभिन्न परिदृश्यों के अंतर्गत)



टिप्पणी : प्रणालीगत स्तर के जीएनपीए का अनुमान तीन अलग-अलग किंतु पूरक अर्थमतिक मॉडलों का प्रयोग करते हुए किया गया है : मल्टीवेरिएट रिगेशन, वेक्टर आटोरिग्रेसिव (जिसमें, समष्टि चरों की ऋण गुणवत्ता पर प्रतिक्रिया के प्रभाव तथा संपर्क प्रभाव को ध्यान में रखा जाता है) एवं क्वांटाइल रिगेशन (जो पुच्छ टेल जोखिम का समाना कर सकता है तथा समष्टिआर्थिक आघातों के अरैखिक प्रभावों को ध्यान में रख सकता है)। तीनों मॉडलों का औसत जीएनपीए यहां दिया गया है।

स्रोत : आरबीआई पर्यवेक्षी विवरणियां तथा स्टाफ का आकलन

चार्ट 2.11 : बैंक समूह-वार जीएनपीए एवं सीआरएआर के अनुमान (विभिन्न परिदृश्यों के अंतर्गत)



टिप्पणी : बैंक समूह-वार जीएनपीए का अनुमान दो अलग-अलग किंतु पूरक अर्थमतिक मॉडलों का प्रयोग करते हुए किया गया है : मल्टीवेरिएट रिगेशन तथा वेक्टर आटोरिग्रेसिव। दोनों मॉडलों का औसत जीएनपीए यहां दिया गया है।

स्रोत : आरबीआई पर्यवेक्षी विवरणियां तथा स्टाफ का आकलन।

2.19 अति दबाव परिदृश्य के चलते पीएसबी मार्च 2016 तक लगभग 9.2 प्रतिशत न्यूनतम सीआरएआर (सितंबर 2014 में यह 11.3 प्रतिशत था) दर्ज कर सकता है जोकि 9 प्रतिशत के न्यूनतम नियामक पूंजीगत अपेक्षा के करीब है (चार्ट 2.12)।


क्षेत्रवार ऋण जोखिम

2.20 क्षेत्रवार ऋण जोखिम की एक समष्टि दबाव परीक्षण से यह पता चलता है कि अति दबाव परिदृश्य के चलते चयनित सात क्षेत्रों के बीच इंजीनियरिंग क्षेत्र से मार्च 2016 तक 12.0 प्रतिशत की उच्चतम एनपीए अनुपात दर्ज करने की अपेक्षा है और उसके बाद सीमेंट क्षेत्र (10.6 प्रतिशत) आता है (चार्ट 2.12)।

ऋण जोखिम हेतु हानियों⁹ का आकलन : प्रावधानीकरण एवं पूंजी पर्याप्तता


2.21 आस्ति गुणवत्ता में चिरकालिक कमी के कारण, एससीबी की अपेक्षित हानि (ईएल) बढ़ रही है लेकिन यदि समष्टि आर्थिक परिस्थितियों में कल्पित सुधार होता है तो 2015-16 की दूसरी छमाही में इसमें कमी आ सकती है। विभिन्न बैंक समूहों - सरकारी क्षेत्र के बैंकों, निजी क्षेत्र के बैंकों तथा विदेशी बैंकों का वर्तमान प्रावधानीकरण¹⁰ स्तर उनके क्रमशः कुल अग्रिमों के अनुपात में सितंबर 2014 के अंत में 3.2 प्रतिशत, 1.9 प्रतिशत तथा 3.9 प्रतिशत है। बैंक समूहों के बीच सरकारी क्षेत्र के बैंकों, जिनकी उच्चतम अपेक्षित हानि सितंबर 2014 में उनके कुल अग्रिमों का 3.2 प्रतिशत थी, यदि वे आधार-रेखा परिदृश्य के अंतर्गत अपेक्षित हानियों को पूरा कर भी लें तो भी वे प्रतिकूल समष्टि आर्थिक जोखिम परिदृश्यों¹¹ के चलते अपेक्षित हानियों को पूरा करने हेतु पर्याप्त प्रावधानीकरण करने के मामले में पीछे रहेंगे (चार्ट 2.13)।

चार्ट 2.12 : अनुमानित क्षेत्रगत जीएनपीए (विभिन्न परिदृश्यों के अंतर्गत)



स्रोत : आरबीआई पर्यवेक्षी विवरणियां तथा स्टाफ का आकलन

चार्ट 2.13: संभावित हानियां : बैंक समूह-वार



स्रोत : आरबीआई पर्यवेक्षी विवरणियां तथा स्टाफ का आकलन

⁹ अनुमानित हानि के लिए अपनाई गई कार्य-प्रणाली अनुबंध 2 में दी गई हैं। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अगले एक वर्ष के लिए प्रावधान और पूंजी जुटाने के उद्देश्य से अनुमानित हानि दृष्टिकोण (ईएल और यूएल) का प्रयोग करने की सिफारिश की गई है। इस उद्देश्य के लिए पीडी की गणना वार्षिक रिसाव के आधार पर की गई है। चूंकि इस अध्ययन का उद्देश्य एससीबी द्वारा अनुरक्षित प्रावधानीकरण और पूंजी की पर्याप्तता और अगले एक वर्ष में किए जाने वाले प्रावधान और पूंजी के अपेक्षित स्तर का अनुमान न लगाने का मूल्यांकन करना है, इसलिए यहां पर प्रयुक्त पीडी जीएनपीए पर आधारित है।


¹⁰ प्रावधानों में ऋण हानियों हेतु प्रावधान, मानक अग्रिमों के लिए जोखिम प्रावधान तथा पुनर्चित मानक अग्रिमों के लिए प्रावधान शामिल है।

¹¹ दबाव परिदृश्य सारणी 2.5 में समष्टि दबाव परीक्षण के अंतर्गत परिभाषित किए गए हैं।

2.22 गंभीर समष्टि आर्थिक दबाव परिस्थितियों के बावजूद भी विभिन्न बैंक समूहों के ऋण जोखिम से उत्पन्न हो रही अनुमानित अनपेक्षित हानियां (यूएल) तथा अपेक्षित गिरावट (ईएस) उनके द्वारा बनाये रखे कुल पूंजी (टीयर I और टीयर II) के वर्तमान स्तर से भी बहुत कम रहने की उम्मीद की जा रही है। सरकारी क्षेत्र के बैंकों, निजी क्षेत्र के बैंकों तथा विदेशी बैंकों ने सितंबर 2014 में कुल अग्रिमों की तुलना में कुल पूंजी का स्तर क्रमशः 12.5 प्रतिशत, 21.4 प्रतिशत तथा 36.0 प्रतिशत पर बनाए रखा (चार्ट 2.14 और 2.15)।


2.23 ऋण जोखिम से उत्पन्न अपेक्षित हानि (ईएल) और अप्रत्याशित हानि (यूएल) का बैंक-वार¹² आकलन यह दर्शाता है कि 20 बैंक (अधिकांश पीएसबी) उनके मौजूदा प्रावधानों के साथ उनकी अपेक्षित हानियों को पूरा करने में असमर्थ रहे। चयनित 60 बैंकों के कुल अग्रिमों में इन बैंकों का हिस्सा 32.8 प्रतिशत था। दूसरी ओर, केवल ऐसे दो बैंक (चयनित बैंकों के कुल अग्रिमों में 2.0 प्रतिशत हिस्सा के साथ) थे जिनसे कुल पूंजी की तुलना में उच्चतर अप्रत्याशित हानियों की उम्मीद की जा रही थी (चार्ट 2.16)।

चार्ट 2.14 : अप्रत्याशित हानियां : बैंक समूह-वार




स्रोत : आरबीआई पर्यवेक्षी विवरणियां तथा स्टाफ का आकलन

चार्ट 2.15 : संभावित कमियां : बैंक समूह-वार



स्रोत : आरबीआई पर्यवेक्षी विवरणियां तथा स्टाफ का आकलन

चार्ट 2.16 : प्रत्याशित हानियां तथा अप्रत्याशित हानियां : बैंक-वार (सितंबर 2014)



स्रोत : आरबीआई पर्यवेक्षी विवरणियां तथा स्टाफ का आकलन

¹² ईएल एवं यूएल का बैंक-वार अनुमान 60 एससीबी के लिए किया गया था जो एससीबी की कुल आस्तियों का 99 प्रतिशत भाग कवर करते हैं।

संवेदनशील विश्लेषण - बैंक स्तर³

2.24 चुनिंदा अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (60 बैंक जिनका कुल बैंकिंग क्षेत्र आस्तियों में 99 प्रतिशत का हिस्सा है) पर विभिन्न परिदृश्यों के अंतर्गत उनकी अतिसंवेदनशीलता और लचीलेपन आंकने के लिए विभिन्न एकल कारक संवेदनशील दबाव परीक्षण (ऊपर-नीचे) किए गए। ऋण, ब्याज दर और चलनिधि जोखिमों के संबंध में वाणिज्य बैंकों के लचीलेपन का अध्ययन अत्यधिक लेकिन संभाव्य संवेग देकर ऊपर-नीचे संवेदनशील विश्लेषण के माध्यम से किया गया। इनके परिणाम सितंबर 2014 के डाटा¹⁴ पर आधारित हैं।

टॉप-डाउन दबाव परीक्षण

ऋण जोखिम


2.25 सितंबर 2014 की स्थिति के अनुसार बैंकों के लिए विभिन्न स्थिर ऋण आघातों के असर से पता चलता है कि प्रणालीगत स्तर पर दबावयुक्त सीआरएआर 9 प्रतिशत के अपेक्षित न्यूनतम स्तर से अधिक बना रहा (चार्ट 2.17)। 1 मानक विचलन

(एसडी)¹⁵ (आघात 2) की स्थिति में प्रणालीगत स्तर पर पूंजीगत हानियां लगभग 15 प्रतिशत हो सकती थीं। हालांकि, यदि उनके वार्षिक लाभों को हटा दिया जाए तो बैंकों के लाभ पर अधिक गंभीर प्रभाव पड़ेगा। दबाव परीक्षण के परिणामों से यह भी पता चलता है कि आघात 2 की परिकल्पना के तहत यदि सकल अनर्जक आस्तियों में वृद्धि हो जाए तो 16 बैंक सीआरएआर का अपेक्षित स्तर कायम नहीं रख पाएंगे। इनमें से अधिकांश सरकारी बैंक हैं जो राज्य सहकारी बैंकों की कुल आस्तियों का लगभग 28 प्रतिशत हिस्सा साझा करते हैं। 7 बैंकों के सीआरएआर का स्तर तो 8 प्रतिशत के स्तर से भी नीचे जा सकता है।

ऋण संकेंद्रण जोखिम

2.26 बैंकों के ऋण संकेंद्रण से संबंधित दबाव परीक्षण से पता चलता है कि विभिन्न दबाव परिदृश्यों के तहत छह बैंकों पर काफी अधिक प्रभाव पड़ा है। सीआरएआर के 9 प्रतिशत से कम हो जाने पर उनकी आस्तियां 8 प्रतिशत कम हो सकती हैं। चूक होने के परिकल्पित परिदृश्यों के तहत प्रणालीगत स्तर पर शीर्ष के एक, दो एवं तीन व्यक्तिगत उधारकर्ताओं से संबंधित पूंजीगत हानि क्रमशः

चार्ट 2.17 : ऋण जोखिम - आघात एवं उनके प्रभाव



टिप्पणी : आघात 1 : सकल अनर्जक आस्ति अनुपात पर 0.5 मानक विचलन आघात
आघात 2 : सकल अनर्जक आस्ति अनुपात पर 1 मानक विचलन आघात
आघात 3 : पुनर्चित अग्रिमों में से 30 प्रतिशत सकल अनर्जक आस्ति बने (अवमानक श्रेणी)¹⁶
आघात 4 : पुनर्चित अग्रिमों में से 30 प्रतिशत को बढ़ा खाता में डाला गया (नुकसान की श्रेणी)।

स्रोत : भा.रि. बैंक की पर्यवेक्षी विवरणियां तथा स्टाफ का आकलन


¹³ ऋण जोखिम के संबंध में समष्टिगत दबाव परीक्षण के अलावा संवेदनशीलता विश्लेषण भी किया गया। इनमें से पहले आघात सीधे आस्ति गुणवत्ता (जीएनपीए) को दिए गए और दूसरे आघात प्रतिकूल समष्टिआर्थिक परिस्थितियों के संबंध में थे। समष्टिगत दबाव परीक्षण प्रणाली, प्रमुख बैंक समूह तथा क्षेत्रगत स्तर भी किए गए जबकि संवेदनशीलता विश्लेषण प्रणाली तथा बैंक के समेकित स्तर पर किया गया। समष्टिगत दबाव परीक्षणों के केंद्र बिंदु ऋण जोखिम था किंतु संवेदनशीलता विश्लेषण में ऋण, ब्याज दर तथा चलनिधि जोखिमों को कवर किया गया।

¹⁴ दबाव परीक्षणों के संबंध में विवरण के लिए कृपया अनुबंध 2 देखें।

¹⁵ अनर्जक आस्ति अनुपात के मानक विचलन 10 वर्षों के तिमाही आंकड़े के आधार पर अनुमानित है।

¹⁶ पुनर्गीठित अग्रिमों से संबंधित आस्ति वर्गीकरण के लिए रिजर्व बैंक द्वारा मंजूर की गई छूट 1 अप्रैल 2015 से समाप्त कर दी जाएगी। आगे और विचार-विमर्श करने के लिए कृपया अध्याय III का संदर्भ लें (पैरा 3.26 एवं 3.27)।

चार्ट 2.18 : ऋण जोखिम : संकेन्द्रण



टिप्पणी : आघात 1: सबसे बड़े व्यक्तिशः उधारकर्ता की ओर से चूक
 आघात 2: सबसे बड़े दो व्यक्तिशः उधारकर्ताओं की ओर से चूक
 आघात 3: सबसे बड़े तीन व्यक्तिशः उधारकर्ताओं की ओर से चूक
 आघात 4: सबसे बड़े समूह उधारकर्ता की ओर से चूक
स्रोत : भारि.बैंक की पर्यवेक्षी विवरणियां तथा स्टाफ का आकलन।।

लगभग 5 प्रतिशत, 9 प्रतिशत एवं 14 प्रतिशत हो सकती है। सामूहिक रूप से उधार लेने वाले शीर्ष उधारकर्ता समूह के चूक करने के परिकल्पित परिदृश्यों के तहत प्रणालीगत स्तर पर पूंजीगत हानियां¹⁷ लगभग 9 प्रतिशत हो सकती हैं। इसी परिदृश्य के तहत, कर पूर्व लाभ (पीबीटी) पर असर 202 प्रतिशत के उच्च स्तर तक हो सकता है और न्यूनतम 73 प्रतिशत हो सकता है। शीर्ष व्यक्तिगत उधारकर्ता, शीर्ष 2 व्यक्तिगत उधारकर्ताओं, शीर्ष 3 उधारकर्ताओं और शीर्ष सामूहिक उधारकर्ताओं द्वारा चूक होने के परिकल्पित परिदृश्य के तहत प्रणालीगत स्तर पर सीआरएआर पर सीधा प्रभाव क्रमशः 56, 100, 254 एवं 94 आधार अंक होगा। हालांकि, इन आघातों के तहत प्रणालीगत स्तर पर सीआरएआर 9 प्रतिशत से ऊपर बना रहेगा (चार्ट 2.18)।

क्षेत्रगत ऋण जोखिम

2.27 कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों/उद्योगों के एक्सपोजर के ऋण जोखिम की जांच क्षेत्रगत ऋण दबाव परीक्षणों के माध्यम से की जाती है। परिकल्पित आघात सकल अनर्जक आस्तियों के अनुपात में प्रत्येक क्षेत्र के लिए 5 प्रतिशत बिंदुओं की वृद्धि होने का था। संवेदनशीलता विश्लेषण के परिणामों से पता चला कि आघातों से प्रणालीगत स्तर की सकल अनर्जक आस्तियों में काफी वृद्धि होगी, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव स्थावर संपदा के एक मात्र क्षेत्र पर पड़ेगा (सारणी 2.6)। पूंजी अनुपात के संबंध में आघात का प्रभाव सीमित था क्योंकि ऋण संविभाग का सिर्फ एक हिस्सा ही आघातग्रस्त

सारणी 2.6 : ऋण जोखिम : क्षेत्र

(प्रतिशत)

क्षेत्र स्तर		प्रणालीगत स्तर					
		सीआरएआर	टियर I सीआरएआर	सकल अनर्जक आस्ति अनुपात	पूंजी के प्रतिशत के रूप में नुकसान	लाभ के प्रतिशत के रूप में नुकसान	
आधार रेखा:		12.5	9.7	4.6	-	-	
		कुल अग्रिमों में हिस्सा	क्षेत्र का सकल अनर्जक आस्ति अनुपात	आघात 5 : प्रत्येक क्षेत्र में सकल अनर्जक आस्ति में प्रतिशतता बिंदु वृद्धि			
कृषि	12.6	5.4	12.3	9.4	5.2	2.4	17.6
ऊर्जा	9.0	1.4	12.3	9.5	5.0	1.6	11.7
स्थावर संपदा	17.4	4.6	12.2	9.3	5.4	3.3	24.5
दूरसंचार	1.6	4.8	12.5	9.6	4.6	0.3	2.3
सभी 4 क्षेत्र (कृषि + ऊर्जा + स्थावर संपदा + दूरसंचार)	41.0	4.0	11.7	8.8	6.6	7.7	57.9
प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र	34.1	5.2	11.8	9.0	6.3	6.4	47.7

स्रोत : भारि.बैंक की पर्यवेक्षी विवरणियां तथा स्टाफ का आकलन।।

¹⁷ पूंजीगत हानियों की गणना कुल पूंजी (टिअर I + टिअर II) पर की गई है।

हुआ। हालांकि, बैंक की लाभकारिता पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है (कर पूर्व लाभ)।

ब्याज दर जोखिम


2.28 प्रणालीगत स्तर पर सीआरएआर में 74 आधार अंकों की कमी के साथ विभिन्न दबाव परिदृश्यों के अंतर्गत कारोबारी बही (बैंकों के एएफएस एवं एचएफटी पोर्टफोलियो पर सीधा प्रभाव) में ब्याज दर जोखिम का वहन किया जा सकता है। यह प्रभाव प्रतिफल वक्र में समानांतर ऊपर की ओर परिवर्तन होने (2.5 प्रतिशतता बिंदु) के कारण पड़ा। इसी प्रकार आघात के संबंध में पिछली वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट (जून 2014) में सीआरएआर में 82 आधार अंकों की कमी रिपोर्ट की गई थी। भिन्न-भिन्न स्तरों पर देखा जाए तो 5.1 प्रतिशत आस्तियों को समाहित करने वाले तीन बैंकों पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। प्रणालीगत स्तर पर कुल पूंजीगत हानि लगभग 6.6 प्रतिशत होगी। बैंकों की एचटीएम पोर्टफोलियो के संबंध में प्रतिफल वक्र में 2.5 प्रतिशत बिंदुओं के समानांतर ऊपर की ओर परिवर्तन के परिकल्पित आघात को यदि बाजार मूल्यों के आधार पर निर्धारित किया गया तो इससे सीआरएआर में लगभग 261 आधार बिंदुओं की महत्वपूर्ण कमी आएगी (पिछली वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट में 280 आधार अंकों का प्रभाव रिपोर्ट किया गया था) जो 25 बैंकों को प्रभावित करेगी। प्रतिफल वक्र में समानांतर नीचे की ओर परिवर्तित होने (2.5 प्रतिशतता बिंदु) के परिकल्पित आघात के तहत अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की बैंकिंग बही¹⁸ में उनके लाभ (कर पूर्व) से संबंधित आय में लगभग 50 प्रतिशत की कमी हो सकती है।

चलनिधि जोखिम

2.29 चलनिधि जोखिम विश्लेषण में बैंकों से जमाराशि निकालने के परिदृश्यों को शामिल किया जाता है। विश्लेषण में चलनिधि युक्त आस्तियों¹⁹ की पांच परिभाषाओं का प्रयोग किया जाता है। इन परिभाषाओं के अनुसार, चलनिधि युक्त आस्तियों में नकद राशि, आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर), अंतरबैंक जमाराशियां एवं विभिन्न रूपों में किया गया निवेश शामिल होते हैं। विभिन्न चलनिधियुक्त आस्ति अनुपातों²⁰ का निर्धारण बेसलाइन परिदृश्य के तहत विभिन्न परिभाषाओं का प्रयोग करते हुए किया

गया। दबाव परिदृश्यों का गठन बैंकों से जमाराशि निकालने पर बैंक की क्षमता का परीक्षण करने के लिए किया गया जिसमें सिर्फ उनकी चलनिधि युक्त आस्तियों का प्रयोग किया गया। विश्लेषण से पता चलता है कि दबाव के परिदृश्य में चलनिधि पर दबाव था किंतु बैंक जमाकर्ताओं द्वारा अचानक और अप्रत्याशित आहरण किए जाने का सामना उनके सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) निवेशों की मदद से कर पाए (चार्ट 2.19)।

चार्ट 2.19 : चलनिधि जोखिम (जमाराशि का तेजी से निकलना)



चलनिधि युक्त आस्तियों की परिभाषा	
1	नकद + अतिरिक्त सीआरआर + एक महीने के भीतर परिपक्व होने वाले अंतर बैंक जमा + एसएलआर निवेश + पात्र निर्यात ऋण पुनर्वितीयन (ईसीआर)
2	नकद + अतिरिक्त सीआरआर + एक महीने के भीतर परिपक्वता वाले अंतर बैंक जमा + एक महीने के अंदर परिपक्व होने वाले निवेश + पात्र निर्यात ऋण पुनर्वितीयन (ईसीआर)
3	नकद + अतिरिक्त सीआरआर + एक महीने के अंदर परिपक्वता वाले अंतर बैंक जमा + अतिरिक्त एसएलआर निवेश + पात्र निर्यात ऋण पुनर्वितीयन (ईसीआर)
4	नकद + सीआरआर + एक महीने के अंदर परिपक्व होने वाले अंतर बैंक जमा + एक महीने के अंदर परिपक्व होने वाले निवेश + पात्र निर्यात ऋण पुनर्वितीयन (ईसीआर)
5	नकद + सीआरआर + एक महीने के अंदर परिपक्व होने वाले अंतर बैंक जमा + अतिरिक्त एसएलआर निवेश + पात्र निर्यात ऋण पुनर्वितीयन (ईसीआर)
इन परिभाषाओं में से प्रत्येक के लिए आधार रेखा तथा दो आघातों वाले परिदृश्यों की रचना की गई।	
चलनिधि आघात	
आघात 1	अल्पावधि (1 या 2 दिन) में 10 प्रतिशत जमाराशि का आहरण (संचयी)
आघात 2	लगातार 5 दिनों के लिए 3 प्रतिशत जमाराशि का आहरण

स्रोत : भा.रि.बैंक की पर्यवेक्षी विवरणियां तथा स्टाफ का आकलन।।

¹⁸ दर के प्रति संवेदनशील आस्तियों और देयताओं के एक्सपोजर गैप को ध्यान में रखते हुए तथा एएफएस एवं एचएफटी पोर्टफोलियो को छोड़कर बैंकिंग बुक पर आय के प्रभाव की गणना सिर्फ एक वर्ष के लिए की गई है।

¹⁹ चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर), चलनिधि जोखिम निगरानी उपकरणों तथा चलनिधि कवरेज अनुपात की घोषणा संबंधी मानक दिनांक 9 जून 2014 के परिपत्र डीबीओडी.बीपी.बीसी. 120/21.04.098/2013-147 के माध्यम से जारी किए गए थे। चलनिधि कवरेज अनुपात को 1 जनवरी 2015 से चरणबद्ध ढंग से प्रारंभ किया जाएगा जिसके तहत न्यूनतम 60 प्रतिशत की आवश्यकता होगी जो 1 जनवरी 2019 तक बढ़कर न्यूनतम 100 प्रतिशत हो जाएगी।

²⁰ चलनिधि आस्ति अनुपात = चलनिधियुक्त आस्तियां/कुल आस्तियां * 100. आघात परिदृश्य के अधीन चलनिधियुक्त आस्तियों के ऋणात्मक अनुपात से अपेक्षित जमाराशि आहरण को पूरा करने में प्रतिशत कमी का पता चलता है।

2.30 ऋण की अतिरिक्त मांग को पूरा करने की बैंकों की क्षमता पर ध्यान केंद्रित करने के लिए स्वीकृत/वचनबद्ध/प्रत्याभूत (अनाहरित कार्यशील पूंजी की स्वीकृत सीमा, अनाहरित वचनबद्ध क्रेडिट लाइन एवं साख पत्रों तथा गारंटियों को ध्यान में रखते हुए) क्रेडिट लाइनों के अप्रयुक्त हिस्से पर आधारित एक अन्य चलनिधि जोखिम विश्लेषण किया गया। बैंकों द्वारा उनके नकद शेषों, अतिरिक्त सीआरआर, अल्पावधि अंतरबैंक जमाराशियों (एक माह की परिपक्वता), अतिरिक्त एसएलआर एवं पात्र निर्यात ऋण पुनर्वित्त (ईसीआर) का उपयोग करते हुए पूरा किया जाना था। प्रमुख प्रभाव अनाहरित कार्यशील पूंजी सीमाओं के प्रयोग के कारण पड़ा तथा लगभग 12 छोटे बैंक तो अपनी वर्तमान चलनिधियुक्त आस्तियों का प्रयोग करते हुए ऋण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा ही नहीं कर पाए (आघात 1)। हालांकि, यदि यह माना जाता कि ग्राहकों द्वारा अनाहरित स्वीकृत कार्यशील पूंजी का सिर्फ एक हिस्सा (50 प्रतिशत) प्रयोग किया जाएगा तो प्रभावित बैंकों की संख्या काफी कम अर्थात् छह होती (सारणी 2.7)।

बॉटम-अप दबाव परीक्षण - बैंकों का व्युत्पन्नियों का पोर्टफोलियो

2.31 बैंकों के व्युत्पन्नियों के पोर्टफोलियो में हाल के समय में अपेक्षाकृत कमी आई है। व्युत्पन्नियों के पोर्टफोलियो का समकक्ष ऋण तुलनपत्र में दर्शाई गई आस्तियों का लगभग 4 प्रतिशत ही है। हालांकि, विदेशी बैंकों के व्युत्पन्नी पोर्टफोलियो का आकार काफी रहा जो सितंबर 2014 में उनके तुलनपत्र में दर्शाई गई आस्तियों का 34 प्रतिशत था (चार्ट 2.20)।

2.32 चुनिंदा प्रतिदर्श बैंकों²¹ के संबंध में 30 सितंबर 2014 की संदर्भ तारीख के अनुसार व्युत्पन्नी पोर्टफोलियो पर श्रृंखलाबद्ध (बहुत से) बॉटम-अप दबाव परीक्षण (संवेदनशीलता विश्लेषण) किए गए। प्रतिदर्श में शामिल किए गए बैंकों ने ब्याज तथा विदेशी मुद्रा विनिमय दरों से संबंधित चार अलग-अलग आघातों के परिणामों की रिपोर्ट भेजी। ब्याज दरों से संबंधित आघात 100 से

सारणी 2.7 : चलनिधि जोखिम : अनाहरित सीमाओं/आकस्मिकताओं की न्यागमन/अनाहरित ऋण की वचनबद्ध श्रृंखला/ साख पत्र गारंटियों की न्यागमन की उपयोगिता


	प्रणालीगत स्तर		प्रभावित बैंक		
	उपयोग न किए गए ऋण का आकार (बकाया अग्रिमों की तुलना में %)	चलनिधि युक्त आस्तियों का अनुपात (%)	आघात के बाद चलनिधि की कमी वाले बैंकों की संख्या	जमाराशि में हिस्सा (%)	आस्ति में हिस्सा (%)
चलनिधि युक्त आस्तियां : नकद, अतिरिक्त सीआरआर, एक महीने के अंदर परिपक्व होने वाले अंतर बैंक जमा, अतिरिक्त एसएलआर, ईसीआर					
आधार रेखा:	-	5.6	-	-	-
आघात 1:	3.2	3.5	12	8.5	9.5
आघात 2:	1.4	4.4	6	4.2	5.0
आघात 3:	0.4	5.0	2	1.6	2.0
आघात 4:	0.2	5.1	1	0.8	1.2
आघात 5:	0.4	5.0	0	0.0	0.0

टिप्पणी : चलनिधि आघात

आघात 1: अनाहरित स्वीकृत सीमा - कार्यशील पूंजी - पूर्णतः प्रयुक्त
 आघात 2: अनाहरित स्वीकृत सीमा - कार्यशील पूंजी - अंशतः प्रयुक्त (50 प्रतिशत)
 आघात 3: ग्राहकों को वचनबद्ध अनाहरित ऋण श्रृंखला - पूर्णतः मांगी गई
 आघात 4: ग्राहकों को वचनबद्ध अनाहरित ऋण श्रृंखला - अंशतः मांगी गई (50 प्रतिशत)
 आघात 5: ग्राहकों को प्रदत्त साख पत्र/गारंटियां - न्यागमन
 स्रोत : भार.बैंक की पर्यवेक्षी विवरणियां तथा स्टॉफ का आकलन।।

चार्ट 2.20 : अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के व्युत्पन्नी पोर्टफोलियो की प्रवृत्ति (ऋण समतुल्य)

(तुलन पत्र आस्तियों की तुलना में प्रतिशत)



स्रोत : भार.बैंक की पर्यवेक्षी विवरणियां।

²¹ व्युत्पन्नी पोर्टफोलियो से संबंधित दबाव परीक्षण चुनिंदा 20 बैंकों के नमूनों पर किया गया, जो राज्य सहकारी बैंकों की कुल आस्ति का लगभग 55 प्रतिशत हिस्सा निर्मित करता है (पद्धतियों के विवरण के लिए अनुलग्नक 2 देखें)।

250 आधारभूत अंकों तक दायराबद्ध रहे, जबकि विदेशी मुद्रा विनिमय दरों के संबंध में आघातों में 20 प्रतिशत वृद्धि/कमी मानी गई। विशिष्ट आघातों के संबंध में दबाव परीक्षण एकल (स्टैंड-अलोन) आधार पर किए गए।

2.33 प्रतिदर्शों में, बैंकों के लिए 30 सितंबर 2014 की स्थिति के अनुसार उनके तुलन पत्र में दर्शाई गई आस्तियों के अनुपात के रूप में व्युत्पन्नियों के पोर्टफोलियो को बाजार दरों के आधार पर निर्धारित करने का प्रभाव सरकारी क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) एवं निजी बैंकों (पीबी) के साथ परिवर्तित हुआ, जिसमें मूल्यों में मामूली वृद्धि हुई जबकि विदेशी बैंकों का अनुपात अपेक्षाकृत अधिक रहा। सितंबर 2014 में बैंकों का निवल बाजार आधारित मूल्य (एमटीएम) धनात्मक रहा (चार्ट 2.21)।

2.34 दबाव परीक्षण के परिणामों से पता चला कि प्रतिदर्श बैंकों पर ब्याज दर आघातों का औसत निवल प्रभाव बहुत अधिक नहीं था। हालांकि, बैंकों पर विदेशी मुद्रा संबंधी आघातों का अपेक्षाकृत अधिक प्रभाव पड़ा (चार्ट 2.22)।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

तुलन पत्र परिचालन


2.35 2013-14 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की आस्तियों में लगभग 16 प्रतिशत की स्थिर वृद्धि बनी रही। वृद्धि होने का मुख्य कारण देयताओं की दृष्टि से, उधार लेना तथा नाबार्ड एवं प्रायोजित बैंकों द्वारा पूंजी उपलब्ध कराना और आस्तियों की दृष्टि से, ऋण एवं अग्रिम रहे।

लाभप्रदता

2.36 अनंतिम परिणामों के अनुसार 2013-14 में सभी 57 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने वर्ष के दौरान उनका निवल लाभ 18.5 प्रतिशत बढ़ने के साथ लाभ होने की सूचना दी है। पिछले वर्ष की तुलना में निवल मार्जिन (निवल ब्याज दर औसत कुल आस्तियों के प्रतिशत के रूप में) में भी सुधार हुआ (चार्ट 2.23)।

चार्ट 2.21 : कुल व्युत्पन्नियों का बाजार मूल्य - आधार रेखा


(तुलन पत्र आस्तियों की तुलना में प्रतिशत)



टिप्पणी : स.क्षे.बैं. : सरकारी क्षेत्र का बैंक नि.क्षे.बैं. : निजी क्षेत्र के बैंक वि.बैं. : विदेशी बैंक
स्रोत : प्रतिदर्श बैंक (व्युत्पन्नियों के पोर्टफोलियो के संबंध में बॉटम-अप दबाव परीक्षण)


चार्ट 2.22 : दबाव परीक्षण - चुनिंदा बैंकों के व्युत्पन्नी पोर्टफोलियो पर आघातों का प्रभाव (आघात का प्रयोग किए जाने पर निवल एमटीएम में परिवर्तन)

(पूँजीगत निधियों की तुलना में प्रतिशत)



स्रोत : प्रतिदर्श बैंक (व्युत्पन्नियों के पोर्टफोलियो के संबंध में बॉटम-अप दबाव परीक्षण)

चार्ट 2.23 : क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की लाभप्रदता की प्रवृत्ति



स्रोत : नाबार्ड

स्थानीय क्षेत्र बैंक

तुलन पत्र परिचालन एवं लाभप्रदता

2.37 वर्तमान में कुल चार स्थानीय क्षेत्र बैंक (एलएबी) कार्यशील हैं। 2013-14 के दौरान उनकी आस्तियों में 20 प्रतिशत की वृद्धि हुई। उनके निवल लाभ में 21 प्रतिशत से अधिक की गिरावट आई जिसका कारण ब्याज व्यय में वृद्धि को माना जा सकता है जो उनकी आय से अधिक रहा (चार्ट 2.24)।


शहरी सहकारी बैंक

तुलन पत्र परिचालन

2.38 शहरी सहकारी बैंकों के तुलन पत्रों में 2013-14 के दौरान स्थिर वृद्धि देखी गई (चार्ट 2.25)। देयताओं में इस वृद्धि का कारण उनकी अन्य देयताओं तथा जमाराशियों में वृद्धि होना था। समेकन के पश्चात, 2013-14 में शहरी सहकारी बैंकों की संख्या थोड़ी कम होकर 1589 रह गई जो एक वर्ष पहले 1600 से अधिक थी।


2.39 2013-14 में शहरी सहकारी बैंकों का ऋण-जमा अनुपात लगभग 2 प्रतिशतता बिंदु घटा और निवेश-जमा अनुपात में भी थोड़ा सुधार हुआ (चार्ट 2.26)।

चार्ट 2.24 : स्थानीय क्षेत्र बैंकों की आस्तियों पर प्रतिफल एवं निवल ब्याज मार्जिन




स्रोत : भार.बैंक की पर्यवेक्षी विवरणियां।

चार्ट 2.25 : शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) की संख्या तथा उनकी आस्तियों में वृद्धि



स्रोत : भार.बैंक की पर्यवेक्षी विवरणियां।

चार्ट 2.26 : अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की तुलना में शहरी सहकारी बैंकों से संबंधित ऋण-जमा तथा निवेश-जमा अनुपात



स्रोत : भार.बैंक की पर्यवेक्षी विवरणियां तथा बैंकों के वार्षिक लेखा

लाभप्रदता

2.40 पिछले वर्ष निवल लाभ में हुई 25 प्रतिशत की कमी की तुलना में 2013-14 के दौरान शहरी सहकारी बैंकों का निवल लाभ 31 प्रतिशत बढ़ा। हालांकि, वर्ष के दौरान आय एवं व्यय -दोनों में कमी आई। प्रावधानों एवं आकस्मिक निधियों तथा करों में तेजी से गिरावट होने के परिणामस्वरूप उनका निवल लाभ बढ़ा। परिणामस्वरूप, वर्ष के दौरान शहरी सहकारी बैंकों की आस्तियों पर प्रतिफल (आरओए) तथा इक्विटी पर प्रतिफल (आरओई) में क्रमशः 0.9 प्रतिशत एवं 9.0 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि 2012-13 के दौरान इनमें 0.8 प्रतिशत एवं 7.2 प्रतिशत वृद्धि हुई थी।

अनुसूचित शहरी सहकारी बैंक

निष्पादन

2.41 प्रणालीगत स्तर²² पर अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों (एसयूसीबी) का सीआरएआर सितंबर 2014 में बढ़कर 12.7 प्रतिशत हो गया जो मार्च 2014 में 12.4 प्रतिशत था। हालांकि, असमग्र स्तर पर सात बैंक सीआरएआर के अपेक्षित 9 प्रतिशत के स्तर को बनाए रखने में विफल रहे। सकल अनर्जक आस्तियों (जीएनपीए) के रूप में मापे जाने पर अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों की आस्ति गुणवत्ता में गिरावट आई और उनके प्रावधान-कवरेज अनुपात भी काफी घट गए (सारणी 2.8)।

दबाव परीक्षण

ऋण जोखिम

2.42 अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों के लिए ऋण जोखिम का निर्धारण करने के लिए दबाव परीक्षण 30 सितंबर 2014 की स्थिति के अनुसार अंतिम आंकड़ों का प्रयोग करते हुए किया गया। ऋण जोखिम के आघातों का अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों के सीआरएआर पर प्रभाव का प्रेक्षण चार अलग-अलग परिदृश्यों²³ के अंतर्गत किया गया। परिणामों से पता चला कि अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों का प्रणालीगत स्तर का सीआरएआर, अंतिम परिदृश्य (सकल अनर्जक आस्तियों में 1 एसडी वृद्धि, जिसे नुकसान हुए अग्रिम के रूप में वर्गीकृत किया जाता है) को छोड़कर, विनियामकीय अपेक्षित न्यूनतम स्तर से ऊपर बना रहा। यद्यपि, अलग से देखा जाए तो बहुत से बैंक (चौथे परिदृश्य के अंतर्गत 50 में से 28 बैंक) सीआरएआर के अपेक्षित स्तर को कायम नहीं रख पाएंगे।

सारणी 2.8 : अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों की वित्तीय मजबूती के चुनिंदा संकेतक (प्रतिशत)

वित्तीय मजबूती के संकेतक	मार्च-14	सितं-14
सीआरएआर	12.4	12.7
सकल अग्रिमों की तुलना में सकल अनर्जक आस्तियां	5.5	7.4
आस्तियों पर प्रतिफल (वार्षिकीकृत)	0.7	0.9
चलनिधि अनुपात	35.1	35.5
प्रावधान कवरेज अनुपात (पीसीआर)	71.4	53.7

टिप्पणी : 1. आंकड़े अंतिम हैं
2. चलनिधि अनुपात = (नकद + बैंकों से बकाया + एसएलआर निवेश)/कुल आस्तियां * 100
3. प्रावधान कवरेज अनुपात का समेकन 'सकल अनर्जक आस्तियों के प्रतिशत के रूप में धारित अनर्जक आस्तियों' के रूप में किया गया है।

स्रोत : भा.रि.बैंक की पर्यवेक्षी विवरणियां।

चलनिधि जोखिम

2.43 चलनिधि से संबंधित दबाव परीक्षण दो अलग-अलग परिदृश्यों का प्रयोग करते हुए किया गया जिसमें यह माना गया कि एक से 28 दिनों की समयावधि में नकद का बहिर्वाह 50 प्रतिशत एवं 100 प्रतिशत होगा। इसके अलावा, यह भी माना गया कि दोनों परिदृश्यों के अंतर्गत नकद के अंतर्वाह में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। दबाव परीक्षण के परिणामों से पता चलता है कि दबावपूर्ण परिदृश्य में अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों पर (परिदृश्य I के तहत 50 बैंकों में से 24 बैंक तथा परिदृश्य II के तहत 38 बैंक) काफी प्रभाव पड़ेगा।

ग्रामीण सहकारिता²⁴

अल्पावधि ग्रामीण ऋण सहकारिता

राज्य सहकारी बैंक

तुलन पत्र परिचालन

2.44 2012-13 के दौरान राज्य सहकारी बैंकों (एसटीसीबी) के समग्र तुलन पत्र के आकार में थोड़ी कमी आई और यह पिछले वर्ष के 14.4 प्रतिशत के स्तर से घटकर 10.2 प्रतिशत रह गया। जमाराशियों में थोड़ी वृद्धि होने के बावजूद यह कमी प्राथमिक रूप

²² 50 अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों की प्रणाली।

²³ चार परिदृश्य इस प्रकार हैं i) सकल अनर्जक आस्तियों में 0.5 एसडी आघात वृद्धि (अवमानक अग्रिमों के रूप में वर्गीकृत), ii) सकल अनर्जक आस्तियों में 0.5 प्रतिशत आघात वृद्धि (नुकसान हुए अग्रिमों के रूप में वर्गीकृत), iii) सकल अनर्जक आस्तियों में 1 एसडी आघात वृद्धि (अवमानक अग्रिमों के रूप में वर्गीकृत) एवं iv) सकल अनर्जक आस्तियों में 1 एसडी आघात वृद्धि (नुकसान हुए अग्रिमों के रूप में वर्गीकृत)। एसडी के अनुमान में पिछले 10 वर्षों के आंकड़ों का प्रयोग किया गया है।

²⁴ ग्रामीण सहकारिता से संबंधित आंकड़ों की उपलब्धता में कमी को देखते हुए यह खंड वर्ष 2012-13 पर आधारित है।

से उनके उधारों में गिरावट के कारण थी, जो उनकी कुल देयताओं का लगभग 30 प्रतिशत होता है (चार्ट 2.27)।

लाभप्रदता

2.45 पिछले वर्ष की प्रवृत्ति को जारी रखते हुए 2012-13 में राज्य सहकारी बैंकों के निवल लाभ में 11.0 बिलियन रुपए की वृद्धि हुई, जो पिछले वर्ष 6.2 बिलियन रुपए थी। कुल आय में (ब्याज एवं गैर-ब्याज -दोनों आय) वृद्धि होने के बाद, जो उनके कुल व्यय में वृद्धि से अधिक रही, प्रावधानों तथा आकस्मिताओं में हुई वृद्धि का भी निवल लाभ में हुई वृद्धि में योगदान रहा।

आस्ति गुणवत्ता


2.46 2012-13 के दौरान राज्य सहकारी बैंकों की आस्ति गुणवत्ता में थोड़ा सुधार होने के बावजूद सकल अनर्जक आस्तियों का अनुपात अभी भी 6.1 प्रतिशत के उच्च स्तर पर बना हुआ है (सारणी 2.9)।

जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक

तुलन पत्र परिचालन

2.47 2012-13 में जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक (डीसीसीबी) के समग्र तुलन पत्र की वृद्धि में कमी आई। वर्ष के दौरान आस्ति वृद्धि घटकर 13.3 प्रतिशत रह जाने से यह स्पष्ट हो जाता है। 2011-12 के दौरान वृद्धि 14.5 प्रतिशत थी।

चार्ट 2.27 : राज्य सहकारी बैंकों के तुलन पत्रों के चुनिंदा सूचक



स्रोत : नाबार्ड

सारणी 2.9 : ग्रामीण सहकारी बैंकों की मजबूती के संकेतक (अल्पावधिक)

(राशि रु. बिलियन में)

Item	राज्य सहकारी बैंक				जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक			
	मार्च के अंत की स्थिति के अनुसार		प्रतिशत परिवर्तन		मार्च के अंत की स्थिति के अनुसार		प्रतिशत परिवर्तन	
	2012	2013अ	2011-12	2012-13अ	2012	2013अ	2011-12	2012-13अ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
अ. कुल एनपीए (i+ii+iii)	54	56	-3.7	3.9	161	181	8.8	12.0
i. अवमानक	16 (29.2)	21 (36.6)	-8.6	30.1	63 (38.9)	79 (43.6)	6.4	25.7
ii. संदिग्ध	24 (43.4)	20 (35.4)	-7.8	-15.3	71 (44.2)	76 (42.2)	13.9	7.1
iii. हानि	15 (27.4)	16 (28.0)	10.4	6.3	27 (17.0)	26 (14.2)	2.1	-6.5
आ. ऋण की तुलना में एनपीए अनुपात (%)	7.0	6.1	-	-	10.2	9.9	-	-
क. मांग की तुलना में बसूली का अनुपात (%) (पिछले वर्ष 30 जून की स्थिति में)	95.6	94.8	-	-	79.2	80.0	-	-

अ. : अर्न्तम

टिप्पणियां : 1. कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े कुल अनर्जक आस्तियों (एनपीए) का प्रतिशत हैं।

2. निरपेक्ष अंकों को ₹ बिलियन में पूर्णांकित किया गया है इसलिए प्रतिशत परिवर्तन थोड़ा भिन्न हो सकता है।

स्रोत : नाबार्ड

लाभप्रदता

2.48 2012-13 में जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक के निवल लाभ में कमी हुई जिसका मुख्य कारण ब्याज के साथ ही ब्याज से इतर आय में हुई थोड़ी वृद्धि रही (चार्ट 2.28)। बावजूद इसके कि वर्ष के दौरान प्रावधानों एवं आकस्मिक निधियों में भी तेजी से गिरावट आई।

आस्ति गुणवत्ता


2.49 जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों के प्रावधानों में कमी का प्राथमिक कारण 2011-12 एवं 2012-13 के बीच आस्ति गुणवत्ता में सुधार होना तथा समग्र सकल अनर्जक आस्ति अनुपात का 10.2 प्रतिशत से घटकर 9.9 प्रतिशत रह जाना था (चार्ट 2.29)। सुधार होने के बावजूद जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों की सकल अनर्जक आस्तियों का उच्च अनुपात चिंता का विषय बना रहा।

प्राथमिक कृषि ऋण सोसायटी


तुलन पत्र परिचालन

2.50 2012-13 के दौरान प्राथमिक कृषि ऋण सोसायटी (पीएसीएस) के तुलन पत्र के संबंध में चयनित संकेतकों का विश्लेषण कतिपय सकारात्मक परिवर्तन दर्शाता है। उनकी स्वाधिकृत निधियों में वृद्धि हुई और उधार में वृद्धि कम रही। वर्ष के दौरान बकाया ऋणों में उच्चतर वृद्धि भी पाई गई (चार्ट 2.30)।

चार्ट 2.28 : जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों की लाभप्रदता की प्रवृत्ति




चार्ट 2.29 : ग्रामीण सहकारी बैंकों का अलयाधि सकल अनर्जक आस्ति अनुपात



स्रोत : नाबार्ड

चार्ट 2.30 : प्राथमिक कृषि ऋण सोसायटियों से (पीएसीएस) बकाया ऋण में वृद्धि



स्रोत : एनएफएससीओबी

लाभप्रदता

2.51 मार्च 2013 के अंत में, देश में सभी पीएसीएस को लगभग 41 प्रतिशत को हानि हुई जबकि लगभग 46 प्रतिशत का लाभ हुआ। क्षेत्रीय स्तर पर पूर्वी क्षेत्र में हानिग्रस्त पीएसीएस की अधिकता थी (चार्ट 2.31)।

दीर्घावधि ग्रामीण ऋण सहकारिताएं

राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (एससीएआरडीबी)

तुलन पत्र के परिचालन

2.52 2012-13 में राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (एससीएआरडीबी) की तुलन पत्र वृद्धि में सतत रूप से गिरावट आई; यह देयता एवं आस्ति पक्ष के सभी प्रमुख मदों की बंदौलत थी (चार्ट 2.32)।



लाभप्रदता

2.53 आस्ति पक्ष में लगातार गिरावट के अलावा एससीएआरडीबी को 2012-13 में 1.0 बिलियन रुपए की हानि हुई। हानि प्रमुख रूप से ऋण संबंधी हानियों के लिए किए गए भारी प्रावधान के कारण थी।

आस्ति गुणवत्ता

2.54 2012-13 में एससीएआरडीबी की आस्ति गुणवत्ता में गिरावट आई जिसके कारण उनका जीएनपीए अनुपात बढ़कर 36 प्रतिशत हो गया (सारणी 2.10)।

चार्ट 2.31: लाभप्रद/हानिग्रस्त पीएसीएस



स्रोत : एनएफएससीओबी

चार्ट 2.32 : राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (एससीएआरडीबीएस) की तुलन पत्र सूचकांक की प्रवृत्ति



स्रोत : नाबार्ड

सारणी 2.10 : ग्रामीण सहकारी बैंक की मजबूती सूचकांक (दीर्घावधि)

(रु. बिलियन राशि में)

मद	एससीएआरडीबीएस				पीसीएआरडीबीएस			
	मार्च अंत में		प्रतिशत परिवर्तन		मार्च अंत में		प्रतिशत परिवर्तन	
	2012	2013अ	2011-12	2012-13अ	2012	2013अ	2011-12	2012-13अ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
क. कुल जीएनपीएएस (i+ii+iii)	64	68	7.7	5.1	46	46	-5.0	-0.1
i. अवमानक	30 (46.1)	28 (41.9)	1.4	-4.4	21 (45.3)	20 (43.5)	-14.5	-4.3
ii. संदिग्ध	34 (53.6)	38 (56.2)	13.8	10.2	25 (53.9)	26 (56.1)	4.2	3.8
iii. नुकसान	0.2 (0.3)	1.2 (1.8)	8.3	603.0	0.3 (0.7)	0.2 (0.5)	58.1	-35.0
ख. ऋण की तुलना में जीएनपीए अनुपात (%)	33.1	36.0	-	-	36.7	37.1	-	-
ग. मांग की तुलना में बसूली अनुपात (%) (पिछले वर्ष के 30 जून तक)	40.2	32.3	-	-	47.3	42.7	-	-

अ : अनतिम

टिप्पणियाँ : 1. कोष्ठक में दिये गये आंकड़े कुल एनपीए के प्रतिशत हैं।

2. समग्र आंकड़ों का रु. बिलियन में पूर्णांकन करते समय प्रतिशत में कुछ थोड़ीसी भिन्नता दर्शायी गयी है।

स्रोत : नाबार्ड

प्राथमिक सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (पीसीएआरडीबी)

तुलन पत्र परिचालन

2.55 2012-13 में प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक(पीसीएआरडीबी) की आस्ति वृद्धि में 1.7 प्रतिशत तक और अधिक गिरावट आई, जबकि पिछले वर्ष यह वृद्धि 5.5 प्रतिशत थी। इन संस्थाओं ने भी वर्ष के दौरान स्वाधिकृत निधियों (पूंजी एवं आरक्षित निधियों सहित) में कमजोर वृद्धि के साथ-साथ बकाया ऋण में ऋणात्मक वृद्धि दर्शाई।


लाभप्रदता

2.56 2012-13 के दौरान हानि उठाने वाले पीसीएआरडीबी की संख्या में थोड़ा इजाफा हुआ और यह बढ़कर 318 हो गयी (चार्ट 2.33)। समेकित आधार पर 2012-13 में पीसीएआरडीबी में हानियां दर्शायीं।

आस्ति की गुणवत्ता

2.57 प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (पीसीएआरडीबी) की आस्ति गुणवत्ता लगातार नाजुक रही। उनका जीएनपीए अनुपात 2012-13 में बढ़कर 37 प्रतिशत हो गया था। (सारणी 2.10)।

चार्ट 2.33 : पीसीएआरडीबी का लाभदायक सूचकांक



स्रोत : नाबार्ड

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां

2.58 मार्च 2014 की स्थिति के अनुसार 12,029 एनबीएफसी ने रिजर्व बैंक से पंजीकरण लिया, जिनमें से 243 जमाराशि स्वीकार (एनबीएफसी-डी) करती हैं और 11,788 जमाराशि स्वीकार (एनबीएफसी-एनडी) नहीं करती हैं। 1 बिलियन रुपए एवं इससे अधिक आस्ति वाली एनबीएफसी-एनडी को 01 अप्रैल, 2007 से प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण जमाराशि स्वीकार नहीं करने वाली एनबीएफसीज (एनबीएफसीज-एनडी-एसआई)²⁵ के रूप में वर्गीकृत किया गया है और विवेकसम्मत विनियम जैसे पूंजी पर्याप्तता संबंधी आवश्यकताएं तथा एक्सपोजर संबंधी मानदंडों के साथ-साथ रिपोर्टिंग संबंधी आवश्यकताएं उन पर लागू की गई हैं। वित्तीय स्थिरता के दृष्टिकोण से एनबीएफसीज का यह हिस्सा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वे शेष वित्तीय प्रणाली से जुड़ी हुई हैं (अध्याय III के पैरा 3.21-3.23 में इसकी और अधिक चर्चा की गई है)।

एनबीएफसी-एनडी-एसआई का वित्तीय कार्यनिष्पादन

2.59 एनबीएफसी-एनडी-एसआई के संपूर्ण तुलन पत्र में 2013-14 के दौरान 9.5 प्रतिशत का विस्तार हुआ (सारणी 2.11)। ऋण एवं अग्रिम (आस्ति पक्ष का प्रमुख हिस्सा) में 11.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई। कुल उधार में 9.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई जो उनकी देयताओं का दो-तिहाई है।

2.60 2013-14 के दौरान एनबीएफसी-एनडी-एसआई का वित्तीय कार्यनिष्पादन बेहतर हुआ, क्योंकि कुल आय की तुलना में उनका शुद्ध लाभ 18.3 प्रतिशत से बढ़कर 20.2 प्रतिशत हो गया। इसके परिणामस्वरूप, मार्च 2014 की स्थिति के अनुसार आस्तियों पर प्रतिलाभ गत वर्ष के 2 प्रतिशत से बढ़कर 2.3 प्रतिशत हो गया (सारणी 2.12)।

सारणी 2.11 : एनबीएफसी-एनडी-एसआई के तुलनपत्र का समेकन
(मार्च के अंत में)

(रु. बिलियन में)

मद	2013	2014अ	प्रतिशत में भिन्नता
1. शेयर पूंजी	647	695	7.4
2. रिजर्व और अधिशेष	2,276	2,457	8.0
3. कुल उधारियाँ	8,104	8,902	9.8
4. चालू देयताएं और प्राक्धान	574	647	12.8
कुल देयताएँ / अस्तियां	11,601	12,701	9.5
1. ऋण और अग्रिम	7,600	8,455	11.2
2. किराया खरीद आस्तियां	805	896	11.3
3. निवेश	1,945	2,075	6.6
4. अन्य आस्तियां	1,250	1,276	2.1
ज्ञापन मदें			
1. पूंजी बाजार एक्सपोजर (सीएमई)	885	1,029	16.4
2. कुल आस्तियों का सीएमई (प्रतिशत)	7.6	8.1	
3. लीवरेज अनुपात	3.0	3.0	

अ.: अनंतिम

टिप्पणियाँ : 1. यहाँ 420 संस्थाओं का डाटा प्रस्तुत किया है, जो एनबीएफसी-एनडी-एसआई क्षेत्र में कुल आस्तियों का 95 प्रतिशत से अधिक है।
2. प्रतिशत के आंकड़े पूर्णांकित किये गये हैं।

स्रोत : भा.रि.बैंक की पर्यवेक्षी विवरणियां

सारणी 2.12 : एनबीएफसी - एनडी-एसआई क्षेत्र के वित्तीय कार्यनिष्पादन
(मार्च के अंत में)

(रु. बिलियन में)

मद	2013	2014 अ
1. कुल आय	1,272	1,436
2. कुल व्यय	1,039	1,147
3. निवल लाभ	233	290
4. कुल आस्तियां	11,601	12,701
वित्तीय अनुपात (प्रतिशत)		
(i) कुल आय का निवल लाभ	18.3	20.2
(ii) कुल आस्तियों का निवल लाभ	2.0	2.3

अ : अनंतिम

स्रोत : भा.रि.बैंक की पर्यवेक्षी विवरणियां

²⁵ मार्च, 2014 को 465 एनबीएफसीज-एनडी-एसआई थे।

आस्ति गुणवत्ता

2.61 एनबीएफसीज़-एनडी-एसआई क्षेत्र की आस्ति गुणवत्ता मार्च 2013 की तिमाही के अंत से क्षीण हो रही है (चार्ट 2.34)। रिजर्व बैंक ने बैंकों एवं एनबीएफसी दोनों को एनपीए से होने वाले दबाव को दूर करने के उद्देश्य से अलग-अलग दिशानिर्देश जारी किया है। एनबीएफसी को सूचित किया गया कि वे अपने खातों में प्रारंभिक दबाव को पहचानें और उप-आस्ति श्रेणी बनाएं यथा, स्पेशल मेंशन खाता (एसएमए), जिसे अतिदेय मूलराशि या ब्याज भुगतान को ध्यान में रखने के साथ-साथ उनके खातों की दुर्बलता के आधार पर और तीन उप-श्रेणियों (यथा, एसएमए-0, एसएमए-1 एवं एसएमए-2) में विभाजित किया गया है। उन्हें यह भी निदेश दिया गया कि वे संगत ऋण संबंधी जानकारी सेन्ट्रल रिपोजिटरी ऑफ इम्फॉर्मेशन ऑन लार्ज क्रेडिट्स (सीआरआईएलसी) को दें।


पूंजी पर्याप्तता

2.62 दिशानिर्देशों के अनुसार, एनबीएफसी-एनडी-एसआई को चाहिए कि वे निम्नतम पूंजी बनाए रखें जिसमें टियर I²⁶ एवं टियर II पूंजी शामिल हो और यह उनकी कुल जोखिम-भारित आस्तियों के 15 प्रतिशत से कम नहीं होनी चाहिए। मार्च 2014 की स्थिति के अनुसार, सामान्यतः, एनबीएफसी-एनडी-एसआई की पूंजी पर्याप्तता स्थिति सुखद रही और विवेकपूर्ण मानदंडों से बहुत ऊपर थी। फिर भी, एनबीएफसी-एनडी-एसआई का सीआरएआर सितंबर 2013 के 29.0 प्रतिशत की ऊंचाई से गिरकर मार्च 2014 में 27.2 प्रतिशत रह गया। यह बाद में सितंबर 2014 की तिमाही के अंत तक 27.8 प्रतिशत हो गया (चार्ट 2.35)।

लाभप्रदता


2.63 पिछली तीन तिमाहियों में लगभग 2.3 प्रतिशत के स्तर पर बने रहने के बाद एनबीएफसी-एनडी-एसआई का आस्तियों पर प्रतिलाभ (आरओए) सितंबर 2014 में बढ़कर 2.5 प्रतिशत हो गया (चार्ट 2.36)।

चार्ट 2.34 : एनबीएफसी - एनडी - एसआई की आस्ति गुणवत्ता




स्रोत : भा.रि.बैंक की पर्यवेक्षी विवरणियां

चार्ट 2.35 : एनबीएफसी - एनडी - एसआई का जोखिम भारित आस्तियों के अनुपात की पूंजी



स्रोत : भा.रि.बैंक की पर्यवेक्षी विवरणियां

चार्ट 2.36 : एनबीएफसी - एनडी - एसआई की आस्तियों पर प्रतिफल में प्रवृत्ति



स्रोत : भा.रि.बैंक की पर्यवेक्षी विवरणियां

²⁶ 10 नवंबर 2014 को जारी संशोधित दिशानिर्देशों के अनुसार एनबीएफसीज़-एनडी-एसआई (₹. 5 बिलियन का आस्ति आकार - नई परिभाषा) के लिए निम्नतम टियर I पूंजी में संशोधन कर उसे 10 प्रतिशत (पूर्व में टियर I पूंजी 7.5 प्रतिशत से कम नहीं हो सकता है) कर दिया गया है और इन कंपनियों द्वारा चरणबद्ध रूप में अनुपालन किया जाना है: मार्च 2016 के अंत तक 8.5 प्रतिशत; और मार्च 2017 के अंत तक 10 प्रतिशत।

दबाव परीक्षण - ऋण जोखिम

प्रणालीगत स्तर

2.64 सितंबर 2014 की समाप्त अवधि के लिए पूरे एनबीएफसी क्षेत्र²⁷ का ऋण जोखिम संबंधी दबाव परीक्षण तीन परिदृश्यों में किया गया है: (i) सकल एनपीए में 0.5 (एसडी) की वृद्धि हुई (ii) सकल एनपीए में 1 एसडी की वृद्धि हुई और (iii) सकल एनपीए बढ़कर 3 एसडी हो गई। परिणाम बताते हैं कि प्रथम दो परिदृश्यों के अंतर्गत एनबीएफसी क्षेत्र का सीआरएआर समान रहा जबकि तृतीय परिदृश्य में यह 23.6 प्रतिशत के स्तर से घटकर 23.0 प्रतिशत रह गया।

व्यक्तिगत एनबीएफसी

2.65 व्यक्तिगत एनबीएफसी का भी इसी अवधि के लिए और इन्हीं तीन परिदृश्यों के अंतर्गत ऋण जोखिम संबंधी दबाव परीक्षण किया गया। परिणाम बताते हैं कि परिदृश्य (i) और (ii) के अंतर्गत लगभग 1.6 प्रतिशत कंपनियां 15 प्रतिशत की निम्नतम विनियामक पूंजी संबंधी आवश्यकताओं का अनुपालन नहीं कर पाएंगी जबकि तृतीय परिदृश्य के अंतर्गत 4.1 प्रतिशत कंपनियां निम्नतम विनियामक सीआरएआर मानदंड का अनुपालन नहीं कर पाएंगी।

अंतरसंबद्धता


अंतरबैंक बाजार की प्रवृत्ति

2.66 चलनिधि के साथ-साथ दीर्घावधि उपयोगकर्ताओं के लिए बैंकों की अंतरबैंक बाजार पर निर्भरता कतिपय उल्लेखनीय प्रवृत्ति दिखाती है। मात्रा की दृष्टि से बाजार का आकार पिछली दस तिमाहियों में लगभग 6 से 8 ट्रिलियन रुपए के दायरे में रहने के कारण कुल बैंकिंग क्षेत्र आस्तियों के प्रतिशत के रूप में बाजार में तेजी से गिरावट देखी गई (चार्ट 2.37)।

2.67 सितंबर 2014 की स्थिति के अनुसार सरकारी क्षेत्र के बैंकों की बाजार में 70 प्रतिशत हिस्सेदारी थी और वे बाजार में सबसे बड़े खिलाड़ी थे। फिर भी, अंतरबैंक बाजार में विदेशी बैंकों का हिस्सा मार्च 2012 से लगातार घटा है (चार्ट 2.38)।


चार्ट 2.37 : अंतर बैंक बाजार का आकार

(कुल बैंकिंग क्षेत्र की आस्तियों की प्रतिशत के रूप में)



स्रोत : भा.रि.बैंक की पर्यवेक्षी विवरणियां।

चार्ट 2.38 : अंतर बैंक बाजार में विभिन्न बैंक समूहों का हिस्सा




टिप्पणी : अंतरबैंक बाजार की संरचना उधार देने के साथ ही साथ उधार लेने -दोनों पर आधारित है।

स्रोत : भा.रि.बैंक की पर्यवेक्षी विवरणियां।

²⁷ इसमें एनबीएफसी-डी और एनबीएफसी-एनडी-एसआइ शामिल हैं।

चार्ट 2.39 : अंतर बैंक उधारी
(कुल आस्तियों के प्रतिशत के रूप में)




स्रोत : भा.रि.बैंक की पर्यवेक्षी विवरणियां।

2.68 प्रत्येक बैंक समूह का उनकी संबंधित कुल आस्तियों की तुलना में अंतरबैंक बाजार में उधार देने और उधार लेने का अनुपात²⁸ विशेष समूह द्वारा प्रयोग में लाए गए बिजनेस मॉडल का महत्वपूर्ण संकेतक है। विदेशी बैंकों, जिसका तत्संबंधी अनुपात सबसे अधिक था, में अभी हाल में तेजी से गिरावट देखी गई (चार्ट 2.39 एवं 2.40)।

2.69 सितंबर 2014 की स्थिति के अनुसार अंतरबैंक बाजार मुख्यतः निधि आधारित (एक्सपोजर का लगभग 80 प्रतिशत) रहा (चार्ट 2.41)। समूचे बैंकिंग क्षेत्र ने अपनी कुल बाह्य देयताओं का लगभग 6 प्रतिशत बाजार से जुटाया है (चार्ट 2.42)।


2.70 अंतर बैंक बाजार में निधि आधारित एक्सपोजर का काफी हिस्सा अल्पावधि स्वरूप का है। बैंक द्वारा जारी जमा प्रमाणपत्र (सीडीज़) का इस क्षेत्र में बड़ा योगदान है। अल्पावधि अंतरबैंक बाजार का कुल निधि आधारित अंतरबैंक बाजार के प्रतिशत के रूप

चार्ट 2.40 : अंतर बैंक उधार
(कुल बैंकिंग आस्तियों के प्रतिशत के रूप में)




स्रोत : भा.रि.बैंक की पर्यवेक्षी विवरणियां।

चार्ट 2.41 : अंतर बैंक बाजारों में निधि आधारित एवं गैर-निधि आधारित एक्सपोजर



चार्ट 2.42 : निधि आधारित अंतर बैंक उधार
(कुल बाहरी देयताओं के प्रतिशत के रूप में)



स्रोत : भा.रि.बैंक की पर्यवेक्षी विवरणियां।

²⁸ उधार लेने और उधार देने का तात्पर्य देय एवं प्राप्य से है जो अंतरबैंक बाजार में निधि आधारित और गैर-निधि आधारित अंतरण दोनों से संबंधित है। गैर-निधि आधारित एक्सपोजर में डेरिवेटिव की स्थिति भी शामिल है जो बैंकों ने एक-दूसरे के संबंध में लिया है। डेरिवेटिव्स के लिए सकारात्मक एमटीएम एवं ऋणात्मक एमटीएम आंकड़ों (सकल आधार पर) को क्रमशः प्राप्य एवं देय के रूप में माना गया है।


में आकार सितंबर 2014 की स्थिति के अनुसार 41 प्रतिशत रहा (चार्ट 2.43)।

बैंकिंग प्रणाली की नेटवर्क संरचना

2.71 बैंकिंग प्रणाली, संबद्धता अनुपात²⁹ से अभी भी पर्याप्त रूप से जुड़ा हुआ है, जो अंतरसंबद्धता का एक सीधा अनुमान है और यह पिछले तीन वर्षों में लगातार 20 प्रतिशत से अधिक रहा है। बैंकिंग प्रणाली की नेटवर्क संरचना³⁰ जिसे टियर³¹ का रूप दिया गया है, दर्शाती है कि पिछले दो वर्षों में संबद्धता की दृष्टि से अत्यंत संबद्ध बैंक समान ही रहे हैं। साथ ही, प्रणालीगत रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण³² बैंक समान रहे हैं। अंतरबैंक बाजार में सरकारी क्षेत्र के बैंक निवल ऋणदाताओं की दृष्टि से सबसे आगे हैं जबकि निवल उधारकर्ताओं की दृष्टि से निजी क्षेत्र के बैंक सबसे आगे हैं (चार्ट 2.44)।


चार्ट 2.43: अल्पावधि अंतर बैंक बाजार

(कुल निधि आधारित अंतर बैंक बाजार का प्रतिशत)



स्रोत : भार.रि.बैंक की पर्यवेक्षी विवरणियां।

चार्ट 2.44 : भारतीय बैंकिंग प्रणाली का नेटवर्क संरचना³³ - (सितंबर 2014)



स्रोत : भार.रि.बैंक की पर्यवेक्षी विवरणियां तथा स्टॉफ का आकलन।

²⁹ संबद्धता अनुपात सभी संभावित कड़ियों की तुलना में नेटवर्क में वास्तविक कड़ी का माप है।

³⁰ विश्लेषण में प्रयोग किए गए नेटवर्क मॉडल का विकास प्रोफेसर शेरी मारकोस (यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्सेक) एवं डॉ. साहमन जोयेनसंत (बाथ यूनिवर्सिटी) द्वारा वित्तीय स्थिरता इकाई, भारतीय रिजर्व बैंक के सहयोग से किया गया है।

³¹ टियर संरचना में भिन्न-भिन्न संस्थाओं का नेटवर्क में अन्य के साथ भिन्न-भिन्न स्तर की संबद्धता है। वर्तमान विश्लेषण में, सबसे अंदरूनी कोर (चार्ट 2.44 में नेटवर्क रेखा-चित्र के बीचोबीच) अत्यधिक संबद्ध है। बैंकों को मध्य कोर, बाह्य कोर एवं बाह्य सतह (संबंधित कॉन्सेंट्रिक सर्किल रेखा-चित्र के लगभग बीच में है) में उनकी संगत संबद्धता के स्तर के आधार पर रखा गया है।

³² अधिकतम ईजेलवैल्यू माप, जो मापदंड के रूप में संबद्धता एवं निवल उधार स्थिति दोनों का उपयोग करता है, प्रणालीगत दृष्टि से महत्वपूर्ण बैंक का निर्णय करता है।


³³ लाल और नीले घेरे क्रमशः निवल उधारकर्ता एवं निवल उधारदाता की ओर संकेत करती हैं। गेंदों के आकार का भार संबंधित बैंकों की निवल स्थितियों के आधार पर किया जाता है। बैंकों के बीच के संबंध को दर्शाने के लिए तीर का उपयोग किया गया है जो बकाया अंतरण की दिशा दर्शाती है। अंदर की ओर आता तीर (इन-डिग्री) निवल प्राप्य है जबकि बाहर की ओर जाता तीर (आउट-डिग्री) निवल देय है। तीर की मोटाई का भार एक्सपोजर के आकार के आधार पर किया जाता है।

वित्तीय प्रणाली में अंतरसंबद्धता

2.72 भारतीय वित्तीय प्रणाली की नेटवर्क संरचना के प्रति बेहतर दृष्टिकोण तभी पनपेगा जब अंतरबैंक बाजार के विश्लेषण में अन्य दो अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्रों नामतः, आस्ति प्रबंध कंपनियों (एएमसी) जो म्युचुअल फंड का प्रबंध करती हैं और बीमा कंपनियों³⁴ को शामिल किया जाएगा। इस व्यापक बाजार का आकार सितंबर 2014 की स्थिति के अनुसार 12 ट्रिलियन रुपए से अधिक रहा जो अंतरबैंक बाजार के आकार से करीब-करीब दुगुना है। इस प्रणाली में म्युचुअल फंड एवं बीमा कंपनी दोनों निधि के सर्वाधिक प्रदाता हैं जबकि निधि पाने वालों में पीएसबीज सबसे आगे हैं। बैंकिंग क्षेत्र द्वारा म्युचुअल फंड एवं बीमा कंपनियों से उगाही गई कुल निधि 5.5 ट्रिलियन रुपए (चार्ट 2.45) है।

2.73 एक भिन्न दृष्टिकोण से देखे जाने पर पाया गया कि एएमसी एवं बीमा कंपनियों द्वारा अपनी संबंधित प्रबंधनाधीन आस्तियों (एयूएम) के प्रतिशत के रूप में बैंकिंग क्षेत्र में भारी निवेश³⁵ किए गए थे। वित्तीय प्रणाली में भिन्न-भिन्न क्षेत्रों के बीच की अंतरसंबद्धता के कारण दबाव काल की स्थिति में प्रणाली को

चार्ट 2.45 : आस्ति प्रबंधन कंपनियों (एएमसीएस) तथा बीमा कंपनियों से बैंकिंग क्षेत्र द्वारा एकत्रित निधियां



टिप्पणियां: कुल आस्तियां केवल तुलन-पत्र की मदों पर आधारित है।

स्रोत : भा.रि.बैंक की पर्यवेक्षी विवरणियां।

संक्रामक जोखिम का खतरा रहता है। इसके बावजूद वित्तीय संस्थाओं के बीच अंतरसंबद्धता की अपनी विशेषता है (बॉक्स 2.1)।

बॉक्स 2.1: वित्तीय प्रणाली में अंतरसंबद्धता - कितना महत्वपूर्ण और कितना जोखिम

वित्तीय प्रणाली के अनेक विशेषताओं का संकट पश्चात् का अनुभव, जिन पर पहले अत्यधिक ध्यान नहीं दिया गया था, कई नए विनियामक मानदंडों पर फिर से विचार करने का कारण बना। अत्यधिक ध्यान देने की बात यह है कि व्यक्तिगत संस्थाओं पर नज़र रखने के अतिरिक्त वित्तीय प्रणाली के व्यष्टिगत दृष्टिकोण के महत्व को स्वीकार किया गया। अनेक संरचनाओं में से उभर कर सामने आनेवालों में है - टू कनेक्टेड टू फेल (टीसीटीएफ)। अमरीका का अनुभव कि उनकी एक संस्था के पतन की वजह से दर्जनों संस्थाएं डूब गईं क्योंकि सबका निवेश समान था, इस वजह से पूरा विश्व वित्तीय संस्थाओं के बीच मौजूद अंतरसंबद्धता के तथ्य पर सक्रियता से विचार करने लगा। तत्पश्चात् अंतरसंबद्धता को मानक निर्माण निकायों द्वारा प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण वित्तीय संस्थाओं की पहचान करने के लिए एक मापदंड के रूप में स्वीकार किया गया।

फिर क्यों पूरे विश्व में नेटवर्क मॉडल का उपयोग वित्तीय संस्थाओं में अंतरसंबद्धता का आकलन करने के लिए लगातार बढ़ रहा है? उत्तर इस तथ्य में निहित है कि वित्तीय नेटवर्क जटिल एवं

अनुकूलनीय प्रणाली है। ये इसलिए जटिल है क्योंकि वित्तीय संस्थाओं में शामिल अंतरसंबद्धता व्यापक एवं अनुकूलनीय है क्योंकि प्रणाली में व्यक्तिगत संस्थाएं हमेशा सर्वोत्कृष्ट स्थिति में रहना पंसद करती हैं, तथापि उन्हें पूरी जानकारी नहीं दी गई है। इस प्रकार की जटिल अनुकूलनीय प्रणाली संकटकालीन स्थिति में हानि को कई गुना बढ़ा सकती है। बिल्कुल ऐसा ही लेहमनब्रदर्स के पतन के दौरान हुआ जब कई संस्थाओं ने अपने दरवाजे बंद कर दिए और संस्थाओं को नकदी प्रदान करने से मना कर दिया था, केवल इसलिए कि उन्हें संक्रमण से पीड़ित होने का भय था।

पहली बात है कि, नेटवर्क मॉडल अमुक प्रणाली में संबंधों की संरचना एवं पद्धति को समझने में मदद करता है। यदि उच्च केन्द्रीयता अंकों वाली संस्थाएं प्रणाली में भारी निवल उधारकर्ता भी हैं तब किसी ऐसी संस्था की विपत्ति की स्थिति में संभावित स्थिरता संबंधी मुद्दे खड़े हो सकते हैं। इस प्रकार के संकेत विनियामक को प्रणाली में उपलब्ध पुराने स्रोतों के पुनर्मूल्यांकन और प्रतिसक्रिय उपाय करने में मूल्यवान सहयोग प्रदान कर सकता है।

³⁴ विश्लेषण के लिए 21 बीमा कंपनियों एवं म्युचुअल फंड के प्रबंधन के लिए 19 आस्ति प्रबंध कंपनियों (एएमसीज) को सैम्पल में शामिल किया गया है।

³⁵ वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट, जून 2014

संक्रामकता का विश्लेषण

2.74 संक्रामकता का विश्लेषण³⁶ बैंकिंग प्रणाली को किसी एक या कई बैंकों से होने वाली संभावित हानि का अनुमान लगाने के लिए किया जाता है। यद्यपि इस प्रकार के विश्लेषण काल्पनिक प्रतीत होते हैं लेकिन बैंकों की विषाक्तता के सही संकेतक हैं। इसका परिणाम प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण बैंकों की पहचान करने में अतिरिक्त सहयोग प्रदान करता है। आमतौर पर तीन प्रकार से संक्रामकता का विश्लेषण किया जाता है नामतः शोधक्षमता संक्रामकता, चलनिधि संक्रामकता एवं संयुक्त चलनिधि-शोधक्षमता संक्रामकता। शोधक्षमता संक्रामकता वित्तीय प्रणाली में निवल उधारकर्ता वाले बैंक के डूबने से आने वाले संकट का सूचक है दूसरी तरफ, चलनिधि संक्रामकता निवल उधारदाता बैंक से पनपती है। वास्तविक लोक में शोधक्षमता एवं चलनिधि संक्रामकता दोनों वित्तीय प्रणाली में प्रत्यक्ष रूप से मौजूद सक्रिय तत्वों के कारण साथ-साथ उभरती हैं।

2.75 ट्रिगर बैंक के रूप में एक-दूसरे से जुड़े शीर्ष के पांच बैंकों का विश्लेषण बताता है कि यदि कोई बैंक संक्रामकता का शिकार बनता है तो संयुक्त शोधक्षमता-चलनिधि स्थिति में बैंकिंग प्रणाली को अपनी कुल टियर I पूंजी का लगभग 50

प्रतिशत की हानि उठानी पड़ सकती है (सारणी 2.13)। इस बात पर ध्यान दिया जाए कि बैंक ई जो एकल आधार पर भारी शोधक्षमता या चलनिधि संक्रामकता पैदा नहीं करता, संयुक्त परिदृश्य में बड़ा असर डाल सकता है। क्योंकि बैंक ई किसी अमुक बैंक के लिए संकट पैदा करता है और इस प्रकार उस बैंक के माध्यम से संक्रामकता फैलता है। यह न केवल अंतरसंबद्धता बल्कि निगरानी की महत्ता को रेखांकित करता है और साथ ही इस कड़ी में शामिल प्रतिपक्षियों एवं एक्सपोजर की मात्रा को भी।

सारणी 2.13: अंतरसंबद्ध शीर्ष -5 बैंकों द्वारा प्रणाली में उत्पन्न होने वाला संक्रामकता

उत्पन्न करने वाले (ट्रिगर) बैंक	बैंकिंग प्रणाली की कुल टियर-I पूंजी की प्रतिशत हानि		
	ऋण-शोधन क्षमता संक्रमण	चलनिधि संक्रमण	संयुक्त ऋण-शोधन क्षमता - चलनिधि संक्रमण
बैंक ए	3.4	13.7	37.1
बैंक बी	0.7	11.2	49.5
बैंक सी	5.5	0.9	42.5
बैंक डी	0.5	2.1	2.7
बैंक ई	4.4	3.3	47.5

स्रोत : भा.रि. बैंक की पर्यवेक्षी विवरणियां तथा स्टॉफ का आकलन।।

³⁶ कार्य-प्रणालियों एवं परिकल्पनाओं के विवरण अनुबंध 2 में दिए गए हैं।

अध्याय III

वित्तीय क्षेत्र का विनियमन और मूलभूत संरचना

अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का जोखिम भारित आस्तियों की तुलना में पूंजी अनुपात (सीआरएआर) सितंबर, 2014 में जहां 12.8 प्रतिशत पर संतोषजनक है, वहीं आगे चलकर बैंकिंग क्षेत्र, विशेषकर सरकारी क्षेत्र के बैंकों के लिए अतिरिक्त पूंजी बफर के संबंध में विनियामकीय अपेक्षा को पूरा करने के लिए और अधिक पूंजी की आवश्यकता पड़ेगी।

जानबूझकर की गई चूक के मामलों को अलग-अलग करके देखने के संबंध में विनियामक द्वारा अधिक ध्यान देने के कारण और घाटे के कारण उत्पन्न होने वाली चूकों के संबंध में प्रवर्तकों की समान सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए इस बात की आवश्यकता है कि बड़े कार्पोरेट ऋण पुनः संरचना मामलों में निवल आर्थिक प्रभाव मूल्यांकन करने की प्रक्रिया में और अधिक पारदर्शिता लाई जाए। इससे जुड़ा एक अन्य पहलू, जो बैंकों की आस्ति गुणवत्ता को प्रमाणित करता है, वह है कार्पोरेट लीवरेज और बैंकों के तुलन पत्रों पर उसका प्रभाव, खासतौर से होल्डिंग कंपनी स्ट्रक्चर द्वारा 'दोगुनी लीवरेजिंग' तथा प्रवर्तकों द्वारा शेयरों को गिरवी रखना।

भारतीय शेयर बाजार ने हाल के महीने में तेजी से प्रगति की है। जहां उसमें खुदरा निवेशकों का आधार अभी भी अपेक्षाकृत कम है, वहीं भारत के शेयर बाजार भारी मात्रा में विदेशी निवेश आकर्षित कर रहे हैं, लेकिन उसकी वापसी के कारण उत्पन्न होने वाला जोखिम बढ़ गया है। भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) ने स्थायी निपटान गारंटी निधि के रूप में एक अतिरिक्त सुरक्षा कवच बनाया है जिससे सौदे के निपटान में संभावित चूक के जोखिम को समाप्त किया जा सके और घरेलू पूंजी बाजार में जोखिम प्रबंधन ढांचे को मजबूत किया जा सके।

वास्तविक उपयोगकर्ताओं/हेजर्स की सहभागिता बढ़ाने और बाजार में मूल्य-निर्धारण की गुणवत्ता बेहतर बनाने के लिए वायदा बाजार आयोग (एफएमसी) ने पोजीशन लिमिट को संशोधित किया है जो प्रश्नागत वस्तुओं के अनुमानित उत्पादन तथा आयातों से संबद्ध होती हैं।

अनधिकृत रूप से जमाराशियां स्वीकार करने एवं वित्तीय धोखाधड़ी से संबंधित मामलों से निपटने के लिए वित्तीय स्थिरता और विकास संघ (एफएसडीसी) की पहल के अंतर्गत राज्य स्तरीय समन्वय समिति (एसएलसीसी) को और मजबूत बनाया गया है।

वैश्विक विनियामक सुधार कार्यक्रम से संबंधित प्रगति

3.1 वैश्विक वित्तीय संकट की प्रतिक्रिया के रूप में जी20 के तत्वावधान में किए गए वित्तीय क्षेत्र संबंधी सुधार कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य कुछ उन्नत क्षेत्राधिकारों के वित्तीय विनियमन और पर्यवेक्षण, जिसके चलते वैश्विक संकट पैदा हुआ अथवा बढ़ा था, की खामियों को सुधारना था। प्रस्तावित अधिकांश विनियामक सुधार उपायों (उदाहरण के लिए बैंकिंग पूंजी और चलनिधि विनियमन, टू-बिग-टू-फेल, छाया बैंकिंग और अन्य में ओटीसी डेरिवेटिव) की रूपरेखा के संबंध में एक व्यापक समझौता किया गया है और इन उपायों का कार्यान्वयन स्पष्ट सिद्धांतों और समय-सीमा¹ के आधार पर किया जा रहा है। इसके कार्यान्वयन का समन्वयन राष्ट्रीय विनियामक, पर्यवेक्षी और नीति-निर्माता

प्राधिकरण और अंतरराष्ट्रीय मानक-निर्धारण करने वाले निकाय की सक्रिय सहभागिता के साथ वित्तीय स्थिरता बोर्ड (एफएसबी) द्वारा किया जा रहा है ताकि वैश्विक वित्तीय प्रणाली को और अधिक सुरक्षित, आघातों के प्रति और अधिक लोचदार तथा मजबूत बनाया जा सके और आर्थिक वृद्धि को प्रोत्साहित करने के लिए वास्तविक क्षेत्र की आवश्यकताओं को पूरा करने में अधिक कुशल एवं स्थाई बनाया जा सके।

बासेल III- बैंकिंग पूंजी और चलनिधि मानक

अंतरराष्ट्रीय बैंकों के पूंजी अनुपात में सुधार

3.2 बैंकिंग पूंजी और चलनिधि से संबंधित की गई विनियामक पहल से वैश्विक बैंकिंग प्रणाली सुदृढ़ हुई है। पिछले तीन वर्षों के दौरान अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय बड़े बैंकों के

¹ एफएसबी (2014बी), “जी 20 नेताओं को प्रस्तुत वित्तीय स्थिरता बोर्ड की वित्तीय स्थिरता को सुदृढ़ करने संबंधी रिपोर्ट से संबंधित जी 20 सिफारिशों के कार्यान्वयन में हुई प्रगति का विवरण” नवंबर [http://www.financialstabilityboard.org/wp-content/uploads/Overview-of-Progress-in-the-Implementation-of-the-G20-Recommendations-for-Strengthening-Financial-Stability.pdf पर उपलब्ध]।


पूँजी अनुपात में सुधार देखा गया है²। मौजूदा लागू विनियामक ढांचे के अंतर्गत इन बैंकों का औसत सामान्य इक्विटी टियर I (सीईटी 1) पूँजी अनुपात 2013 की दूसरी छमाही के दौरान उनकी जोखिम-भारित आस्तियों के 10.2 प्रतिशत से बढ़कर 11.4 प्रतिशत हो गया है (चार्ट 3.1)। यदि बासेल III ढांचे से संबंधित सभी प्रावधान दिसंबर 2013 को लागू होते, तो इन बैंकों का औसत सीईटी 1 पूँजी अनुपात बासेल III के तहत पात्र पूँजी की नई परिभाषा, कटौतियां जो अधिकांश देशों में टियर 1 के सामान्य इक्विटी औसत पर पहले लागू नहीं थीं, और जोखिम भारित आस्तियों में बढ़ोतरी के चलते 11.4 प्रतिशत से घटकर 10.2 प्रतिशत रहा जाता। तथापि, यह परिवर्तन विशेष रूप से, बासेल III द्वारा तुलन पत्रों पर पड़ रहे तत्काल प्रभाव को शांत करने के लिए उपलब्ध कराया गया है।

3.3 जैसा कि बैंकों को नए विनियामक और कारोबारी यथार्थताओं को अपनाना है, इसलिए लाभप्रदता पर पड़ने वाला प्रभाव पूँजी बफर बनाने और ऋण मांग को पूरा करने की उनकी क्षमता में दिक्कत पैदा कर सकता है। इन बैंकों को अपने कारोबार मॉडल, जिसमें मौजूदा कारोबार स्वरूप में पुनः मूल्य-निर्धारण करना, सभी गतिविधियों में पूँजी का पुनः आबंटन करना अथवा पूर्ण किफायत करना शामिल है, में बुनियादी तौर पर सुधार करने की जरूरत है।

पूँजी संवर्द्धन : 'निपुणता-निरर्थकता' - एक परिप्रेक्ष्य

3.4 यद्यपि, बैंकों की पूँजी पर्याप्तता से संबंधित बासेल समिति के वैश्विक विनियामक मानकों से दीर्घावधि में पूँजी अनुपात में मजबूती आएगी, किंतु इन मानकों के चलते पूँजी लागत में भी बढ़ोतरी हो सकती है और जिसके कारण हो सकता है कि ऋण की लागत और आर्थिक वृद्धि पर प्रभाव पड़े और बैंकों को इक्विटी पर प्रतिलाभ बनाए रखने के लिए आक्रमक और अधिक जोखिमपूर्ण नवोन्मेष उपाय करने के लिए बाध्य करे। इसी वजह से अतिरिक्त

चार्ट 3.1 : मौजूदा ढांचे के अंतर्गत औसत सीईटी 1, टियर 1 तथा कुल पूँजी अनुपात



स्रोत : बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बासेल समिति

पूँजी जिसे बैंक को जुटाना है, में शामिल निपुणता-निरर्थकता संबंधी लेनदेनों पर चर्चा शुरू हो गई है। इसके अतिरिक्त, पूँजी अनुपातों में हुए सुधार से यह जरूरी नहीं है कि बैंकिंग संस्थाओं की क्षमता में स्वतः सुधार हो जाए और इसके अलावा, अनेक कारणों से उनके पूँजी अनुपातों में सुधार हो सकता है जिससे वे आर्थिक विकास में अपना योगदान दे सकते हैं।

3.5 पूर्व में जारी वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट में बासेल ढांचे के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के जोखिम के लिए विशेष रूप से आंतरिक मॉडल पर आधारित दृष्टिकोण के तहत जोखिम भार के प्रबंध से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की गई है। सभी क्षेत्राधिकारों में कार्यान्वयन की तुलनीयता को सुदृढ़ करने के दृष्टिकोण में बासेल समिति ने जोखिम-भार निर्देश में विवेकाधिकार देने का विश्लेषण शुरू कर दिया है ताकि यह समझा जा सके कि वे पूँजी मानकों की अनिश्चित घट-बढ़ में कितना योगदान करते हैं। बैंकिंग बही और व्यापार बही की जोखिम-भारित आस्तियों के घट-बढ़ से संबंधित हाल में किए गए अध्ययन³ में इसका उल्लेख किया गया है। आगे, इन विवेकाधिकारों में से कई अधिकारों

² बीसीबीएस(2014_ह), 'बासेल III निगरानी रिपोर्ट', अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक, सितंबर (<http://www.bis.org/publ/bcbc289.pdf> पर उपलब्ध)।

³ बीसीबीएस(2013_ह), विनियामक अनुरूपता मूल्यांकन कार्यक्रम (आरसीएपी) - बाजार जोखिम के लिए जोखिम भारित आस्तियों का विश्लेषण, अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक, फरवरी (<http://www.bis.org/publ/bcbs240.pdf> पर उपलब्ध)।

बीसीबीएस(2013_ह), विनियामक अनुरूपता मूल्यांकन कार्यक्रम (आरसीएपी) - बैंकिंग बही में ऋण जोखिम के लिए जोखिम भारित आस्तियों का विश्लेषण, अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक, जुलाई (<http://www.bis.org/publ/bcbs256.pdf> पर उपलब्ध)।

बीसीबीएस(2013_ह), विनियामक अनुरूपता मूल्यांकन कार्यक्रम (आरसीएपी) - बैंकिंग बही में बाजार जोखिम के लिए जोखिम भारित आस्तियों से संबंधित दूसरी रिपोर्ट, अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक, दिसंबर (<http://www.bis.org/publ/bcbs267.pdf>) पर उपलब्ध)।

को 2015⁴ में हटाए जाने का प्रस्ताव है। इसके अलावा, बासेल समिति अन्य नीतिगत उपायों एवं बेंचमार्क का परीक्षण कर रही है ताकि विनियामकीय निरंतरता मूल्यांकन प्रक्रिया के भाग के रूप में अत्यधिक निरंतरता सुनिश्चित की जा सके।

3.6 बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बासेल समिति (बीसीबीएस) द्वारा 3 प्रतिशत के न्यूनतम लिवरेज अनुपात की शुरुआत करने का उद्देश्य बैंकिंग क्षेत्र में लिवरेज बढ़ने से रोकने और साधारण व गैर-जोखिम आधारित 'समर्थित उपाय' के साथ-साथ जोखिम आधारित पूंजी जरूरत उपायों को सुदृढ़ करना है। रिजर्व बैंक ने समांतर अवधि के लिए 4.5 प्रतिशत का टियर-I न्यूनतम लिवरेज अनुपात निर्धारित किया है।

'टू बिग टू फेल' से निपटने के लिए सख्त पूंजी उपायों संबंधी प्रस्ताव

3.7 वैश्विक प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण बैंकों (जि-सिब)⁵ की हानि-वहन करने और पुनःपूंजीकरण क्षमता की पर्याप्तता से संबंधित नीतिगत प्रस्ताव पर जि-सिब के लिए 'अव्यवहार्य संस्थाओं की हानि-वहन-क्षमता' (जीएलएसी) हेतु एक समान न्यूनतम जरूरत बनाने पर विचार किया जा रहा है। प्रस्ताव में जि-सिब की हानि-वहन करने की क्षमता पर लोगों की राय लेने हेतु हाल ही में औपचारिक सिद्धांत⁶ जारी किए गए हैं, एफएसबी ने आरडब्ल्यूए के 16 से 20 प्रतिशत के भीतर निर्धारित किए जाने वाली एकल न्यूनतम स्तंभ I 'कुल हानि-वहन- क्षमता (टीएलएसी)' जरूरत का प्रस्ताव इस शर्त के तहत किया है कि लिवरेज अनुपात संबंधी जरूरत का न्यूनतम स्तर बासेल III टियर-I से कम-से-कम दोगुना होना चाहिए।

3.8 टीएलएसी जरूरतों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जि-सिब में हानि-वहन करने और पुनः पूंजीकरण की

पर्याप्त क्षमता है ताकि अवश्यक रूप से यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रस्ताव के तुरंत बाद कर अदाकर्ताओं की निधि और वित्तीय स्थिरता को जोखिम में डाले बिना महत्वपूर्ण कार्य जारी रहे। टीएलएसी के कार्यान्वयन और समान स्तंभ 1 न्यूनतम टीएलएसी जरूरत संबंधी अंतिम जांच में इस विचार-विमर्श के परिणामों और मात्रा से पड़ने वाले प्रभाव अध्ययन और बाजार सर्वेक्षण जो 2015 की शुरुआत में किया जाएगा, को ध्यान में रखा जाएगा।

3.9 टीएलएसी की अपेक्षाएं भारत के किसी भी बैंक पर लागू नहीं हैं क्योंकि उनमें से कोई भी जी-सिब नहीं है। किंतु जी-सिब के संबंध में टीएलएसी प्रस्ताव के प्रतिकूल प्रभाव से उभरते बाजारों और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं (ईएमडीई) पर पड़ने वाले जोखिम प्रभाव से इंकार नहीं किया जा सकता है।

अधिक पूंजी जरूरतों के प्रभाव का आकलन

3.10 कुछ अध्ययनों⁷ से पता चलता है कि यदि अन्य बातों को स्थिर रखा जाए और यदि दिए गए ऋण के लिए समान इक्विटी अनुपात को 2 प्रतिशत बढ़ा दिया जाए तो बैंकों को अमरीका में उधार दर में 40 तथा यूरोप में 19 आधार अंकों की बढ़ोतरी करनी होगी, तभी वे 12 प्रतिशत के आरओई के स्तर को बनाए रख सकते हैं। यह देखा गया है कि बैंक उधार देने के अंतर से संबंधित बढ़ी लागत को आय के किसी अन्य शीर्ष में समायोजित किए बिना ऋण लेने वाले पर डाल देते हैं। उधार देने की बढ़ी लागत से बैंकिंग क्षेत्र से ऋण उठाव कम हो सकता है।

3.11 वृद्धि के संबंध में बासेल III के कार्यान्वयन से पड़ने वाले प्रभाव का आकलन करने हेतु किए गए अनेक अध्ययनों से पता चलता है कि अधिक पूंजी जरूरत जीडीपी⁸ पर प्रतिकूल

⁴ बीसीबीएस(2014), "बासेल पूंजी ढांचा राष्ट्रीय विवेकशीलता", *अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक*, नवंबर (<http://www.bis.org/bcbs/publ/d297.pdf> पर उपलब्ध)।

⁵ एफएसबी और बीसीबीएस ने नवंबर 2014 में 30 जि-सिब की पहचान की है। जि-सिब की सूची में कोई भी भारतीय बैंक शामिल नहीं है।

⁶ एफएसबी(2014), "प्रस्ताव में वैश्विक प्रणालीगत दृष्टि से महत्वपूर्ण बैंकों (जि-सिब) की हानि-वहन करने की क्षमता की पर्याप्तता", नवंबर [<http://www.financialstabilityboard.org/wp-content/uploads/TLAC-Condoc-6-Nov-2014-FINAL.pdf> पर उपलब्ध]।

⁷ ईलियट डी एस सालॉय और ए ओ सोटोस(2012) वित्तीय विनियमन की लागत का मूल्यांकन, आइएमएफ वर्किंग पेपर, डब्ल्यूपी/12/233, सितंबर [<http://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2012/wp12233.pdf> पर उपलब्ध]।

⁸ (स्लोविक पी. एंड बी कोर्नेडे (2011), बासेल 3 का समष्टिआर्थिक प्रभाव, *औईसीडी इकानामिक्स वर्किंग पेपर* सं. 844 में सुझाव दिया गया है कि पूंजी में 1 प्रतिशत की वृद्धि से 0.04 प्रतिशत की मामूली वार्षिक गिरावट आएगी, वहीं अंतरराष्ट्रीय वित्त संस्था द्वारा किए गए अध्ययन (2011) में पाया गया कि पूंजी जरूरत से जीडीपी में यूएसए में 2.7 प्रतिशत, यूरोपीय संघ में 3.0 प्रतिशत और जापान में 4.0 प्रतिशत की कमी आएगी।

एमएजी(2010), "अंतिम रिपोर्ट- सुदृढ़ पूंजी और चलनिधि के संक्रमण के समति आर्थिक प्रभाव का मूल्यांकन," *अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक*, दिसंबर में लिखा है कि कार्यान्वयन के दौरान वार्षिक वृद्धिदर उसकी बेसलाइन स्तर से 0.3 प्रतिशत बिंदु (अथवा 3 आधार अंक) कम हो जाएगी, जो वृद्धि पर संतुलित प्रभाव होगा।


प्रभाव डाल सकती है। विश्लेषण से यह भी पता चलता है कि ऋण को गैर-बैंक वित्तीय क्षेत्र में स्थानांतरित करने के कारण बासेल III जरूरत का प्रभाव-विस्तार गैर-बैंक वित्तीय क्षेत्र पर पड़ेगा। विशेष रूप से ईएमडी⁹ में बासेल III के कार्यान्वयन के प्रभाव का आलोकन करने के लिए कुछ अन्य अध्ययन किए गए हैं।

भारतीय बैंकों के पूंजी स्तर

3.12 भारत ने 1 अप्रैल 2013 से बासेल III पूंजी ढांचे को लागू किया है। सितंबर 2014 की स्थिति के अनुसार बासेल III के अंतर्गत भारतीय बैंकों के लिए सीआरएआर संतोषजनक स्तर पर अर्थात् (मार्च 2014 के 13 प्रतिशत के प्रति) 12.8 प्रतिशत रहा। पूंजी संरक्षण बफर, प्रतिचक्रीय पूंजी बफर और स्तंभ 2 के तहत पर्यवेक्षी पूंजी के कारण बैंकों पर दबाव बना रहेगा (चार्ट 3.2)। सितंबर 2014 के अंत में सभी बैंक समूहों ने न्यूनतम सीईटी1 और टियर I पूंजी अनुपात की अलग-अलग जरूरत पूरा कर लिया है, यदि भविष्य में पूंजी संरक्षण बफर को पूरा करने के लिए सीईटी1 के रूप में 2.5 प्रतिशत की अतिरिक्त जरूरत पर विचार किया जाता है तो विशेष रूप से सरकारी क्षेत्र के बैंकों के लिए पूंजी की आवश्यकता बढ़ जाएगी।


3.13 अतिरिक्त पूंजी जुटाने के लागत निहितार्थ के अलावा, बैंकों को इस प्रकार का जोखिम वहन करने वाली अतिरिक्त पूंजीगत-1(एटी1) लिखतों के लिए भारत के पूंजी बाजार में सघनता, चलनिधि और पर्याप्त विस्तार संबंधी चुनौतियों का सामना करने की जरूरत पड़ेगी। एक व्यापक फुटकर बाजार न होने पर कतिपय चुनिंदा निवेशक वर्ग और संस्थागत निवेशक, मुख्यतः बीमा कंपनियां, बैंकों द्वारा जारी एटी1 लिखतों की अधिकांश धारिता अपने पास रख लेंगी (चार्ट 3.3)। चूंकि ऐसे संस्थागत निवेशक ऐसी प्रतिभूतियों को अधिकांशतः परिपक्वता तक धारित करते हैं, इसलिए द्वितीयक बाजार में व्यापार के माध्यम से ऐसी लिखतों के मूल्य-निर्धारण का फीडबैक अस्पष्ट रहेगा। प्रभावी बाजार-निर्माण के अभाव में बैंक को इन लिखतों को जारी करने के लिए अपने समूह के अंतरराष्ट्रीय साधियों की तुलना में ज्यादा लागत वहन करनी पड़ेगी। यह मामला पुनः इस

चार्ट 3.2 : बैंकिंग क्षेत्र के पूंजी अनुपात (सितंबर 2014)



स्रोत : भार.रि.बैंक की पर्यवेक्षी विवरणियां तथा स्टाफ का आकलन।

चार्ट 3.3 : बैंकिंग क्षेत्र के दीर्घावधि पूंजी लिखत / बांडों में बीमा कंपनियों¹⁰ का निवेश



स्रोत : भार.रि.बैंक की पर्यवेक्षी विवरणियां तथा स्टाफ का आकलन।

⁹ ए. एब्देल-बाकी मोनल (2012), "उभरती अर्थव्यवस्थाओं पर बासेल III का प्रभाव" ग्लोबल इकॉनामिक जर्नल, 12, अंक 2, पृ. 1-33 में लिखा गया है कि बासेल III के कार्यान्वयन से 47 उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं में 3 प्रतिशत से अधिक अंकों की वृद्धि प्रभावित होगी।

¹⁰ नमूने में देश की सबसे बड़ी 21 बीमा कंपनियां शामिल हैं।

बात पर जोर डालता है कि एक सक्रिय गैर-सरकारी ऋण बाजार विकसित करने की जरूरत है।

3.14 बैंकिंग उद्योग के प्रमुख भाग का स्वामी होने के नाते भारत सरकार ने पिछले चार वर्षों (2011-14) में अपने अंश के रूप में ₹58.6 बिलियन की राशि सरकारी बैंकों में डाली थी और आगे 2014-15 में ₹11.2 बिलियन की राशि और डालने की योजना है। बैंकों द्वारा इक्विटी के तरजीह प्राप्त आबंटन के जरिए ज्यादातर पूंजी लगायी गयी है। सरकार इस अंतराल को भरने के लिए सरकारी क्षेत्र के कुछ बैंकों में अपनी धारिता को कम करके 52 प्रतिशत करने की योजना बना रही है ताकि बैंक बाजार से पूंजी जुटा सके। संभावित गणना से पता चलता है कि आरडब्ल्यूए में 15 प्रतिशत की मध्यम समेकित वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) प्राप्त करने के लिए भी सरकारी क्षेत्र के बैंकों को काफी मात्रा में पूंजी जुटानी होगी।

सरकारी क्षेत्र के बैंकों का बाजार मूल्यन और अंतर्निहित सरकारी गारंटी


3.15 सरकार द्वारा पूंजी अंतःप्रवाह को छोड़कर, सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा पूंजी जुटाने में किए गए प्रयासों को उनके निजी क्षेत्र समूहों की तुलना में अपेक्षाकृत कम इक्विटी मूल्यन के कारण चुनौतियों का सामना करना होगा। पूर्व एफएसआर में सरकारी क्षेत्र के बैंकों के कम मूल्यन के बारे में बात की गई थी। सरकार से अंतर्निहित सहयोग मिलने के बावजूद, कम इक्विटी मूल्यन को इक्विटी मूल्यन हेतु आप्शन प्राइसिंग मॉडल द्वारा उचित ठहराया गया है। अव्यक्त सरकारी गारंटी को इस मॉडल में सीधे शामिल नहीं किया जा सकता है क्योंकि यदि फर्म का मूल्य ऋण के अंकित मूल्य से कम है तो माना जाता है कि देनदार को प्रतिपूर्ति सरकार करे, किंतु इक्विटी निवेशकों को किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति नहीं दी जाएगी। अतः, इक्विटी निवेशकों के निवेशों पर ऋण के अंतर्निहित सरकारी गारंटी का प्रभाव नहीं पड़ेगा। मूल्यन में अंतिम सुधार केवल आस्ति गुणवत्ता, गवर्नेंस संरचना और परिचालनात्मक कुशलता में सुधार होने से हो सकता है।

चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर) संबंधी मानदंड

3.16 रिजर्व बैंक द्वारा जून 2014 को जारी चलनिधि कवरेज अनुपात से संबंधित दिशा-निर्देशों के अनुसार बैंकों को एलसीआर के तहत स्तर 1 उच्च गुणवत्ता वाली तरल आस्तियों (एचक्यूएलए) के रूप में अपनी मार्जिनल स्थाई सुविधा (एमएसएफ) के अंतर्गत रिजर्व बैंक द्वारा अनुमत सीमा तक की सरकारी प्रतिभूतियों को शामिल करने की अनुमति प्रदान की गई है। इसके बाद, बैंकों को उनकी निवल मांग और समय देयताओं (एनडीटीएल) के अतिरिक्त 5 प्रतिशत तक सरकारी प्रतिभूतियों को उनकी अनिवार्य सांविधिक चलनिधि अनुपात के भीतर धारण करने की अनुमति प्रदान की गई (विस्तृत जानकारी के लिए कृपया बॉक्स 3.2 देखें)। एलसीआर में शामिल की गई एचक्यूएलए के रूप में गणना की गई इस प्रकार की सरकारी प्रतिभूतियों को उनके चालू बाजार मूल्य से अधिक की राशि पर मूल्यांकित करने की जरूरत नहीं होगी¹¹।

3.17 सितंबर 2014 की स्थिति के अनुसार बैंकिंग क्षेत्र में ₹.10 ट्रिलियन से अधिक की चलनिधि का बफर है जिसे असमायोजित स्तर 1 एचक्यूएलए¹² द्वारा दर्शाया गया और जो कुल बैंकिंग क्षेत्र की आस्तियों और आरडब्ल्यूए का क्रमशः 13.5 प्रतिशत और 8.2 प्रतिशत हिस्सा है (चार्ट 3.4)। तथापि,

चार्ट 3.4 : बैंकिंग क्षेत्र की उपलब्ध चलनिधियां (असमायोजित स्तर 1-एचक्यूएलए) - (सितंबर 2014)



स्रोत : भा.रि.बैंक की पर्यवेक्षी विवरणियां तथा स्टाफ का आकलन।

¹¹ आरबीआई(2014), "चलनिधि मानकों से संबंधित बासेल III संरचना- चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर), चलनिधि जोखिम निगरानी उपकरण और एलसीआर प्रकटीकरण मानक" 28 नवंबर [http://rbi.org.in/scripts/NotificationUser.aspx?Id=9369&Mode=0 पर उपलब्ध]।

¹² असमायोजित स्तर 1 एचक्यूएलए की गणना अतिरिक्त सीआरआर, अतिरिक्त एसएलआर और उपलब्ध एमएसएफ के रूप में की गई है।

चूंकि प्रत्येक महत्वपूर्ण मुद्रा के लिए एलसीआर को अलग से लेना है, इसलिए भारतीय बैंकों के विदेशी मुद्रा पोर्टफोलियो के लिए बासेल III एलसीआर से संबंधित मानदंडों के कार्यान्वयन का प्रभाव उस तरीके से बहुत अधिक पड़ेगा जिस तरीके से अभी तक कारोबार किया जाता रहा है। वर्तमान में, भारतीय बैंकों के लिए विदेशी मुद्रा कारोबार मॉडल में ऋणात्मक अंतराल पैदा हो गया है (देयताओं की तुलना में आस्तियों की अवधि लंबी हो गई है), जिसमें विदेश मुद्रा एचक्यूएलए का समर्थन नगण्य है। इतना ही नहीं, विदेशी शाखाएं जो विदेशी मुद्रा देयताओं का प्रमुख स्रोत होती हैं, मेजबान देश के चलनिधि विनियमों के अधीन होंगी, जो स्थान-दर-स्थान पर (अर्थात् सकल रूप से) बासेल III मानदंडों के अनुसार कार्यान्वयन करेंगी न कि समेकित आधार पर (अर्थात् निवल), जिससे आगे लागत और बढ़ेगी। प्रमुख करेंसियों में आगे एचक्यूएलए में ऋणात्मक स्थिति को ध्यान में रखते हुए विदेशी परिचालनों की लाभप्रदता तथा प्रमुख बैंकों की विदेशी परिचालनों की लाभप्रदता तथा प्रमुख बैंकों की विदेशी मुद्रा के काफी हद तक प्रभावित होने की संभावना है। इस मामले में भारतीय बैंकों के विदेशी परिचालनों को बनाए रखने के लिए सावधानीपूर्वक लागत-लाभ विश्लेषण करने तथा उभरते हुए चलनिधि विनियमों के अनुसार समुचित कार्यनीति अपनाने की आवश्यकता है।

छाया बैंकिंग


3.18 'छाया बैंकिंग की प्रणाली' की भूमिका को 'ऋण मध्यस्थीकरण करने वाली संस्था और नियमित बैंकिंग प्रणाली के बाहर की गतिविधियों' के रूप में परिभाषित किया गया, वैश्विक वित्तीय संकट से प्राप्त परिणाम में इसे प्रणालीगत जोखिम के स्रोत के रूप में माना गया था। इसका महत्त्व अर्थव्यवस्था में ऋण अथवा चलनिधि की आपूर्ति में इसकी सीधी भूमिका से नहीं था बल्कि अधिक निकट से विनियमित बैंकिंग प्रणाली के साथ इसकी अंतरसंबद्धता से भी था।

3.19 एफएसबी कार्य-पद्धति और वर्गीकरण के अनुसार भारत में छाया बैंकिंग क्षेत्र का आकार लगभग 190 बिलियन अमरीकी डॉलर होने का अनुमान है जो कि विश्व में सबसे अधिक अर्थात् शीर्ष में 15वें स्थान पर है। ब्रिक्स क्षेत्र में छाया बैंकिंग क्षेत्र का सबसे अधिक कारोबार करने वाला भारत तीसरा देश है (चार्ट 3.5)।

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का विनियमन

3.20 इस संबंध में शुरू किए गए वैश्विक सुधार प्रस्तावों का उद्देश्य समुचित निगरानी और विनियामक ढांचा विकसित करना है,


चार्ट 3.5 : ब्रिक्स देशों में छाया बैंकिंग प्रणाली का आकार



स्रोत : एफएसबी

ताकि इससे और छाया बैंकिंग प्रणाली के जरिए होने वाले जोखिम की संभावना को समाप्त किया जा सके। एफएसबी दृष्टिकोण सबसे पहले सभी प्रकार के गैर-बैंक ऋण मध्यस्थीकरण से संबंधित आंकड़े और सूचना एकत्र करने और फिर बाद में गैर-बैंक ऋण मध्यस्थीकरण के ऐसे क्षेत्रों पर ध्यान देने पर आधारित था जहां, परिपक्वता/चलनिधि रूपांतरण और/अथवा ऋण जोखिम अंतरण का प्रवाह और/अथवा लिवरेज से संभवतः महत्त्वपूर्ण प्रणालीगत जोखिम पैदा हो सकता था। भारतीय वित्तीय प्रणाली में जिसे एफएसबी द्वारा छाया बैंकिंग माना गया है, वे मुख्य रूप से गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी) हैं जो कि काफी लंबे समय से विवेकसम्मत विनियमन के अंतर्गत हैं और भारतीय वित्तीय प्रणाली की कुल आस्तियों की तुलना में कम हिस्सा रखती हैं (चार्ट 3.6)।

चार्ट 3.6 : भारतीय वित्तीय प्रणाली की कुल आस्तियों में विभिन्न क्षेत्रों का हिस्सा



स्रोत : भा.रि.बैं., सेबी, ईरडा एवं पीएफआरडीए।

3.21 तथापि, शेष वित्तीय प्रणाली (सारणी 3.1), विशेष रूप से बैंकों के साथ एनबीएफसी की अत्यधिक अंतर-संबद्धता को देखते हुए एनबीएफसी संस्थाएं, दबाव की स्थिति में बैंकों को प्रभावित कर सकती हैं और यदि चलनिधि की कमी की स्थिति में बैंक उन्हें उधार देने की इच्छा जाहिर करते हैं तो बैंकों को चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है।

3.22 इन पक्षों पर विचार करते हुए एनबीएफसी से संबंधित विनियमनों को सख्त कर दिया गया है (बॉक्स 3.1)। इसके अतिरिक्त, वास्तविक छाया बैंकिंग संस्थाओं के आकार और संविभाग का मूल्यांकन करने के भी प्रयास किए जा रहे हैं। भारत

सारणी 3.1 : शीर्ष एनबीएफसी¹³ की तुलना में बैंकों, एएमसी और बीमा कंपनियों का एक्सपोजर

(रु. बिलियन)	मार्च 2012	मार्च 2013	मार्च 2014	सितंबर 2014
बैंक	1513	1453	2919	1495
एएमसी	83	624	756	912
बीमा कंपनियां	780	880	965	1023

स्रोत : भा.रि. बैंक की पर्यवेक्षी विवरणियां तथा स्टाफ का आकलन।

बॉक्स 3.1: एनबीएफसी के लिए संशोधित विनियामक ढांचे की प्रमुख-प्रमुख बातें

- i) मौजूदा एनबीएफसी (अप्रैल 1999 से पहले की पंजीकृत संस्थाएं) के लिए न्यूनतम निवल स्वाधिकृत निधि (एनओएफ) को बढ़ाकर ₹20 मिलियन कर दिया गया है। न्यूनतम स्तर को प्राप्त करने के लिए एनबीएफसी को मार्च 2017 तक का समय दिया गया है।
- ii) जमा स्वीकार करने वाली सभी एनबीएफसी (एनबीएफसी) संस्थाओं के लिए जमा स्वीकार करने संबंधी विनियमन को एक समान और सुदृढ़ बनाने हेतु मौजूदा रेटिंग रहित आस्ति वित्त कंपनियों (एएफसी) के लिए क्रेडिट रेटिंग अनिवार्य दी गई है है इसके लिए उन्हें 31 मार्च 2016 तक का समय दिया गया है। जमा स्वीकार करने की अधिकतम सीमा को सभी क्षेत्रों में एक समान अर्थात् एनओएफ का 1.5 गुना कर दिया गया है।
- iii) एनबीएफसी क्षेत्र की वृद्धि में समग्र बढ़ोतरी को ध्यान में रखते हुए जमा न स्वीकार करने वाली एनबीएफसी के लिए प्रणालीगत महत्त्व को परिभाषित करने की प्रारंभिक सीमा को रु. 1 बिलियन से बढ़ाकर ₹5 बिलियन कर दिया गया है। इसके पश्चात जमा न स्वीकार करने वाली एनबीएफसी को दो विस्तृत वर्गों अर्थात् एनबीएफसी-एनडी (जिनकी आस्तियां ₹5 बिलियन से कम हैं) और एनबीएफसी-एनडी-एसआई (जिनकी आस्तियां ₹5 बिलियन से अधिक हैं जिन्हें प्रणालीगत रूप से महत्त्वपूर्ण माना जाता है) में बांटा जाएगा और उन पर तदनुसार विनियमन लागू होंगे। एनबीएफसी-एनडी को पूंजी पर्याप्त और ऋण संकेंद्रण मानदंड, जहां 7 का लिवरेज अनुपात उनके लिए शुरू किया गया है, से छूट प्राप्त होगी।
- iv) एनबीएफसी-एनडी-एसआई और सभी एनबीएफसी-डी वर्ग के लिए सख्त विवेकसम्मत मानदंड अर्थात् न्यूनतम टियर 1 पूंजी जरूरत को बढ़ाकर 10 प्रतिशत (पूर्व के 7 प्रतिशत से-मार्च 2017 तक चरणबद्ध तरीके), बैंकों के समान आस्ति वर्गीकरण मानदंड (180 दिनों से घटाकर 90 दिन - मार्च 2018 तक चरणबद्ध तरीके से) और मानक आस्तियों के प्रावधान में मार्च 2018 तक चरणबद्ध तरीके से बढ़ाकर 0.40 प्रतिशत करने संबंधी मानदंड लागू किए गए हैं। 5 प्रतिशत के निर्धारित ऋण संकेंद्रण मानदंड से आस्ति वित्त कंपनियों (एएफसी) को प्रदान की गई छूट तत्काल प्रभाव से बंद कर दी गई है। एनबीएफसी अतिरिक्त कारपोरेट गवर्नेंस मानक और प्रकटीकरण मानदंड एनबीएफसी-डी और एनबीएफसी-एनडी के लिए जारी किए गए हैं।
- v) ₹5 बिलियन से कम की आस्तियां रखने वाली एनबीएफसी पर विवेकसम्मत मानदंड लागू नहीं होंगे बशर्ते कि वे लोक निधियों का उपयोग न कर रही हों और ग्राहक इंटरफेस न रखने वाली संस्थाओं पर कारोबार विनियमन नहीं लागू होंगे।
- vi) यदि दोनों वर्गों की आस्ति आकार में इस प्रकार का सुदृढ़ीकरण होता है तो एक समूह में अनेक एनबीएफसी की आस्तियों को निश्चित करने के लिए एकत्र करना होगा। दोनों वर्गों पर लागू विनियमन समूह के भीतर प्रत्येक एनबीएफसी-एनडी पर लागू होंगे। ₹5 बिलियन से कम की आस्तियां रखने वाली एनबीएफसी के लिए रिपोर्टिंग प्रणाली को मात्र निर्धारित वार्षिक प्रतिफल के साथ पुर्नगठित किया गया है।

¹³ नमूने में देश की सबसे बड़ी 36 एनबीएफसी संस्थाएं (जमा स्वीकार करने वाली और जमा न स्वीकार करने वाली) शामिल हैं।

सरकार के कारपोरेट मामले के मंत्रालय द्वारा (एमसीए), कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत पंजीकृत कंपनियों और 'बीमा कंपनियों और पेंशन फंडिंग को छोड़कर वित्तीय मध्यस्थीकरण' तथा 'वित्तीय मध्यस्थीकरण से संबंधित सहायक गतिविधियों' के अंतर्गत वर्गीकृत कंपनियों के आंकड़ों के प्रारंभिक मिलान से पता चलता है कि इनमें से अनेक कंपनी रिजर्व बैंक में पंजीकृत नहीं हैं फिर भी वित्तीय गतिविधियां (गैर बैंकिंग) कर रही हैं। इस प्रकार की अधिकांश कंपनियों के वित्तीय विवरण से पता चलता है कि रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित प्रधान कारोबार मानदंड (पीबीसी) के अनुसार भारी संख्या में इस प्रकार की कंपनियों को एनबीएफसी के रूप में माना जा सकता है। इन कंपनियों में जमा स्वीकार करने वाली कंपनियों की संख्या कम है और इसमें ऐसी कंपनियां भी शामिल हैं जिनका रिजर्व बैंक ने पंजीकरण के लिए आवेदन अनेक कारणों से निरस्त कर दिया है।

3.23 'वित्त' कंपनियां जो वर्तमान में रिजर्व बैंक में पंजीकृत नहीं हैं, की संरचना से संबद्ध प्राथमिक जांच से पता चलता है कि आस्ति आकार की दृष्टि से गैर-पंजीकृत कंपनियों के वर्ग का संबंधित हिस्सा रिजर्व बैंक के विनियमन के तहत कंपनियों की तुलना में बहुत कम है। इस प्रकार, एनबीएफसी क्षेत्र की अधिकांश छोटी कंपनियां प्रणालीगत स्थिरता के लिए प्रमुख जोखिम पैदा नहीं करती हैं (सारणी 3.2)। तथापि, वे विनियामक के लिए उपभोक्ता संरक्षण और प्रतिष्ठा संबंधी जोखिम के संबंध में मुद्दों को उठाती हैं। राज्य स्तरीय समन्वय समिति (एसएलसीसी)¹⁴ के संबंध में, वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद (एफएसडीसी) द्वारा की गई पहल से प्रणाली को सुदृढ़ किया गया है ताकि निगरानी में सुधार हो सके और अनधिकृत जमा स्वीकार करने और वित्तीय धोखाधड़ी करने जैसे समस्याओं का सामना किया जा सके।

सरकारी स्वाधिकृत एनबीएफसी संस्थाओं को विवेकसम्मत विनियमन के तहत लाने की आवश्यकता

3.24 निजी क्षेत्र की एनबीएफसी संस्थाओं के अलावा, सरकार (केंद्र और राज्य) की कुछ स्वाधिकृत वित्त कंपनियां (बैंक न होने के कारण) हैं जिन्हें रिजर्व बैंक में एनबीएफसी के रूप में पंजीकृत किया गया है जिनका एनबीएफसी क्षेत्र की कुल आस्ति और कारोबार में काफी हिस्सा है। सरकार की स्वाधिकृत एनबीएफसी का हिस्सा पूरे एनबीएफसी क्षेत्र की आस्तियों का 37 प्रतिशत हिस्सा है किंतु मौजूदा समय में उन्हें रिजर्व बैंक की कतिपय विनियामक विवेकसम्मत मानदंडों से छूट प्रदान की गई है। ये एनबीएफसी संस्थाएं संपूर्ण क्षेत्र के 3.3 अनुपात की तुलना में 6.4 (राज्य सरकार की स्वाधिकृत एनबीएफसी का लिवरेज 8.8 और केंद्र सरकार की स्वाधिकृत एनबीएफसी का लिवरेज 6.2) के लिवरेज अनुपात के साथ बहुत ही लिवरेज्ड है। इनकी ₹3.8 ट्रिलियन की कुल बाह्य देयता में ₹385 बिलियन बैंकों की उधारियों के रूप में शामिल हैं।

3.25 जहां, इस प्रकार की एनबीएफसी संस्थाएं कतिपय महत्वपूर्ण आधारभूत क्षेत्रों को वित्त देने में उपयोगी भूमिका निभा रही हैं और इनमें प्रारंभिक चरणों में दबाव वहन करने की क्षमता देखी जा सकती है, वहीं संबंधित विनियमनों को युक्तिसंगत बनाने को ध्यान में रखते हुए सभी जमा स्वीकार करने वाली और प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण सरकार की स्वाधिकृत कंपनियों को अन्य एनबीएफसी जिनपर विनियमन (और जहां आवश्यक हो, वहां बैंकिंग क्षेत्र के विनियमन के अनुसार किया जाए) लागू हैं, के समान ही इन्हें भी विवेकसम्मत विनियामक ढांचे के अंतर्गत लाने की जरूरत है।

सारणी 3.2 : रिजर्व बैंक में पंजीकृत एनबीएफसी का आकार-वार वितरण

आस्तियों का आकार (₹ में)	कंपनियों की संख्या	कुल आस्तियों का आकार (₹ बिलियन में)	कंपनियों की समानुपातिक संख्या (%)	कुल आस्तियों के आकार का हिस्सा (%)
1 बिलियन से अधिक	454	11621	3.8	89.6
500 मिलियन से 1 बिलियन*	686	490	5.7	3.8
500 मिलियन तक	9555	854	79.4	6.6
आंकड़े उपलब्ध नहीं	1334	एनए	11.1	

* डाटा 384 रिपोर्टिंग कंपनियों से संबंधित है।

¹⁴ राज्य स्तरीय समन्वय समिति (एसएलसीसी) एक राज्य स्तर की समिति है जिसका संचालन रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा किया जाता है और इसमें राज्य सरकार के उच्च अधिकारी और प्रमुख बैंक शामिल होते हैं।

भारतीय बैंकिंग क्षेत्र की सेहत और आस्ति गुणवत्ता - सरकारी क्षेत्र के बैंकों पर जोर

विनियामक रियायत

3.26 बैंकिंग क्षेत्र, विशेष रूप से सरकारी बैंकों में पुनर्संरचित आस्तियों की सीमा गंभीर समस्या का विषय (विस्तृत जानकारी के लिए अध्याय II देखें) है। पूंजी पर्याप्ता के दृष्टिकोण से बैंकों को पुनर्संरचित मानक अग्रिमों में रिसाव की अधिक संभावना को संज्ञान में रखना अपेक्षित है। 'सामान्य व्यापारिक शर्तों (दबावग्रस्त शर्तों की तुलना में) के रूप में कारोबार' में भी, कोई भी पुनर्संरचित अग्रिम जिसे आम तौर पर किसी रेटिंग एजेन्सी द्वारा निम्न-निवेश ग्रेड के रूप में वर्गीकृत किया जाए, में मानक आस्तियों की तुलना में अनर्जक आस्ति में बदल जाने की संभावना अधिक होती है। चूंकि अल्पावधि कार्यशील पूंजी प्रदाता होने के नाते परंपरागत रूप से बैंकों का आधारभूत संरचना से जुड़ी परियोजनाओं में विशेष-प्रवृत्ति वाले जोखिम में उनके द्वारा किये गये निवेश का मूल्यांकन पर्याप्त नहीं रहा है। इसीलिए, अधिकांश ऋण परियोजनाओं का मूल्यांकन कुछ ही व्यापारी बैंकों के प्राधिकार में रहा है। तथापि, चूंकि व्यापारी बैंकों की आमदनी को वित्त-बंदी से जोड़ दिया गया है और अभी भी संबंधित परियोजनाओं को वित्त प्रदान करने का निर्णय बैंकों के पास है, इसलिए यह आवश्यक है कि जब भी परियोजना का मूल्यांकन बाहरी संस्था से करवाया जाए, तो वित्त देने से पहले बैंकों को अंतर्निहित परियोजना की जोखिम-लाभ प्रोफाइल को अधिक विस्तार से समझने की जरूरत है।


3.27 कुछ हद तक इसे उचित ठहराना विधिसम्मत होगा कि बड़े संकट और इससे बाद की अवधि के समय और उधारदाता/ उधारकर्ता की अक्षमताओं को कवर करने के लिए दी जानेवाली विनियामक नरमी से नैतिक खतरा उत्पन्न होता है। इसके अलावा, जोखिम आधारित पर्यवेक्षण शुरू होने और साथ ही क्रेडिट के लिए उन्नत बासेल II मानदंड लागू होने के साथ ही आगे चलकर पुनर्संरचना जैसे लेखांकन विवेकाधिकार का पूंजी की आवश्यकताओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि ऐसी प्रक्रियाओं में संभावित हानि के आधार पर पूंजी का प्रावधान करना शामिल होगा (अर्थात् रिजर्व बैंक द्वारा बासेल II के तहत क्रेडिट जोखिम के लिए शुरू की गई आंतरिक रेटिंग आधारित अप्रोच या जोखिम आधारित पर्यवेक्षण) और इससे मोटे तौर पर विनियामक

पूंजी आर्थिक पूंजी के साथ एक लय में होगी जिससे विवेकाधीन लेखांकन नरमी का प्रभाव कम होगा। इस प्रकार विनियामक नरमी को पहले समाप्त करना एक उचित कदम होगा। इसके अलावा, पी.जे.नायक समिति द्वारा सुझाए गए गवर्नेंस सुधार से क्रेडिट संविभाग से जुड़े जोखिम और इसके रिटर्न के संबंध में एक मूलभूत जांच एवं पड़ताल प्रक्रिया का निर्माण होगा जिससे तदनुसार अधिक विदित जोखिम उठाई जा सकती है।

पिछले छः महीनों में सीडीआर के तहत संदर्भित मामलों में कमी

3.28 सीडीआर के तहत रेफर/अनुमोदित किए गए कुल मामलों में आज की तारीख तक 49 प्रतिशत मामलों को सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया जा चुका है। इसके अलावा, यह भी पाया गया कि हाल के पिछले दिनों में सीडीआर कक्ष को भेजे गए मामलों की संख्या में कमी आई है (चार्ट 3.7)। इस कमी का एक कारण यह हो सकता है कि रिजर्व बैंक ने 'अर्थव्यवस्था में दबावग्रस्त आस्ति को पुनर्जीवन देने के लिए फ्रेमवर्क' जो 01 अप्रैल 2014 से लागू हुआ है, के प्रावधानों के तहत गठित संयुक्त उधारदाता फोरम (जेएलएफ) के अंतर्गत बैंकों को सीडीआर से बाहर अपने बड़े कर्ज को रु. 1 बिलियन के कुल एक्सपोजर (ईई) और इससे अधिक के लिए पुनर्गठित करने की अनुमति दी गई है (बॉक्स 3.2)।

चार्ट 3.7 : सीडीआर कक्ष के अंतर्गत राशि और मामलों की संख्या की तिमाही प्रवृत्ति



स्रोत : सीडीआर कक्ष

3.29 इस बात की आवश्यकता है कि सीडीआर के अंतर्गत संदर्भ, अनुमोदन और कार्यान्वयन या बहिर्गमन की समस्त प्रक्रिया की समीक्षा की जाए और जवाबदेही प्रणाली को मजबूत बनाया जाए। अनुमोदित सीडीआर मामलों (सफल एवं असफल मामले) की वास्तविक लागत-लाभ प्रोफाइल को पर्याप्त रूप से प्रकट किया जाए जिससे नीति बनाने में मदद मिलेगी और दुर्लभ संसाधनों का उचित उपयोग हो सकेगा। विनियामक द्वारा जानबूझकर चूक करने वाले मामलों पर अलग-अलग फोकस करने की बढ़ती प्रवृत्ति और चूक में होने वाले नुकसान में प्रवर्तकों, की पर्याप्त रूप से समान सहभागिता को सुनिश्चित करने को ध्यान में रखते हुए निवल आर्थिक मूल्य प्रभाव मूल्यांकन में और अधिक पारदर्शिता लाने तथा बड़े सीडीआर मामलों की लेखापरीक्षा करने की आवश्यकता है।

कॉरपोरेट लीवरेज


3.30 इसी से एक संबंधित मुद्दा जो बैंकों की आस्ति गुणवत्ता को प्रभावित करता है वह है कॉरपोरेट लीवरेज और बैंकों के तुलन पत्र पर इसके प्रभाव के आकलन को समझना। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की एक रिपोर्ट में यह संकेत दिया था कि उभरते एशिया (भारत सहित) में कॉरपोरेट लीवरेज अनुपात के रुझान में एक 'फॉल्ट लाइन' देखी गई, साथ ही वैश्विक चलनिधि की तंग स्थिति, बढ़ती ब्याज-दर और धीमी वृद्धि¹⁵ के चलते आघातों के फैलने की संभावना थी। भारतीय संदर्भ में, भारतीय कंपनियों (और समग्र स्तर पर बिजनेस ग्रुप) के बीच फैली ऋणग्रस्तता पर कई रिपोर्टों में बढ़ते कॉरपोरेट लीवरेज अनुपात (डेब्ट-टू-इक्विटी) की ओर इशारा किया गया है, तथापि भारतीय परिदृश्य थोड़ा अलग है क्योंकि यहां ऋणग्रस्त कंपनियों के साथ ही कई ऐसी कंपनियां भी मौजूद हैं जो नकदी के मामले में धनी हैं (चार्ट 3.8)। तेजी की अवधि में आए उत्साह ने कई भारतीय कंपनियों को बड़े विस्तार/अधिग्रहण कार्यक्रम की ओर रुख करने हेतु प्रेरित किया होगा। इस प्रकार की कई कंपनियों के लिए वैश्विक वित्तीय संकट के बाद की अवधि एक आघात थी और ऐसे कुछ प्रमाण हैं कि इनमें से कई कंपनियां डिलीवरेजिंग की राह पर हैं और कई कंपनियों के डेट इक्विटी अनुपात में यदि कमी नहीं आ रही है तो भी वह स्थिर बना हुआ है।

3.31 परियोजनाओं और उनके कार्यान्वयन में तेजी से विनियामकी क्लियरेंस देने की ओर अधिक ध्यान दिया जा रहा है और एक बार रुकी हुई परियोजनाओं के वाणिज्यिक परिचालन शुरू होने के साथ ही कॉरपोरेट संस्थाओं की लाभप्रदता में सुधार होने की संभावना है और इस प्रकार इससे बैंकिंग प्रणाली की आस्ति गुणवत्ता के मुद्दे में भी मदद मिलेगी। साथ-ही-साथ यह भी मुनासिब होगा कि भारत में बहु-स्तरीय संरचना और प्रमोटर्स द्वारा शेयर गिरवी रखने से संबंधित कुछ कॉरपोरेट प्रथाओं के प्रभाव की जांच कर ली जाए जिससे संवेदनशीलता के मूल्यांकन और उसके निवारण में सुधार हो और साथ ही विनियामकीय तथा पर्यवेक्षी जवाबी प्रतिक्रिया में भी नए तरीके से मदद मिले।

धारक कंपनी/एसपीवी संरचनाओं में प्रभावी लीवरेज

3.32 वैसे तो धारक कंपनी संरचना का विकास मुख्य रूप से कई कंपनियों/परियोजनाओं में किसी एक ग्रुप की धारिता को मजबूत करने के इरादे से हुआ था, तथापि चिंताएं तब सामने आईं जब ऐसी धारक कंपनियों ने परिचालन संस्थाओं के रूप में काम करना शुरू कर दिया। विशेष प्रयोजन माध्यम (एसपीवी) का प्रादुर्भाव भी दिवालियापन लागत को कम करने की आवश्यकता से जुड़ी हुई है (और इस प्रकार उधारदाताओं को जोखिम)। एक ऐसी प्रथा है जिसे आमतौर से दोहरी लीवरेजिंग के नाम से जाना जाता है, खास तौर से वह इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में प्रचलित रही है, क्योंकि बड़ी परियोजनाओं को संपादित करने वाली कंपनियों को अधिक संसाधन जुटाने की आवश्यकता नहीं है बल्कि वे अपनी इक्विटी योगदान

चार्ट 3.8 : बीएसई से संबद्ध 100 कंपनियों¹⁶ का औसत ऋण इक्विटी अनुपात



स्रोत : कैपिटललाइन (कोष्ठक में दिए गए आंकड़े कंपनियों की संख्या को दर्शाते हैं)

¹⁵ आइएमएफ (2014), "क्षेत्रीय आर्थिक परिदृश्य: विश्व आर्थिक और वित्तीय सर्वेक्षण," अप्रैल [https://www.imf.org/external/pubs/ft/reo/2014/apd/eng/c2_0414.pdf पर उपलब्ध]।

¹⁶ बीएसई 100 सूचकांक के अधीन 80 कंपनियों से संबंधित आंकड़ों का प्रयोग किया गया है जिसमें बैंक तथा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां शामिल नहीं हैं।

से ही संतुष्ट हो जाती हैं। एक आदर्श दोहरी लीवरेजिंग में, कोई धारक कंपनी अपने तुलन पत्र से कर्ज जुटाती है और एसपीवी में इसे इक्विटी के रूप में डालती हैं। उधारदाताओं के दृष्टिकोण से, धारक कंपनी में डेट-इक्विटी अनुपात 2:1 एसपीवी में 8:1 लीवरेज में बदल सकता है। यद्यपि ऐसी प्रथा में कुछ विशिष्टता हो सकती है तथापि यह आवश्यक है कि बैंक जोखिम का मूल्यांकन करते समय इसे प्रभावी तरीके से समझे।

प्रमोटरों द्वारा शेयर गिरवी रखने का प्रभाव

3.33 दिसंबर 2013 एफएसआर में प्रमोटरों द्वारा शेयर गिरवी रखने के संबंध में कुछ चिंताएं प्रकट की गई थीं। इस रिपोर्ट में इस मसले को उधारदाता के नजरिए से आगे और परखा गया। अधिकांश भारतीय कंपनियों का स्वामित्व/नियंत्रण एक परिवार के पास होता है क्योंकि प्रमोटर की शेयरधारिता का काफी बड़ा हिस्सा परिवार के भीतर ही सीमित होता है (सारणी 3.3)। किसी आदर्श कंपनी के लिए प्रमोटर का शेयर महत्वपूर्ण कोलैटरल हो सकता है, यदि वह लीवरेज का विस्तार करना चाहती हो। अन्य उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में भी शेयर को गिरवी रखने की प्रथा प्रचलित है, लेकिन भारत में इसने काफी अलग ही रूप अख्तियार कर लिया है।¹⁷ किसी स्वरूप की भारतीय कंपनी के मामले में, प्रमोटर शेयर को 'आउटसाइड' बिजनेस उद्यम के निधीयन के लिए नहीं बल्कि खुद कंपनी के निधीयन के लिए शेयर गिरवी रखते हैं। प्रमोटर द्वारा शेयर गिरवी रखते समय गिरवी रखे गए शेयर के अलावा इसके प्रति उनकी कोई अन्य वैयक्तिक देयता नहीं होती है। कुछ मामलों में अनैतिक प्रमोटरों द्वारा गिरवी रखे गए शेयरों का मूल्य कम हो सकता है और प्रमोटर को कंपनी का नियंत्रण खोने की परवाह नहीं होती क्योंकि इसकी संभावना होती है कि शेयर के मूल्य धराशायी होने के पहले ही फंड को कहीं और हटा दिया जाए।¹⁸ यद्यपि उधारदाता के पास यह विकल्प होता है कि जब शेयर का मूल्य गिरे तो वह इन्हें बेच दे और ऐसी स्थिति को अपनाए जिसे डिफॉल्ट इवेंट कहा जाता है, तब भी बाजार मूल्य प्रभाव के जरिए अल्पांश शेयरधारकों पर इसका असर हो सकता है, क्योंकि गिरवी को लागू करने के साथ ही गिरवी रखे गए शेयरों को तुरंत बेचना होगा।

सारणी 3.3: प्रवर्तकों के प्लेज शेयरों के हिस्से की उद्योग-वार स्थिति (मार्च 2014 को)

(प्रतिशत में)

क्षेत्र	भारतीय प्रमोटर	विदेशी प्रमोटर	प्रमोटरों की कुल धारिता	गिरवी रखा प्रमोटरों का स्वामित्व
बैंक	49.0	0.7	49.7	0.1
अभियांत्रिकी	35.8	0.5	36.3	11.2
वित्तीय सेवाएं	47.4	1.1	48.4	7.6
एफएमसीजी	27.9	3.2	31.1	11.7
इन्फ्रास्ट्रक्चर	69.8	1.1	70.9	14.7
सूचना प्रौद्योगिकी	43.0	4.9	47.9	11.2
विनिर्माण	50.5	7.0	57.5	18.1
मीडिया और मनोरंजन	44.3	5.2	49.4	24.9
पेट्रोकेमिकल्स	54.8	5.3	60.1	8.7
फार्मास्यूटिकल्स	47.1	6.0	53.1	5.4
सेवाएं	46.3	9.7	56.1	25.5
दूरसंचार	51.4	5.8	57.3	12.8
विविध	53.1	2.8	55.9	12.6
कुल	51.6	4.7	56.3	14.2

स्रोत: राष्ट्रीय शेयर बाजार।

3.34 प्रमोटरों द्वारा अपने शेयरों के काफी बड़े भाग को गिरवी रखने की इस प्रथा के परिणामस्वरूप उत्पन्न परिणामी लीवरेज केवल शेयरधारकों के लिए ही नहीं बल्कि समूची वित्तीय प्रणाली के स्वास्थ्य के संबंध में भी चिंता का विषय बन सकता है। इस मुद्दे पर और बारीकी से ध्यान देने की जरूरत है, विशेषकर वर्तमान स्थिति में जब शेयर के मूल्य में तेजी है, तो कोलैटरल (गिरवी रखे गए शेयर) की उच्च लीवरेज स्थिति को सही ठहराया जा सकता है। इस संबंध में मूल प्रश्न यह है कि इस प्रथा के प्रभाव को कंपनी के नजरिए से देखा जाए जिसमें कंपनी के खुद के शेयर को उसके अपने ही तुलन पत्र पर कर्ज लेने के लिए गिरवी रखा जा सकता है।

भारत में विविध बैंकिंग प्रणाली की ओर कदम

3.35 'भुगतान बैंक'¹⁹ और 'लघु वित्त बैंक'²⁰ स्थापित करने के लिए अंतिम दिशानिर्देश 27 नवंबर 2014 को जारी किए गए

¹⁷ उदाहरण के लिए अमेरिका में भी कंपनी के अधिकारी "आउटसाइड" बिजनेस उद्यम के निधीयन हेतु संपार्श्विक ऋण के प्रयोजन से शेयर को गिरवी रखते हैं और कंपनी के शेयरों की पूर्व खरीद करते हैं (तथापि, कई बड़ी कंपनियां अपने अधिकारियों या निदेशकों को ऐसी प्रथा अपनाने से रोकती हैं)। द इन्स्टीट्यूशनल शेयरहोल्डर सर्विसेज (आईएसएस) जो कि संभवतः विश्व की सबसे अग्रणी कॉरपोरेट गर्वनेंस सोल्यूशन प्रदाता है, उसकी अपनी ही नीति है जो कहती है कि "किसी ऋण के लिए कोलैटरल के रूप में किसी भी मात्रा में कंपनी के स्टॉक को गिरवी रखना इक्विटी का जिम्मेदारी से भरा उपयोग नहीं है"।

¹⁸ इसे इस रूप में देखा जा सकता है कि कंपनी में प्रमोटर की गहरी पैठ है, लेकिन कॉरपोरेट घोटालों में यह उजागर हुआ है कि इस दृष्टिकोण में संवेदनशीलता व्याप्त है।

¹⁹ आरबीआई (2014), "भुगतान बैंकों को लाइसेंस प्रदान करने से संबंधित दिशानिर्देश," 27 नवंबर [http://rbi.org.in/scripts/BS_PressReleaseDisplay.aspx?prid=32615 पर उपलब्ध]

²⁰ आरबीआई (2014), "निजी क्षेत्र में लघु वित्त बैंक को लाइसेंस प्रदान करने से संबंधित दिशानिर्देश," 27 नवंबर [http://rbi.org.in/scripts/BS_PressReleaseDisplay.aspx?prid=32614 पर उपलब्ध]

हैं। इन अलग प्रकार के बैंकों को स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य वित्तीय समावेशन को और आगे बढ़ाना है। भुगतान बैंकों का लक्ष्य है कि प्रवासी श्रमिकों, कम आय वाले परिवारों और छोटे कारोबार को लघु बचत खाता और भुगतान/धनप्रेषण सुविधा उपलब्ध कराई जाए और सुरक्षित टेक्नॉलजी के जरिए जमा एवं भुगतान/धनप्रेषण में कम मूल्य वाले लेनदेन की संख्या को बढ़ाकर ऐसा किया जाए। वहीं दूसरी ओर, लघु वित्त बैंक मुख्य रूप से उच्च टेक्नॉलजी एवं कम लागत के जरिए आबादी के सेवा से वंचित एवं अल्प सेवा प्राप्त भाग को बचत सुविधा उपलब्ध कराने और छोटे कारोबार यूनिट, लघु एवं सीमांत किसानों, सूक्ष्म एवं लघु उद्योग और अन्य असंगठित क्षेत्र की संस्थाओं के लिए कर्ज की आपूर्ति करने का कार्य करेंगे।

3.36 एक ओर जहां लघु वित्त बैंक मूल रूप से उधार देने की गतिविधि में शामिल होंगे, वहीं दूसरी ओर भुगतान बैंक की गतिविधि केवल प्रति वैयक्तिक ग्राहक अधिकतम रूप से 100,000 तक जमाराशि स्वीकार करने तक सीमित होगी। इसके अलावा, लघु वित्त बैंक साझा न होनेवाले जोखिम रहित सरल वित्तीय सेवाएं जैसे म्यूच्युअल फंड यूनिट का वितरण, बीमा उत्पाद, पेंशन उत्पाद आदि कार्य भी कर सकते हैं। विदेशी मुद्रा कारोबार में अपने ग्राहकों की आवश्यकता के अनुसार वे कैटेगरी II अधिकृत डीलर भी बन सकते हैं। वहीं दूसरी ओर, भुगतान बैंकों की गतिविधियों का जो दायरा है उसमें आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) बनाए रखने के अलावा उनसे यह अपेक्षित होगा कि वे मांग जमा शेष का न्यूनतम 75 प्रतिशत एक वर्ष तक की परिपक्वता अवधि वाली सांविधिक चलनिधि अनुपात(एसएलआर) प्रतिभूतियों में बनाए रखें। इसके अलावा, अपने परिचालनगत उद्देश्यों और चलनिधि प्रबंधन के लिए उन्हें अन्य वाणिज्यिक बैंकों में अधिकतम 25 प्रतिशत जमा करने की अनुमति होगी।

आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियां


3.37 हाल की तिमाहियों के दौरान बैंकों द्वारा आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों को अपने एनपीए बेचे जाने की घटनाओं में हुए अचानक इजाफे को देखते हुए, पिछली एफएसआर में आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों की कार्यप्रणाली से संबंधित कुछेक पहलुओं पर प्रकाश

डाला गया था और इस बात की आवश्यकता महसूस की गई कि इस क्षेत्र के लिए नियामकीय ढांचे की समीक्षा की जानी चाहिए। आने वाले वर्षों में दबावग्रस्त आस्तियों का पुनर्निर्माण करने और उनकी समस्या का समाधान करने में भली प्रकार पूंजीकृत और कार्यकुशल एआरसी क्षेत्र एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर सकता है। भारत में इस समय 14 एआरसी काम कर रही हैं जिनमें से दो में मुख्य भूमिका सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की है, छह में इस प्रकार की शेयर धारिता है कि उसमें सार्वजनिक और निजी क्षेत्र (विदेशी संस्थाओं सहित) दोनों की भागीदारी है। जबकि शेष अन्य छह पूर्ण रूप से निजी क्षेत्र के स्वामित्वाधीन हैं। सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्र के भारतीय बैंकों का एआरसी में महत्वपूर्ण स्तर का स्वामित्व है। अर्थव्यवस्था के और खुलने से ऐसी आशा है कि एआरसी क्षेत्र काफी विदेशी निवेश²¹ अपनी ओर आकर्षित करेगा।

विनियामकीय मानदंडों में हुए परिवर्तनों का प्रभाव

3.38 बैंकिंग क्षेत्र में एनपीए के उच्च स्तर के कारण बढ़ते हुए व्यापारिक अवसरों पर आरूढ़ होते हुए हाल के समय में एआरसी क्षेत्र ने काफी उच्च संवृद्धि दर प्राप्त की है। पिछले वित्तीय वर्ष (2013-14) की चौथी तिमाही में और 2014-15 की पहली तिमाही में उनके आस्ति अधिग्रहण में बाढ़ सी देखी गई और इनमें बहुत से लेन-देन काफी आक्रामक कीमत पर हुए हैं तथापि, 30 सितंबर, 2014 को समाप्त तिमाही में अधिग्रहण में तीव्र गिरावट दर्ज की गई।

चार्ट 3.9: बैंकों द्वारा एआरसी को बेची गयी आस्तियों की राशि



स्रोत : आरबीआई पर्यवेक्षी विवरणियां

²¹ आज की स्थिति के अनुसार, 14 एआरसी में से सिर्फ एक ने 49 प्रतिशत के स्तर तक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश प्राप्त किया है।

3.39 पिछली तिमाही के दौरान आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों (एआरसी) द्वारा आस्ति अधिग्रहण में गिरावट का आंशिक तौर पर कारण अगस्त 2014 में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लागू संशोधित विनियमन रहा है। विनियमों में संशोधन से प्रतिभूति रसीदों (एसआर) में निवेश को 5 प्रतिशत से अनिवार्य रूप से बढ़ाकर 15 प्रतिशत करने और प्रबंधन शुल्क की गणना को अबतक की भाँति जारी की गई बकाया प्रतिभूति रसीदों (एसआर) के बजाए प्रतिभूति रसीदों (एसआर) के निवल आस्ति मूल्य (एनएवी) के रूप में जोड़े जाने से आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों (एआरसी) के मौद्रिक जोखिम (स्किन इन द गेम) में वृद्धि हुई है। इन विनियामक परिवर्तनों के पीछे तर्क यह था कि वसूली में वृद्धि हो और वसूली/पुनर्गठन की प्रक्रिया में तेजी लाई जा सके क्योंकि प्रतिभूति रसीदों (एस आर) के निवल आस्ति मूल्य (एनएवी) की गणना दबावग्रस्त आस्तियों की वसूली की संभाव्य (लाइकली) दर के आधार पर की जाती है। अगस्त 2014 में विनियामक परिवर्तन प्रभावी किए जाने के बाद आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों (एआरसी) को प्रतिभूति रसीदों के वास्तविक उन्मोचन पर ध्यान केंद्रित करना होगा क्योंकि अब प्रबंधन शुल्क के आधार पर उनके लाभ मॉडल का आधार लेना संभव नहीं होगा (विवरण बॉक्स 3.2 में देखें)। आने वाले समय में पुनर्निर्माण कंपनियों को विक्रेता बैंकों

की प्रत्याशा के अनुसार मूल्य निर्धारण में करने में कठिनाई होगी और विक्रेता बैंक जिन आस्तियों को आफलोड करना चाहते हैं उनके लिए प्रत्याशित यथार्थ विक्रय मूल्य का समाधान नहीं कर पाएंगे, परिणामस्वरूप सितंबर 2014 को समाप्त दूसरी तिमाही में विक्रय में कमी आएगी।

3.40 आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों (एआरसी) के दिशानिर्देशों के अंतर्गत लागू किए गए कुछ अन्य विनियामक उपायों में अन्य बातों के साथ-साथ एआरसी की ओर से ज्यादा प्रकटीकरण, दबावग्रस्त आस्तियों के पुनर्निर्माण के लिए सुधारात्मक कार्य योजना में सहभागिता के लिए संयुक्त उधारदाता फोरम (जेएलएफ) की सदस्यता, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम (सरफेसी) को लागू करने संबंधी प्रारंभिक सीमा को कम करना, नीलामी ब्लॉक पर दबावग्रस्त आस्तियों की उचित छानबीन के लिए आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों (एआरसी) को अधिक समय प्रदान करना, प्रतिभूति रसीदों के मूल्यांकन की अवधि को कम करना तथा पुनर्निर्माण के लिए आयोजना अवधि को कम करना शामिल है। यह आशा की जाती है कि इस क्षेत्र में उच्च स्तर की पारदर्शिता अनर्जक आस्तियों को नियंत्रित करने में प्रभावी नियंत्रक प्रतिक्रिया के तौर पर इसकी दीर्घकालिक धारणीयता (ससटेनेबिलिटी) को प्रोत्साहित करेगी।

बॉक्स 3.2: महत्वपूर्ण विनियामकीय एवं पर्यवेक्षी उपाय

प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण घरेलू बैंक के साथ कारोबार:

(डी-एसआईबी): अंतरराष्ट्रीय रूप से सहमत हुए सुधार उपायों के आधार पर, भारत में प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण घरेलू बैंकों के कारोबार के लिए जुलाई 2014 में ढांचा जारी किया गया। इनके निर्धारण की कार्य पद्धति में बड़े संकेतक की श्रेणी जैसे आकार, अंतरसंबद्धता, स्थानापन्नता और जटिलता शामिल हैं। बैंकों को आरोही क्रम में उनके सिस्टेमिक महत्व स्कोर के आधार पर चार विभिन्न श्रेणियों में रखा गया है और उन्हें जिस श्रेणी में रखा गया है उसके मुताबिक बैंकों को जोखिम भारित आस्ति के तदनु रूप 0.20 प्रतिशत से 0.80 प्रतिशत के दायरे में अतिरिक्त कॉमन इक्विटी टीयर 1 पूंजी की आवश्यकता होगी। सिस्टेमिक महत्व स्कोर की गणना वार्षिक अंतराल पर की जाएगी और 2015 से प्रति वर्ष अगस्त महीने में प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण घरेलू बैंकों के वर्गीकरण की घोषणा की जाएगी।

ऐसी संस्था जिनका असुरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोजर है, उनमें बैंक के एक्सपोजर के संबंध में पूंजीगत एवं प्रावधानीकरण अपेक्षाएं: कॉरपोरेट के असुरक्षित विदेशी मुद्रा

एक्सपोजर केवल वैयक्तिक कॉरपोरेट के लिए ही नहीं बल्कि समूची वित्तीय प्रणाली के लिए चिंता का सबब बने हुए हैं। जनवरी 2014 में जारी अंतिम दिशानिर्देश में ऐसी कार्य-पद्धति बताई गई है जिसे बैंकों को वृद्धिशील प्रावधानीकरण और पूंजी आवश्यकताओं की गणना के लिए अपनाना है। इसे और विशेष रूप से कहा जाए तो वृद्धिशील प्रावधानीकरण अपेक्षा की गणना किसी कंपनी की आय और मूल्यहास में विदेशी मुद्रा उतार-चढ़ाव के कारण होने वाली संभावित हानि के अनुपात के अनुसार की जानी चाहिए और तदनुसार वृद्धिशील पूंजी उपलब्ध कराई जानी चाहिए। ऐसी आशा है कि इन उपायों से कॉरपोरेट अपने विदेशी मुद्रा एक्सपोजर को सुरक्षित करने के लिए प्रोत्साहित होंगे और साथ ही बैंक भी मुद्रा-जनित जोखिम को मापने और इसके प्रबंधन के लिए क्षमताओं का विकास करने में सक्षम होंगे।

केंद्रीय प्रतिपक्षकार (सीसीपी) में बैंक के एक्सपोजर के लिए पूंजी आवश्यकता: एक सुव्यवस्थित सीसीपी के जरिए केंद्रीय समाशोधन को बढ़ावा देने के प्रयोजन से जनवरी 2014 में बैंकों

(क्रमशः)

को सूचित किया गया था कि किसी अर्हक सीसीपी (क्यूसीसीपी) में उनके समाशोधन एक्सपोजर को किसी एकल प्रतिपक्षकार में उनकी पूंजी निधि की 15 प्रतिशत की अधिकतम एक्सपोजर सीमा से बाहर रखा जाएगा। क्यूसीसीपी में अन्य एक्सपोजर जैसे ऋण, क्रेडिट लाइन, सीसीपी की पूंजी में निवेश और चलनिधि सुविधा किसी एकल प्रतिपक्षकार में पूंजी निधि की वर्तमान 15 प्रतिशत की अधिकतम एक्सपोजर सीमा के तहत ही बनी रहेगी। तथापि, किसी गैर-क्यूसीसीपी में सभी एक्सपोजर 15 प्रतिशत की अधिकतम सीमा के भीतर होनी चाहिए।

प्रतिचक्रिय पूंजी बफर: भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास और इस पहलू पर बीसीबीएस सहित अन्य महत्वपूर्ण कारकों पर विचार करते हुए बैंकों के लिए एक प्रतिचक्रिय पूंजी बफर निर्धारित किया गया जो बैंकों द्वारा निजी क्षेत्र को कर्ज देने के अलावा अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों जैसेकि आगे के तीन लगातार वर्ष के लिए वृद्धिशील क्रेडिट-जमा अनुपात (क्रेडिट-जीडीपी अंतर एवं जीएनपीए वृद्धि के साथ इसके संबंध), औद्योगिक आउटलुक असेसमेंट इंडेक्स (जीएनपीए वृद्धि के साथ इसके संबंध) और ब्याज कवरेज अनुपात (क्रेडिट-जीडीपी अंतर के साथ इसके संबंध) पर ध्यान देता है। यह बताया गया कि सीसीबी के बारे में निर्णय चार तिमाहियों के निष्पादन समय सीमा से पहले घोषित कर दिया जाए। क्रेडिट-जीडीपी गैप के 3 प्रतिशत अंक पर सीसीबी की निम्न सीमा (एल) निर्धारित करने की सिफारिश की गई थी, बशर्ते जीएनपीए के साथ इसका संबंध महत्वपूर्ण बना रहे और क्रेडिट-जीडीपी अंतर के 15 प्रतिशत अंक पर इसकी अधिकतम सीमा (एच) निर्धारित की गई।

दबावग्रस्त आस्ति को पुनर्जीवन प्रदान करना: रिजर्व बैंक ने अर्थव्यवस्था में दबावग्रस्त आस्ति को पुनर्जीवन प्रदान करने के लिए जनवरी 2014 में एक ढांचा शुरू किया। मूल रूप में, यह ढांचा एक सुधारात्मक कार्रवाई योजना को रेखांकित करता है जिससे व्यवहार्य समझे जाने वाले समस्याग्रस्त खातों को पहले पहचानने में मदद मिलेगी और समय पर उनकी पुनर्संरचना होगी और अर्थक्षम खातों की बिक्री या रिकवरी के लिए तेजी से कदम उठाए जा सकेंगे। इस ढांचे की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं: (क) ऐसे उधारकर्ता जिनका निधि-आधारित और गैर-निधि आधारित एक्सपोजर 50 मिलियन रुपए है उनसे संबंधित क्रेडिट डाटा जुटाने, रखने और प्रसारित करने के लिए सेंट्रल रिपॉजटरी ऑफ इन्फॉर्मेशन ऑन लार्ज क्रेडिट (सीआरआईएलसी) की स्थापना की गई है; (ख) वाणिज्यिक बैंक अपने उधारकर्ता/ग्राहक से जुड़ी क्रेडिट जानकारी को अनिवार्यतः सूचित करें; (ग) जमाराशि स्वीकार न करने वाली प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण एनबीएफसी (एनबीएफसी-एनडी-एसआई) और जमाराशि स्वीकार करनेवाली एनबीएफसी (एनबीएफसी-डी) और सभी एनबीएफसी-फैक्टर (संक्षेप में, अधिसूचित एनबीएफसी) से भी

यह अपेक्षित है कि वे ये सूचना प्रस्तुत करें; (घ) बैंकों को सूचित किया गया कि वे ऐसे सभी चालू खातों का विवरण प्रस्तुत करें जिनमें बकाया शेष (डेबिट या क्रेडिट) 10 मिलियन रुपए या इससे ऊपर है; (ङ) बैंकों से अपेक्षित है कि वे विशेष उल्लिखित खाते (एसएमए) की तीन श्रेणियों के जरिए उधार खातों में दबाव पर निगरानी रखें।

चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीए): बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बासेल समिति द्वारा जारी अंतिम दिशानिर्देश के मद्देनजर, रिजर्व बैंक ने 'चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर), चलनिधि जोखिम निगरानी उपाय और एलसीआर प्रकटीकरण मानक' के संबंध में जून 2014 में अंतिम दिशानिर्देश जारी किया जिसमें देश-विशिष्ट सरोकार का भी ध्यान में रखा गया है। इसलिए इसे लागू करने की अवधि के दौरान अक्सर की जाने वाली व्यवस्थाओं और पारभाषिक पहलुओं के अलावा, रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए इस दिशानिर्देश में भारतीय वित्तीय बाजार में उपलब्ध उच्च गुणवत्ता वाली अर्थसुलभ आस्तियों (एचक्यूएलए) के दायरे और उनकी अर्थसुलभता की खूबियों पर भी विचार किया गया है। परिणामस्वरूप, एनडीटीएल की 2 प्रतिशत की सीमा तक सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश को लेवल 1 उच्च गुणवत्ता वाली अर्थसुलभ आस्तियों में शामिल करने की अनुमति दी गई है। इसके बाद, बैंकों को अब (जनवरी 2015 से) उनकी निवल मांग और समय देयताओं (एनडीटीएल) के अतिरिक्त 5 प्रतिशत तक सरकारी प्रतिभूतियों को उनकी अनिवार्य सांविधिक चलनिधि अनुपात के भीतर धारण करने की अनुमति प्रदान की गई। इसके अलावा, 50 प्रतिशत हेयरकट के साथ पात्र कॉमन इक्विटी शेयर को लेवल 2 बी उच्च गुणवत्ता वाली अर्थसुलभ आस्तियों में शामिल करने की अनुमति दी गई है। आरबीआई मानक में चलनिधि जोखिम निगरानी के उपायों को उपयुक्त तरीके से निर्धारित किया गया है। तदनुसार, चार अतिरिक्त रिटर्न निर्धारित किए गए हैं: एलसीआर, महत्वपूर्ण मुद्रा में एलसीआर, उपलब्ध भार-रहित आस्तियां, निधि संकुचन और बैंकों की चलनिधि पर अन्य जानकारी।

आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी को एनपीए की बिक्री: अर्थव्यवस्था में दबावग्रस्त आस्तियों को पुनर्जीवन प्रदान करने के प्रयोजन से फरवरी 2014 में बैंकों को अनुमति दी गई कि वे (क) एनपीए की बिक्री पर एक्सेस प्रावधान को इस बिक्री से प्राप्त नकदी की उस सीमा तक लाभ एवं हानि खाता में रिवर्स करें जो एनपीए के निवल बही मूल्य से अधिक है; (ख) एनपीए की बिक्री पर हानि को एआरसी में परिशोधन करें जब दो वर्ष की अवधि में बिक्री प्रतिफल निवल बही मूल्य से कम हो (31 मार्च 2015 तक बेचे गए एनपीए के संबंध में); (ग) बैंक/वित्तीय संस्था द्वारा एसएमए-2 के रूप में रिपोर्ट की गई वित्तीय आस्ति क्रिसिल को बेचना; (घ) एनपीए की बिक्री पर किसी कमी को पूरा करने के

(क्रमशः)

लिए प्रतिचक्रिय/फ्लोटिंग प्रावधान (अर्थात् जब बिक्री की कीमत निवल बही मूल्य से कम हो)। इन उपायों का लक्ष्य यह है कि बैंक एससी/आरसी को अपने एनपीए बेचने के लिए प्रोत्साहित हों, जिससे यह आशा है कि वे बदले में आस्ति पुनर्निर्माण पर अधिक जोर देते हुए दबावग्रस्त आस्ति के प्रबंधन में एक मददगार प्रणाली के रूप में कार्य करेंगे।

जमाकर्ता शिक्षा एवं जागरूकता (डीईए) निधि योजना, 2014: बैंकिंग कानून (संशोधन) अधिनियम, 2012 के अधिनियमन के अनुक्रम में बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 में जमाकर्ता शिक्षा एवं जागरूकता (डीईए) निधि योजना के संबंध में एक अलग धारा जोड़ी गई है। इस योजना के तहत, जोकि देश के सभी वाणिज्यिक बैंकों, सहकारी बैंकों पर लागू है, डीईए निधि में क्रेडिट की जानेवाली राशि बैंक में रखे गए ऐसे किसी भी जमा खाते में क्रेडिट बैलेंस के रूप में होगी जिनमें दस या इससे अधिक वर्ष से लेनदेन नहीं हुआ है या कोई राशि जो दस वर्ष या इससे अधिक वर्ष तक दावा रहित रही हो। बैंक ऐसे सभी खातों में प्रभावी तारीख से एक दिन पहले की तारीख को संचयी बैलेंस की गणना करेंगे और उपचित ब्याज के साथ अगले महीने के अंतिम कार्यदिवस को इस राशि को डीईए को हस्तांतरित करेंगे। डीईए निधि का इस्तेमाल जमाकर्ताओं के हित को बढ़ाने और ऐसे सभी प्रयोजनों के लिए किया जाएगा जो रिजर्व बैंक द्वारा जमाकर्ताओं के हितों को बढ़ाने के लिए समय-समय पर निर्दिष्ट किए गए हों।

अलग प्रकार के बैंक लाइसेंस के लिए दिशानिर्देश का मसौदा: रिजर्व बैंक ने भुगतान बैंक एवं लघु बैंक पर अंतिम दिशानिर्देश जारी कर दिया है (पैरा 3.35 एवं 3.36)।

सीमापार पर्यवेक्षण में गतिविधियां:

- **बासेल कोर सिद्धांत:** तीन बासेल कोर सिद्धांत (बीसीपी), जिनमें होम-होस्ट रिलेशनशिप पर बीसीपी 25 (संशोधित सिद्धांत 13) शामिल है के संबंध में रिजर्व बैंक के 'मैट्रियली नॉन-कंप्लायंट' एफएसएपी मूल्यांकन (2011) के अनुपालन में, रिजर्व बैंक ने ऐसे क्षेत्राधिकार जहां भारतीय बैंक परिचालन कर रहे हैं वहां पर्यवेक्षी सूचना साझा करने एवं सहयोग करने की ओर काफी प्रगति की है। इस प्रक्रिया के अनुक्रम में, रिजर्व

बैंक ने विदेशी विनियामकों/पर्यवेक्षकों के साथ पर्यवेक्षणीय सहयोग के लिए पहले ही 20 सहमति-ज्ञापनों और एक पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं।

- **पर्यवेक्षी कॉलेज:** होम एवं होस्ट पर्यवेक्षकों के बीच सहयोग बढ़ाने और सूचना के आदान-प्रदान में सुधार लाने के प्रयोजन से रिजर्व बैंक ने दो बड़े भारतीय बैंकों (बैंक ऑफ बड़ौदा एवं बैंक ऑफ इंडिया) के संबंध में 2013-14 में पर्यवेक्षी कॉलेज की व्यवस्था की है। इसके पहले 2012-13 में भारतीय स्टेट बैंक और आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड के लिए पर्यवेक्षी कॉलेज का आयोजन किया गया था।
- **भारतीय बैंकों की विदेशी शाखाओं/अनुषंगियों का निरीक्षण:** भारतीय बैंकों का वैश्विक परिचालन 54 देशों में फैला हुआ है। विदेशी शाखाओं की वित्तीय स्थिति, प्रणाली, और नियंत्रण का मूल्यांकन करने के लिए 2012-13 में पांच विदेशी क्षेत्राधिकार में आठ बैंकों का निरीक्षण किया गया जो भारतीय बैंकों की कुल विदेशी आस्तियों का लगभग 60 प्रतिशत कवर करते हैं। इसके अलावा, 2013-14 में छः क्षेत्राधिकार में छः अतिरिक्त बैंकों का निरीक्षण किया गया जो आस्ति स्वामित्व का और 20 प्रतिशत कवर करते हैं।

एनबीएफसी को व्यवसाय प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त करना: वित्तीय समावेशन को और तेज करने के प्रायस में रिजर्व बैंक ने कुछ उपाय किए हैं जिसमें वाणिज्यिक बैंकों को दी गई यह अनुमति शामिल है कि वे एनबीएफसी को कारोबार प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त कर सकते हैं (केवल एनबीएफसी-एनडी ही बैंक के कारोबार प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने के लिए पात्र हैं)। एनबीएफसी को कारोबार प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त करते समय बैंकों को सुनिश्चित करना है कि उनके फंड एनबीएफसी के फंड के साथ आपस में न मिल जाएं। जब एनबीएफसी-एनडी बैंक के कारोबार प्रतिनिधि के रूप में कार्य करें तो बैंकों को उन्हें ऐसी प्रथाओं जैसेकि केवल अपने ग्राहकों को बचत या धनप्रेषण की सुविधा देना और उनके एवं बैंक द्वारा दी जा रही सेवाओं को जबरन एक साथ मिलाकर देने से रोकना है।

विकासात्मक वित्तीय संस्थाएं : विशिष्ट निधि संवितरण पर निर्भरता

3.41 राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड), भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) और राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) जैसी विकासात्मक वित्तीय संस्थाएं (डीएफआई) चुनिंदा क्षेत्रों में बैंकों और वित्तीय संस्थाओं की पुनर्वित्त की जरूरतों


को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। बैंक इन संस्थानों द्वारा जारी किए गए दीर्घावधि ऋण लिखतों को खरीदते हैं और उनसे पुनर्वित्त की सुविधाओं का भी लाभ लेते हैं। तथापि, बदल रहे विनियामक और कारोबारी परिदृश्य में डीएफआई द्वारा अपनी निधीयन व्यवस्थाओं की कुछ अनूठी विशेषताओं की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता है विशेष तौर पर, जो ग्रामीण बुनियादी

संरचना विकास निधि (आरआईडीएफ)²² जैसे कुछ निधियों में बैंकों द्वारा किए जा रहे अधिदेशात्मक अभिदान से संबंधित है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों (एमएसएमई) और आवास जैसे क्षेत्रों में सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) जैसे संस्थानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए इन डीएफआई में आरआईडीएफ और पुनर्वित्त निधि की श्रेणी वाले कुछ अन्य विशेष कोष स्थापित किए गए हैं। इन निधियों का विकास तेजी से हो रहा है और बैंक प्राथमिकता क्षेत्र को दिए जाने वाले ऋण के लक्ष्य में कमी की भरपाई के लिए बड़ी मात्रा में इसका उपयोग कर रहे हैं। दीर्घावधि बांड और विशेष फंड दोनों में सितम्बर 2014 तक बैंकिंग क्षेत्रों ने रु.1 ट्रिलियन से अधिक का निवेश किया है। इसके साथ ही, उसी अवधि के दौरान डीएफआई द्वारा बैंकिंग क्षेत्र को रु. 800 बिलियन से अधिक का ऋण और अग्रिम प्रदान किया गया। इससे यह संकेत मिलता है कि बैंकों द्वारा विशेष प्रयोजनों के लिए मूल रूप से आबंटित निधि का एक बड़ा हिस्सा पुनः वापस तुलनपत्र में जा रहा है (चार्ट 3.10 और 3.11)।

बैंकों द्वारा वित्तीय समावेशन के प्रयास


3.42 भारतीय रिजर्व बैंक ने जनवरी 2010 में वित्तीय समावेशन को अपनी प्रमुख परियोजनाओं में से एक के रूप में अपनाया था। बाद में, वित्तीय समावेशन संबंधी पहल की अगुवाई एफएसडीसी की उप समिति के अधीन वित्तीय समावेशन और वित्तीय साक्षरता पर तकनीकी समूह द्वारा की गई जिसमें वित्तीय क्षेत्र के सभी विनियामक और अन्य सरकारी तथा गैर-सरकारी एजेंसियां शामिल हैं। बैंकों को इसे अपनी कॉर्पोरेट कारोबार योजना का एक अभिन्न हिस्सा बनाकर कारोबारी रणनीतियों की तर्ज पर और तुलनात्मक लाभ के अनुरूप वित्तीय समावेशन योजना को तैयार करने की सलाह दी गई है। इन पहलों में, बैंकिंग आउटलेट खोलने के लिए बैंकों के लिए लक्ष्य तय करना, शहरी क्षेत्रों में व्यवसाय प्रतिनिधि (बीसी) आउटलेट खोलना, बुनियादी बचत और जमा खाता (बीएसबीडीए) खोलना, बीएसबीडीए में ओवरड्राफ्ट की सुविधा प्रदान करना, व्यवसाय प्रतिनिधि -सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (बीसी-आईसीटी) खातों में किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी)/सामान्य क्रेडिट कार्ड(जीसीसी) जैसे कृषि और कृषितर ऋण उपलब्ध कराना शामिल है। वर्ष 2014-15 के लिए

चार्ट 3.10 : डीएफआई में बैंकिंग क्षेत्र का निवेश²³



स्रोत : आरबीआई पर्यवेक्षी विवरणियां और आरबीआई के स्टाफ का आकलन

चार्ट 3.11 : डीएफआई द्वारा बैंकिंग क्षेत्र को दिए गए ऋण और अग्रिम



स्रोत : आरबीआई पर्यवेक्षी विवरणियां और आरबीआई स्टाफ का आकलन

²² आरआईडीएफ की स्थापना सरकार द्वारा की गई थी और इसका प्रबंधन नाबार्ड करता है।

²³ निवेश का अर्थ दीर्घावधि बांड, विशेष निधियों में जमाराशियां और अन्य जमाराशियां हैं। इसमें इक्विटी, अल्पकालिक मुद्रा बाजार लिखतों और ऋणों और अग्रिमों में निवेश शामिल नहीं है।

वित्तीय समावेशन योजना के तहत पहली छमाही के दौरान की गई प्रगति के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु बॉक्स 3.3 में दिए गए हैं।

प्रधानमंत्री की जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) के साथ अभिसरण(कनवरजेंस)²⁴

3.43 भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई प्रधानमंत्री की जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) का उद्देश्य अधिकांशतः वित्तीय समावेशन के उद्देश्यों से जैसा ही है, जिसकी वकालत भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा की जा रही है। पीएमजेडीवाई की योजना का कार्यान्वयन वित्तीय समावेशन के अंतर्गत रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित नीतियों पर आधारित है। रिजर्व बैंक ने इससे संबंधित आंकड़ों को इकट्ठा करने के लिए विस्तृत वित्तीय समावेशन योजना संबंधी फार्मेट तैयार किया है जिसका प्रयोग बैंकों द्वारा पीएमजेडीवाई के अंतर्गत हुई प्रगति का रिपोर्ट करने में किया जा रहा है।

3.44 आगे चलकर बैंकों को वित्तीय समावेशन योजना के अंतर्गत तय किए गए अपने लक्ष्यों को संशोधित करना होगा ताकि वे सरकार द्वारा पीएमजेडीवाई के अंतर्गत उन्हें आबंटित लक्ष्यों के अनुरूप बन सकें। इससे संबंधित रोडमैप के तहत 2000 से कम की जनसंख्या वाले गांवों में बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध

कराने की समय सीमा मार्च 2016 से संशोधित करके अगस्त 2015 करना पड़ सकता है। किसी स्थान पर बुनियादी बैंक खाते खोलने संबंधी लक्ष्यों में संशोधन होने से बैंकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे 26 जनवरी 2015 तक प्रत्येक घरों के लिए कम से कम एक बैंक खाता खोलें।

3.45 ₹.5000 की ओवरड्राफ्ट सुविधा प्रदान करते समय बैंकों के लिए यह आवश्यक होगा कि वे छः माह²⁵ तक खाते में संतोषजनक परिचालन का ध्यान रखें तथा इसके प्रति यथाविधि उचित सतर्कता बरतें। इसके अतिरिक्त बैंकों को सलाह दी जाती है कि वे आईबीए के सहयोग से वित्तीय जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करें ताकि प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत खोले गए खातों में प्रदान की जा रही सुविधाओं के संबंध में ग्राहकों को शिक्षित किया जा सके।

प्रधानमंत्री जन धन योजना को बीमा और पेंशन सेवाओं तक बढ़ाना

3.46 बीमा और पेंशन की कम मात्रा को देखते हुए, प्रधानमंत्री जन धन योजना की भाँति इसे तदनुसार बढ़ाया जा सकता है अथवा ऐसी परियोजना बनाई जा सकती है ताकि आम जन को बीमा और पेंशन सेवाओं में शामिल किया जा सके।

बॉक्स 3.3: वित्तीय समावेशन योजना: सितंबर 2014 तक प्रगति

घरेलू सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंकों (आरआरबी सहित) द्वारा उनके वित्तीय समावेशन योजना के तहत अप्रैल 2014 से सितंबर 2014 तक छः महीने की अवधि के दौरान की गई प्रगति में शामिल हैं :

वर्तमान छमाही के दौरान बैंकिंग आउटलेट की संख्या में 62,948 की वृद्धि हुई जिससे सितंबर 2014 के अंत में बैंकिंग आउटलेट की कुल संख्या 446,752 हो गई। सितंबर 2014 को समाप्त छमाही में बीएसबीडीए की संख्या 305 मिलियन तक पहुँच गई और इस अवधि के दौरान खातों की संख्या में 62 मिलियन की वृद्धि हुई। प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) के तहत सरकार की पहल को देखते हुए अगस्त/सितंबर 2014 के दौरान बीएसबीडीए खोलने की संख्या में काफी वृद्धि हुई।

पीएमजेडीवाई के अंतर्गत सितंबर 2014 के अंत तक करीब 57 लाख खाते खोले गए हैं। बीएसबीडीए के अंतर्गत बीसी-आईसीटी लेनदेनों में निरंतर बढ़ोतरी होने से मार्च 2014 को समाप्त वर्ष के दौरान हुए 329 मिलियन लेनदेनों की तुलना में सितंबर 2014 को समाप्त छमाही में कुल 220 मिलियन लेनदेन हुए।

कृषि क्षेत्र की उद्यमी गतिविधियों के लिए दिए जाने वाले ऋण के प्रवाह को प्रतिबिंबित करने वाले किसान क्रेडिट कार्ड में सितंबर 2014 को समाप्त छमाही में 1.2 मिलियन की वृद्धि दर्ज की गई। कृषितर क्षेत्र में उद्यमी गतिविधियों के लिए दिए जाने वाले ऋण के प्रवाह को प्रतिबिंबित करने वाले जीसीसी में सितंबर 2014 को समाप्त छमाही के दौरान 1.3 मिलियन की वृद्धि दर्ज की गई। सितंबर 2014 के अंत तक 8.8 मिलियन खातों में कुल ₹.1165 बिलियन की राशि बकाया थी।

²⁴ अगस्त, 2014 में प्रधानमंत्री द्वारा प्रारंभ की गई एक विस्तृत समावेशन योजना।

²⁵ सितंबर 2014 को समाप्त छमाही के दौरान 547,000 नए बीएसबीडीए धारकों ने ओवरड्राफ्ट की सुविधा का लाभ उठाया। तथापि, कुल 305 मिलियन बीएसबीडीए खाता धारकों में से अभी तक केवल 6.6 मिलियन खाताधारकों ने इसके साथ उपलब्ध ओवर ड्राफ्ट सुविधा का लाभ उठाया है।

प्रतिभूति बाजार का विनियमन


अपतटीय डेरिवेटिव लिखतों (ओडीआई) के रुझान

3.47 पिछली 2-3 तिमाहियों में भारतीय शेयर बाजारों में अच्छी तेजी देखी गई है जो भारतीय अर्थव्यवस्था की आधारभूत मजबूती एवं उसकी संभावनाओं में निवेशकों के विश्वास को दर्शाती है। हालांकि खुदरा निवेशक की भागीदारी अभी भी अपेक्षाकृत कम बनी हुई है परंतु भारतीय शेयर बाजारों की प्रतिलाभ देने की क्षमता और उसका प्रदर्शन के संदर्भ में अपतटीय डेरिवेटिव लिखतों (ओडीआई)²⁶ के माध्यम से पर्याप्त मात्रा में विदेशी निवेश आकर्षित हो रहा है।

3.48 हालांकि विदेशी भागीदारी से भारतीय शेयर बाजार में गहराई और तरलता आती है परंतु इससे वैश्विक और घरेलू अनेक कारकों के कारण अत्यधिक उतार-चढ़ाव की अप्रत्याशित घटनाओं से जोखिमों में भी बढ़ोतरी हो जाती है। भारतीय शेयर बाजार के मूल्यन में अत्यधिक वृद्धि के इस वर्तमान दौर में ओडीआई के माध्यम से होने वाले निवेश में भी बहुत अधिक बढ़ोतरी देखी गई है और आनुमानिक मूल्यों और अभिरक्षा में रखी गई ऑस्तियों ने 2008 के बाद अक्टूबर 2014 में (चार्ट 3.12) में उच्चतम स्तर को छुआ।

3.49 पिछली वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ-साथ भारतीय प्रतिभूति और विनियमन बोर्ड (सेबी) द्वारा विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) के लिए विनियामक ढांचे में किए गए बड़े बदलावों और ओडीआई को जारी करने के लिए 'अपने ग्राहक को जानें' मानदंडों को कड़े करने संबंधी बातों को शामिल किया था। विनियमन 'अविनियमित' विदेशी निधियों को ओडीआई में लेनदेन करने से रोकता है भले ही उनके निवेश प्रबंधक अपने से संबंधित विनियामकों के विनियमन के अधीन हों। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों के विनियमनों को विदेशी निवेश की आवश्यकताओं के संदर्भ में और अधिक सुदृढ़ बनाया गया और ओडीआई खरीदने वाले निकाय प्रासंगिक अंतरराष्ट्रीय मानकों के तय करने वाले निकायों जैसे प्रतिभूति आयोगों का अंतरराष्ट्रीय

चार्ट 3.12 : विदेश स्थित व्युत्पन्नी लिखतों की प्रवृत्ति



स्रोत : सेबी

संगठन (आईओएससीओ) और अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक (बीआईएस) के सदस्य और सेबी के साथ प्रासंगिक बहुपक्षीय और द्विपक्षीय समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर करने वाले देशों और अधिकार क्षेत्रों से ही संबंधित होगा। धन-शोधन निवारण और आतंकवाद के वित्तपोषण की रोकथाम (एएलएम/सीएफटी)²⁷ के अंतरराष्ट्रीय विनियमों के अनुपालन में वित्तीय कार्रवाई कार्यदल (एफएटीएफ) के सार्वजनिक वक्तव्य में चिह्नित देशों के निवासियों से ओडीआई खरीद को प्रतिबंधित किया गया है।

²⁶ अपतटीय डेरिवेटिव लिखतों (ओडीआई) के माध्यम से विदेशी निवेशक भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध या सूची के लिए प्रस्तावित प्रतिभूति में एक्सपोजर ले सकता है। ये लिखत विदेशी विनियामक प्राधिकरण द्वारा विनियमित पंजीकृत विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) द्वारा व्यक्तियों को जारी किए जा सकते हैं बशर्ते कि 'अपने ग्राहक का जानिए' संबंधी मानदंडों का अनुपालन किया गया हो।

²⁷ सेबी का परिपत्र : अपतटीय डेरिवेटिव लिखतों को जारी करने की शर्तें (विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक) विनियमन, 2014, 24 नवंबर (http://www.sebi.gov.in/cms/sebi_data/attachdocs/1416827082538.pdf पर उपलब्ध)

अपारदर्शी ढांचे वाले निकायों को ओडीआई की खरीद करने से प्रतिबंधित किया गया है। इसके अलावा, एफपीआई पर लागू निवेश प्रतिबंधों, जिनमें यह अपेक्षा की गई है कि प्रत्येक कंपनी के इक्विटी शेयरों की खरीद एकल एफपीआई द्वारा या किसी निवेश समूह द्वारा की गई खरीद किसी भारतीय कंपनी की कुल जारी की गई पूंजी के 10 प्रतिशत से कम होगी, को ओडीआई के लिए भी लागू कर दिया गया है।


इक्विटी बाजारों के डेरिवेटिव खंड में तेजी से वृद्धि

3.50 पिछली वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट में नकदी बाजार खंड की तुलना में इक्विटी डेरिवेटिव की मात्रा में उच्च वृद्धि को दर्शाने वाली प्रवृत्ति के महत्व को उठाया गया था। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2014-15 (चार्ट 3.13) के पहले छह महीनों के दौरान डेरिवेटिव बाजार की तुलना में नकदी बाजार के कारोबार के अनुपात में गिरावट की प्रवृत्ति जारी रही।

म्यूचुअल फंड से प्रणालीगत जोखिम : भारतीय संदर्भ

3.51 वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट (जीएफएसआर), (अक्टूबर 2014) में पाया गया है कि 2007 से म्यूचुअल फंड (एमएफ), एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ईटीएफ) और घरेलू निवेशक अमेरिकी कॉरपोरेट और विदेशी बांड के सबसे बड़े धारक बने जो कुल धारित राशि का 30 प्रतिशत रहा। वैश्विक स्तर पर वित्तीय स्थिरता के नजरिए से, बैंकों के माध्यम से होने वाले ऋण मध्यस्थता की तुलना में आस्ति प्रबंधकों और बाजारों के माध्यम से होने वाले ऋण मध्यस्थता के कुछ खास फायदे हैं जैसाकि निवेश जोखिम काफी हद तक निवेशकों द्वारा वहन किया जाता है और तरलता ज्यादातर बाजारों द्वारा प्रदान की जाती है। तथापि, ऋण लिखतों में किए गए निवेशों की अनेक विशेषताएं ऐसी हो सकती हैं जिसके परिणामस्वरूप उच्च वित्तीय स्थिरता जोखिम सामने आ सकते हैं। पिछली वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट में भारतीय म्यूचुअल फंड उद्योग के उन संरचनागत विशेषताओं पर प्रकाश डाला गया था, जिसकी सेबी के उचित विनियमों के कारण वित्तीय स्थिरता जोखिम के प्रति उन्मुख होने की कम संभावना है। इसके अलावा, म्यूचुअल फंड उद्योग में खुदरा भागीदारी कम है जैसाकि आमतौर पर कॉरपोरेट के पास कुल प्रबंधनाधीन आस्तियों (एयूएम) का बड़ा हिस्सा है जो 47 प्रतिशत के आसपास है। इसके अलावा, खुदरा निवेशक म्यूचुअल फंड में किए गए निवेश को 'जल्द न बेचने' की प्रवृत्ति दर्शाते हैं।

चार्ट 3.13 : नकदी बाजार की तुलना में व्युत्पन्नी बाजार का टर्नओवर अनुपात (अप्रैल - सितंबर 2014 के दौरान)



स्रोत : सेबी


म्यूचुअल फंड उद्योग में धारिता का स्वरूप

3.52 दुनिया भर में, म्यूचुअल फंड क्षेत्र में बहुत अधिक विविधता है क्योंकि आस्ति प्रबंधन उद्योग बैंकों, कॉरपोरेट संस्थाओं, बीमा निधियों, पेंशन निधियों, राष्ट्रिक धन निधियों (एसडब्ल्यूएफ) और उच्च मालियत वाले व्यक्तियों (एचएनआई)/खुदरा निवेशकों को शामिल करते हुए व्यापक और विविध निवेशकों को पारंपरिक और वैकल्पिक निधियों का विकल्प प्रदान करता है। निवेशक श्रेणियों, निवेश उत्पादों और भौगोलिक पहुंच (चार्ट 3.14) के संदर्भ में भारतीय आस्ति प्रबंधन का प्रसार अपेक्षाकृत सीमित और संकेंद्रित है।

3.53 कॉरपोरेट के पास कुल प्रबंधनाधीन आस्तियों (एयूएम) का लगभग आधा हिस्सा है, उसके बाद उच्च मालियत वाले व्यक्तियों और खुदरा निवेशकों की हिस्सेदारी है। बाजार बहुत अधिक संकेंद्रित है और कुल प्रबंधनाधीन आस्तियों (एयूएम) का लगभग तीन चौथाई हिस्सा पांच सबसे बड़े महानगरीय शहरों में ही केंद्रित है। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में उत्पादों और निधि योजनाओं के रेंज में विस्तार हुआ है और आय मूलक योजनाएं ही निवेश के बड़े हिस्से को आकर्षित कर रही हैं, इसके बाद तरल/मुद्रा बाजार और संवृद्धि उन्मुख योजनाओं की बारी आती है। यह देखा गया है कि अन्य निवेशक श्रेणियों की तुलना में संवृद्धि (इक्विटी) मूलक योजनाओं में दीर्घावधि निवेश का बड़ा हिस्सा खुदरा निवेशकों की ओर से किया गया है।

3.54 जीएफएसआर (अक्टूबर 2014) में पाया गया है कि म्यूचुअल फंड²⁸ में बढ़ी हुई धारिता से इन निधियों से निकलने की संभावना अधिक हो सकती है। 2014 में इक्विटी और गैर-इक्विटी प्रबंधनाधीन आस्तियों (एयूएम) की संरचना विभिन्न निवेशकों की विभिन्न अवधि वाले बास्केट में हिस्सेदारी इंगित करता है और ये बास्केट बेहद कम अवधि से लेकर लंबी अवधि के हैं और यह बताते हैं कि भारतीय संदर्भ में खुदरा निवेशक इक्विटी और गैर-इक्विटी दोनों निवेश के मामले में, म्यूचुअल फंड में लंबी अवधि तक निवेश करने की प्रवृत्ति रखते हैं (चार्ट 3.15 और 3.16)। खुदरा निवेशकों की यह प्रवृत्ति उनकी बाजार संवेदनशीलता को भी उजागर करती है जिसके चलते वे बाजार का अनुकरण ऐसे समय करने लगते हैं जब कॉरपोरेट या संस्थागत निवेशकों द्वारा भारी बिकवाली या किन्हीं अन्य कारणों से रुझान में परिवर्तन होता है।


चार्ट 3.14 : निवेशक प्रकार, निवेश उत्पादों तथा भौगोलिक पहुंच के अनुसार भारत में म्यूचुअल फंडों के एयूएम का वितरण



स्रोत : सेबी

²⁸ कुई, चैन, आइटे गोल्डस्टेन एंड वेई ज्यांग 2010, "पे-आफ कांपलिमेंटैरिटीज एंड फाइनेंशियल फ्रेजिलिटी: म्यूचुअल फंड से साक्ष्य," *जर्नल आफ फाइनेंशियल इकानामिक्स* 97(2); 239-262

चार्ट 3.15 : निवेशकों के अनुसार इक्विटी एयूएम संरचना (अवधि-वार)




टिप्पणी : * 30 सितंबर 2014 की स्थिति के अनुसार। व्यक्तिगत रूप से रु.0.5 मिलियन एवं उससे अधिक का निवेश करने वालों के रूप में परिभाषित एचएनआई।
स्रोत : सेबी, एएमएफआई।

तथापि, फरवरी, 2012 के सेबी के अनुदेश के अनुसार म्यूचुअल फंडों द्वारा अपनाए गए उचित मूल्यांकन सिद्धांत का पालन यह सुनिश्चित करता है कि सभी निवेशकों के साथ उचित प्रकार का व्यवहार हो, चाहे वो मौजूदा निवेशक हों अथवा ऐसे निवेशक जो म्यूचुअल फंड की यूनितों को बेचना अथवा खरीदना चाहते हों। इस सिद्धांत के अनुपालन से निवेशकों को उस प्रोत्साहन से वंचित कर देता है जो कि अन्य निवेशकों की तुलना में उन्हें पहले बिक्री करने पर प्राप्त होता था और इस प्रकार योजना पर मोचन का दबाव कम हो जाता है और धन निकालने की होड़ का जोखिम कम हो जाता है।

एएमसी द्वारा सभी योजनाओं के म्यूचुअल फंड में इक्विटी पोर्टफोलियो धारिता का संकेंद्रीकरण

3.55 अप्रैल 2014 से सितंबर 2014 की छमाही के दौरान म्यूचुअल फंडों द्वारा इक्विटी में किए गए नियोजन में लगभग 50 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। इस समय 41 एएमसी है और उनके पास रु. 9,594.14 बिलियन की प्रबंधनाधीन आस्तियां (एयूएम) हैं और इनका वितरण दर्शाता है कि पेरिटो के 80-20 सिद्धांत के अनुसरण में ही कुछ एएमसी के पास ही अधिकांश आस्तियां मौजूद हैं। शीर्ष दस एएमसी²⁹ के इक्विटी में पोर्टफोलियो होल्डिंग के साथ-साथ इक्विटी स्टॉक में शीर्ष के दस होल्डिंग के विश्लेषण से पता चलता है कि एएमसी के पोर्टफोलियो में चुनिंदा स्टॉक का ही समावेश है जो एक खास समूह के शेयरों की ओर वरीयता का संकेत करती है (तालिका 3.4 और चार्ट 3.17)।

चार्ट 3.16 : निवेशकों के अनुसार इक्विटी से इतर एयूएम संरचना (अवधि-वार)




टिप्पणी : * 30 सितंबर 2014 की स्थिति के अनुसार। व्यक्तिगत रूप से रु.0.5 मिलियन एवं उससे अधिक का निवेश करने वालों के रूप में परिभाषित एचएनआई।
स्रोत : सेबी, एएमएफआई।

सारणी 3.4 : भारतीय पारस्परिक निधि उद्योग में संकेंद्रण से संबंधित चुनिंदा सूचक

कुल एयूएम के प्रतिशत के रूप में इक्विटी एयूएम	31.6
कुल इक्विटी एयूएम के प्रतिशत के रूप में शीर्ष-10 एएमसी इक्विटी	77.7
शीर्ष-10 एएमसी में से प्रत्येक में शीर्ष-10 स्टॉक / शीर्ष एएमसी का कुल एयूएम	30.7
शीर्ष-10 एएमसी की कुल इक्विटी एयूएम के प्रतिशत के रूप में समग्र रूप से शीर्ष-10 स्टॉकों के एयूएम	22.8
कुल इक्विटी एयूएम के प्रतिशत के रूप में शीर्ष-4 एएमसी की इक्विटी एयूएम का हिस्सा	49.0

स्रोत : एएमसी

चार्ट 3.17 : शीर्ष-10 एएमसी द्वारा सामूहिक रूप से धारित इक्विटी शेयर का बारंबारता वितरण



स्रोत : एएमसी

²⁹ 30 सितंबर 2014 तक उच्चतम इक्विटी एयूएम होल्डिंग पर आधारित।

3.56 एएमसी द्वारा शीर्ष के दस स्टॉकों में एक्सपोजर अर्थात् इंडेक्स (सीएनएक्स निफ्टी 100) में इन शीर्ष के दस स्टॉकों (बाजार पूंजीकरण के आधार पर) के वेटेज का विश्लेषण एएमसी के इक्विटी निवेश में अत्यधिक संकेंद्रण के स्तर को दर्शाता है। हालांकि शीर्ष दस स्टॉकों का सूचकांक के कुल बाजार पूंजीकरण में 46 प्रतिशत की हिस्सेदारी है, परंतु शीर्ष दस एएमसी की प्रबंधनाधीन आस्तियों में दस शीर्ष स्टॉकों की हिस्सेदारी लगभग 74 प्रतिशत है जो सबसे अधिक तरलता वाले चुनिंदा समूह के प्रति वरीयता की ओर संकेत करती है। हालांकि एएमसी/योजनाओं द्वारा विशेष स्क्रिप में एक्सपोजर की सीमा के लिए विनियम है परंतु एक व्यापक परिप्रेक्ष्य में प्रतिभूति बाजार की स्थिरता और विकास पर नजर रखने के लिए म्यूचुअल फंड क्षेत्र द्वारा काफी अधिक मात्रा में एक ही स्थान पर संकेंद्रण करने पर निगरानी रखने की आवश्यकता है।

वित्तीय बाजार की बुनियादी सुविधाएं

3.57 भुगतान और निपटान प्रणाली (सीपीएसएस)³⁰ और एफएसबी के संबंध में गठित समिति का एक भागीदार होने के नाते भारतीय रिजर्व बैंक सीपीएसएस-आईओएससीओ 'वित्तीय बाजार बुनियादी सुविधा सिद्धांत' (पीएफएमआई) को लागू करने के लिए वचनबद्ध है। भारत में वित्तीय बाजार बुनियादी सुविधा के सिद्धांतों को लागू करने एवं उस पर निगरानी रखने के लिए एफएसडीसी उप-समिति के निर्देशों पर भारतीय रिजर्व बैंक, सेबी और वायदा बाजार आयोग (एफएमसी) के सदस्यों को शामिल करते हुए एक अंतर-एजेंसी कार्यान्वयन समूह (आईएआईजी) का गठन किया गया है। रिजर्व बैंक के विनियम के अंतर्गत सीसीआईएल का निर्धारण एक महत्वपूर्ण वित्तीय बाजार बुनियादी सुविधा (एफएमआई) के रूप में किया गया है।

साइबर सुरक्षा का महत्व और पीएफएमआई की प्राथमिकताओं में संभावित संघर्ष

3.58 इलेक्ट्रॉनिक भुगतान, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग के बढ़ते हुए उपयोग के साथ वित्तीय स्थिरता के दृष्टिकोण से सूचना की सुरक्षा और परिचालनगत विश्वसनीयता की चुनौती बहुत महत्वपूर्ण हो गई है। पीएफएमआई के अंतर्गत एक खंड³¹ में यह अपेक्षा की गई है कि एफएमआई परिचालक कारोबार

निरंतरता योजना को “इस प्रकार डिजाइन किया जाए जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि बाधा उत्पन्न होने की घटना के दो घंटे के भीतर उस कार्य को महत्वपूर्ण सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली वापस परिचालित कर दे” और बाधागत लेनदेन का उसी दिन के अंत तक “पूरी तरह से निपटान” कर लिया जाए, भले ही कितनी विकट परिस्थितियां क्यों न हों। हालांकि, इस अपेक्षा के तत्काल अनुपालन के लिए उत्पन्न बाधा के कारणों की गुणवत्ता एवं पूर्णता की समीक्षा एवं उससे पड़ने वाले दूरगामी प्रभावों के साथ थोड़ा-बहुत समझौता करना पड़ेगा। हालांकि देश के वित्तीय एवं अन्य प्रकार के सूचना नेटवर्क की बुनियादी सुविधाओं पर बड़े पैमाने पर गंभीर स्वरूप के ‘साइबर आक्रमण’ की स्थिति में प्रणाली के सभी महत्वपूर्ण तत्वों को बहाल कर पाना व्यावहारिक रूप से संभव नहीं हो पाएगा। इस स्थिति का पीएफएमआई के सिद्धांत 16 के साथ भी विवाद होगा क्योंकि इस सिद्धांत में यह अपेक्षा है कि एफएमआई उसके सहभागियों की आस्तियों की रक्षा करे और नुकसान होने का जोखिम कम से कम हो, इसलिए साइबर आक्रमण की स्थिति में नुकसान होने से बचाव, वित्तीय आस्तियों से संबंधित डाटा तथा लेन-देन की जानकारी की चोरी या धोखे से उनके अंतरण को रोकने की प्राथमिकता होना चाहिए।

भारत के लिए विधिक संस्था के निर्धारक

3.59 भारतीय रिजर्व बैंक ने भारत में विश्व से संगत विधिक संस्था निर्धारक (एलईआई) जारी करने लिए सीसीआईएल को स्थानीय परिचालक इकाई (एलओयू) के रूप में कार्य करने के लिए चयन किया है। इस संबंध में बुनियादी सुविधाएं मुहैया करा दी गई हैं, और एलईआई संहिता का प्रयोग ओटीसी डेरिवेटिव लेनदेन तथा बड़े उधारकर्ताओं (विधिक संस्थाएं) के लिए चरणबद्ध रूप से अनिवार्य कर दिए जाने की संभावना है।

भुगतान और निपटान प्रणाली

लेनदेनों की इलेक्ट्रॉनिक पद्धतियों का बढ़ता उपयोग

3.60 देश में भुगतान और निपटान प्रणाली की सुविधाएं बिना किसी बाधा के कार्य कर रही हैं। लेनदेन के निपटान में इलेक्ट्रॉनिक निधि का बढ़ता हुआ उपयोग इस प्रणाली में हुई प्रगति को सिद्ध

³⁰ अब इसका नाम भुगतान और बाजार बुनियादी सुविधा समिति (सीपीएमआई) हो गया है।

³¹ पीएफएमआई के 17वें सिद्धांत के तहत मुख्य विचार।

करता है। अगस्त 2014 में कुल निपटान का तकरीबन 90 प्रतिशत खुदरा आधारित समाशोधन का हिस्सा भी पिछले वर्ष की तुलना में थोड़ा सा कम हुआ है (चार्ट 3.18 और 3.19)।

‘कार्ड अप्रस्तुत’ लेनदेन से संबंधित सुरक्षा मामले और जोखिम निवारण उपाय


3.61 कार्ड से लेनदेन की सुरक्षा और जोखिम निवारण के संबंध में वर्ष 2009 से लेकर समय-समय पर अनुदेश जारी किए गए हैं, जिसमें यह अनिवार्य किया गया है कि कार्ड प्रस्तुत नहीं करके किए गए सभी लेन-देनों के लिए अतिरिक्त प्रमाणन कारक (एफए) का उपयोग किया जाए। ये अनुदेश भारत में पूर्व में उन कार्डों से किए जा रहे लेनदेनों के लिए लागू थे जो कार्ड भारत में बैंकों द्वारा जारी किए गए थे। हाल में ऐसे उदाहरण ध्यान में आए हैं जिनमें संस्थाएं वैकल्पिक कारोबारी/भुगतान माडलों के माध्यम से कार्ड अप्रस्तुत लेनदेनों से संबंधित अनुदेशों का उल्लंघन कर रही हैं, जिनमें लेनदेन बिना अनिवार्य अतिरिक्त प्रमाणन/वैधीकरण के किए गए हैं, यहां तक कि अंतर्निहित लेनदेनों में भारत के दो निवासियों के बीच लेनदेन बड़े आराम से किए जा रहे थे।

3.62 इस घटना को ध्यान में रखते हुए बैंकों को अनुदेश जारी किए गए हैं और बैंकों को यह सूचित किया गया है कि भारत में बैंकों द्वारा जारी कार्डों का उपयोग यदि देश के भीतर उपलब्ध करवाए जाने वाले माल एवं सेवाओं की खरीद के लिए किया जाता है और कार्ड अप्रस्तुत भुगतान सुविधा का उपयोग किया जाता है तो इस प्रकार के लेनदेन भारत में बैंक के माध्यम से किए जाएं और कार्ड भुगतान सुरक्षा तथा विदेशी मुद्रा संबंधी वर्तमान अनुदेशों एवं दिशानिर्देशों का पालन करते हुए लेनदेन का निपटान अनिवार्यतः भारतीय करेंसी में किया जाए।

मुख्य निपटान गारंटी निधि, चूक की अतिशयता और दबाव जांच


3.63 ‘भारत में प्रतिभूति बाजार का व्यवस्थित और स्वस्थ विकास’ के उद्देश्य के साथ आगे बढ़ते हुए तथा बाजार को प्रणालीगत जोखिम से सुरक्षित रखते हुए सेबी ने ‘प्रमुख निपटान गारंटी निधि’ के रूप में एक अतिरिक्त सुरक्षा कवच स्तर बनाया है जिससे व्यापार के निपटान में संभावित चूक के जोखिम को समाप्त किया जा सके और घरेलू पूंजी बाजार में जोखिम प्रबंधन ढांचे को मजबूत किया जा सके।

चार्ट 3.18 : निपटान प्रणालियों का वितरण (मूल्य में)



स्रोत : आरबीआई

चार्ट 3.19 : निपटान प्रणालियों का वितरण (मात्रा में)



स्रोत : आरबीआई

3.64 नये ढांचे का मकसद यह है कि समाशोधन निगम की मौजूदा जोखिम प्रबंधन प्रणाली को और भी सक्रिय बनाया जाए ताकि समाशोधन सदस्यों से होने वाली चूक से कारगर तरीके से निपटा जा सके। प्रमुख निपटान गारंटी निधि(एसजीएफ), दबाव जांच एवं चूक प्रक्रिया से संबंधित आधारभूत मानदंड से और अधिक स्पष्टता एवं समानता पैदा होगी तथा यह समाशोधन निगमों की जोखिम प्रबंधन प्रणाली की तीव्रता को बढ़ाते हुए उसे अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं के समरूप बनाएगी (बॉक्स 3.4)।

बॉक्स 3.4: कोर एसजीएफ, चूक की भरमार (डिफाल्ट वाटरफाल) और दबाव जांच पर सेबी के दिशानिर्देश

सेबी ने एसजीएफ, चूक की भरमार और दबाव जांच के बारे में विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए हैं, जिनके उद्देश्य इस प्रकार हैं:

- ए) एसजीएफ के अंतर्गत एक मुख्य निधि(जिसे प्रमुख निपटान गारंटी निधि कहा गया है) का सृजन, जिसकी जमानत पर कोई एक्सपोजर नहीं दिया गया है और यदि समाशोधन के सदस्य निपटान दायित्व पूरा करने में असफल रहते हैं तो समाशोधन निगम के निपटान दायित्वों को पूरा करने के लिए यह निधि तत्काल बिना किसी शर्त के उपलब्ध रहेगी,
- बी) समाशोधन निगमों की दबाव जांच प्रथाओं को एफएमआई सिद्धांतों(ऋण जोखिमों के लिए दबाव जांच हेतु मानदंड, चलनिधि जोखिम के लिए दबाव जांच और रिवर्स दबाव जांच तथा बारंबारता एवं परिदृश्य(सिनेरियो)) के साथ समरूप बनाना,
- सी) संस्थागत एवं गैर-संस्थागत व्यापार दोनों में के निपटान में होने वाली चूक को दबाव जांच में पकड़ना,
- डी) सभी समाशोधन निगमों में चूक की अतिशयता को संगत बनाना,
- ई) केंद्रीय प्रतिपक्षों(सीसीपी) के लिए एक्सपोजर बासेल पूंजी पर्याप्तता की अपेक्षा को ध्यान में रखते हुए चूक न करने वाले सदस्यों की देयताओं को सीमित करना,
- एफ) अन्य खंडों में होने वाली चूक से समाशोधन निगम के प्रत्येक खंडों को चारों ओर बचाने के लिए सुरक्षा घेरा बना देना,

जी) विभिन्न समाशोधन निगमों की दबाव जांच और जोखिम प्रबंधन प्रथा में एकरूपता लाना खासतौर से सदस्यों द्वारा चूक करने के संबंध में।

किसी भी खंड में चूक की अतिशयता आमतौर पर निम्नलिखित क्रम से घटित होती है:

- चूककर्ता सदस्यों के धन
- बीमा, यदि कोई हो
- सीसी संसाधन(एमआरसी के 5 प्रतिशत के बराबर)
- मुख्य एसजीएफ(इसके भीतर दंड भी तथा उसके बाद सीसी ताकि खंड एमआरसी के 25 प्रतिशत तक का नुकसान पहले वहन किया जा सके, उसके बाद सभी अंशदाताओं में समानुपातिक रूप से वितरण)
- शेष सीसी संसाधनों का अंश(अन्य खंड के मुख्य एसजीएफ में सीसी के अंशदान एवं रूप 100 करोड़ को छोड़कर) जो खंड एमआरसी के अनुपात तथा समस्त खंडों के एमआरसी के योग के बराबर होगा।
- अन्य खंडों के मुख्य एसजीएफ में सीसी/स्टाक एक्सचेंज का अंशदान और शेष अनुमोदित सीमा तक सीसी संसाधन
- उच्च सीमायुक्त अतिरिक्त गैर-चूककर्ता सदस्यों का अंशदान(सीसी द्वारा पूर्व-निर्धारित)
- भुगतानों के लिए समानुपातिक मार्जिन की कटौती

वित्तीय सुरक्षा कवच: निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम (डीआईसीजीसी)

3.65 किसी भी क्षेत्र में वित्तीय स्थिरता व्यवस्था के लिए एक सुदृढ़ निक्षेप बीमा प्रणाली आवश्यक है। पिछली वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट में भारत में निक्षेप बीमा प्रणाली के समक्ष प्रस्तुत कतिपय मुद्दों एवं चुनौतियों के बारे में रेखांकित किया गया था, जिनमें अन्य बातों के साथ, वे चुनौतियां शामिल हैं जो प्रभावी निक्षेप बीमा प्रणाली³² के मूल सिद्धांतों के अनुपालन सुनिश्चित करने के अलावा निक्षेप बीमा निधि की पर्याप्तता तथा निक्षेप बीमा कवरेज से संबंधित हैं।

3.66 मूल सिद्धांतों में से एक सिद्धांत में यह जोर दिया गया है कि एक निधीयन (आश्वस्त चलनिधि निधीयन सहित) तंत्र का होना आवश्यक है ताकि जमाकर्ताओं के दावों की तत्काल प्रतिपूर्ति सुनिश्चित की जा सके और बैंक निक्षेप बीमा की लागत को वहन कर सकें। भारत में इस समय डीआईसीजीसी में तीन प्रकार की निधि खाते रखे जा रहे हैं अर्थात् - निक्षेप बीमा निधि (डीआईएफ), ऋण गारंटी निधि (सीजीएफ) और सामान्य निधि (जीएफ)। इनमें से, निक्षेप बीमा निधि (डीआईएफ) का मुख्यतया उपयोग जमाकर्ताओं के दावों के निपटान के लिए किया जाता है और इसमें निधि का स्रोत बीमाकृत बैंक द्वारा अदा किया

³² इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ डिपॉजिट इन्श्योरर ने प्रभावी निक्षेप बीमा प्रणाली और अनुपालन मूल्यांकन विधि के मूल सिद्धांतों में संशोधन कार्य पूरा कर लिया है और उसे वित्तीय स्थिरता बोर्ड को प्रस्तुत कर दिया है।


गया प्रीमियम तथा केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों से प्राप्त होने वाली (और पुनः निवेश) निवेश आय है। इसमें परिसमापकों/प्रशासकों/ अंतरिती बैंकों द्वारा की गई वसूली से भी अल्प राशि प्राप्त होती है। इस प्रकार, डीआईसीजीसी, डीआईएफ का निर्माण प्रत्येक वर्ष व्यय काटकर शेष रहने वाली आय से आयकर का भुगतान करने के बाद बची हुई राशि से करता है। इस निधि का उपयोग परिसमापन/पुनर्निर्माण/समामेलन के तहत बैंकों के जमाकर्ताओं के दावों के निपटान के लिए किया जाता है। डीआईएफ में निधि की मात्रा जून 2014 के अंत में रुपये 441.5 बिलियन थी (चार्ट 3.20)।

3.67 डीआईएफ, बीमांकित देयता और संचित अधिशेष पर आधारित है। बीमांकित देयताएं दावे की वे राशियां हैं जिनका भुगतान डीआईसीजीसी द्वारा अनेक वर्षों से डीआईएफ से किया जा रहा है और इस भुगतान में 12 प्रतिशत की दर से लगातार थोड़ी वृद्धि इसलिए हो रही है कि इस अवधि में कोई बड़ा बैंक फेल नहीं हुआ है। डीआईसीजीसी की देयताएं काफी हद तक सहकारी बैंकों के असफल होने से क्रिस्टलाइज्ड हो जाती हैं, जिसका अर्थ यह है कि इन संस्थाओं के प्रबंधन में कुछ अंतर्निहित कमजोरियां हैं।³³

पेंशन क्षेत्र

3.68 आने वाले दशकों में भारत जैसे विकासशील देश तेजी से बूढ़े हो जाएंगे और उनकी आय का स्तर अपेक्षाकृत कम होगा। भारत में पेंशन नीति परंपरागत रूप से रोजगार संविदा और सेवा शर्तों पर आधारित होती है और उसका वित्तपोषण नियोक्ता एवं कर्मचारी दोनों मिलकर करते हैं। फलस्वरूप, पेंशन का कवरेज केवल संगठित क्षेत्र तक ही सीमित है और असंगठित क्षेत्र के बड़ी संख्या में कामगार वृद्धावस्था की वित्तीय सहायता के औपचारिक चैनल की परिधि से बाहर हैं। अतः, राजकोषीय देयता को नियंत्रण में रखने तथा भारत में एक वहनीय पेंशन प्रणाली लागू करने की ओर जाने के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) जैसे उत्पाद लाए जाने की अतिशय आवश्यकता है। जहां एनपीएस के बारे में जागरूकता पैदा करने और जानकारी के प्रसारण के लिए पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण

चार्ट 3.20 : जमाराशि बीमा निधि : अधिशेष एवं बीमांकित देयताएं



स्रोत : डीआईसीजीसी

(पीएफआरडीए) अग्रणी भूमिका निभा सकता है, वहीं एनपीएस को लोकप्रिय आंदोलन के रूप में विकसित होने की जरूरत है जिसमें अर्थव्यवस्था के सभी हितधारकों को महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने की आवश्यकता है।

एनपीएस के कर-आकलन में विषमताएं और अन्य परंपरागत पेंशन प्रणाली

3.69 एनपीएस स्वैच्छिक है और कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) अनिवार्य योजना है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के लिए विधिक अनिवार्यता है इसलिए ईपीएफ खातों को कार्पोरेट विधिक दायित्व की दृष्टि से बनाए रखते हैं और सरकार द्वारा उसपर प्रतिवर्ष प्रतिफल सुनिश्चित किया जाता है। अन्य सेवानिवृत्त उत्पादों की तुलना में इस उत्पाद को बाधारहित तरीके से सभी कार्पोरेट तक पहुंचाना और उनमें जागरूकता पैदा करना ही आगे की चुनौती है। एनपीएस के संबंध में कर लगाने की स्थिति को स्पष्ट किए जाने की आवश्यकता है क्योंकि ईईटी (छूट, मुक्ति, कर योग्य) स्थिति पर निर्णय अभी भी लंबित है।

³³ ऐतिहासिक रूप से, भारत के संदर्भ में सरकारी क्षेत्र में असफलता की संभावना बिलकुल नहीं है। यहां तक कि महत्वपूर्ण निजी बैंक जिनके यहां समस्याएं थी; वे भी नहीं फेल हुए क्योंकि उन्हें सुदृढ़ सरकारी या निजी क्षेत्र के बैंकों में विलय कर दिया गया और यही विकल्प हाल के विगत समय में वरीयता से अपनया गया था।

पण्य व्युत्पन्नी (डेरिवेटिव) बाज़ार

पण्य बाज़ार में हेज़र-सहभागिता में सुधार लाने हेतु पहल

3.70 बाज़ार में हेज़िंग में सुधार लाने के लिए एफएमसी ने ऐसे सहभागियों को बाज़ार द्वारा निर्धारित मार्जिन (मार्क-टू-मार्केट) को छोड़कर अन्य सभी मार्जिन का भुगतान करने से छूट प्रदान कर दी है जो एक्सचेंजों के पण्यों का शीघ्र 'भुगतान' कर देते हैं। यह भी कि जो सदस्य मार्जिन का पूर्व-भुगतान कर देते हैं उनके द्वारा ली गई पोजीशन में उस मार्जिन को पोजीशन लिमिट में नहीं गिना जाएगा तथा ऐसे सहभागियों को स्प्रेड मार्जिन का भी फायदा मिलेगा।

3.71 कृषि और कृषितर कमोडिटीज़ के लिए खुली पोजीशन सीमाओं हेतु गणना पद्धतियों को संशोधित किया गया है। कृषि कमोडिटीज़ के लिए समग्र एक्सचेंज-वार सकल पोजीशन सीमा को अनुमानित उत्पादन और आयातों के 50 प्रतिशत पर सीमित कर दिया जाएगा। एक्सचेंज के सदस्यों के लिए पोजीशन सीमा ग्राहकों के लिए उपलब्ध स्तर पोजीशन की तुलना में दस गुना अधिक या बाज़ार-वार खुले ब्याज के 20 प्रतिशत तक, जो भी

अधिक हो, पर उपलब्ध होंगी। ग्राहक स्तरीय पोजीशन सीमाएं समय-समय पर निर्धारित की गई अंकीय पोजीशन सीमाएं या बाज़ार-वार खुले ब्याज के 5 प्रतिशत तक, जो भी अधिक हो, उपलब्ध होंगी। कृषि जिन्सों और कृषि उत्पादों के मामले में ग्राहक स्तरीय पोजीशन सीमा कुल उत्पादन और आयात के 1 प्रतिशत तक सीमित होगी। कृषि जिन्सों के लिए निकट माह की पोजीशन सीमाओं को भी संशोधित किया गया है और इसे समग्र पोजीशन सीमाओं के 50 प्रतिशत पर सीमित कर दिया गया है।

3.72 पारदर्शिता में सुधार लाने के लिए, जिन्स वायदा एक्सचेंजों को यह निदेश दिया गया है कि वे अपनी वेबसाइट पर, 'खरीदी' पक्ष में शीर्ष 10 व्यापारी ग्राहकों के साथ ही साथ 'बिक्री' पक्ष में अधिकतम खुले ब्याज के आर्डर की स्थिति, विभिन्न हेज़र्स को आबंटित हेज़ पोजीशन, अनामरूप में दैनिक आधार पर हेज़र्स को दिए गए सुपुर्दिगी चालान को प्रदर्शित करें। इसके अलावा, एक्सचेंजों को अपनी वेबसाइट पर, बाज़ार की सूचना के लिए, निपटान पूरा होने के दस दिन के बाद हेज़र्स सहित शीर्ष 10 ग्राहकों द्वारा जिन्सों की 'पे-इन' और 'पे-आउट' स्थिति दर्शानी होगी।

अनुबंध 1

प्रणालीगत जोखिम सर्वेक्षण

वित्तीय प्रणाली के समक्ष प्रमुख जोखिमों के संबंध में बाजार के प्रतिभागियों सहित विशेषज्ञों की राय जानने के लिए अक्टूबर 2014¹ में प्रणालीगत जोखिम सर्वेक्षण (एसआरएस) किया गया, जो इस श्रृंखला का 7वां सर्वेक्षण है। परिणाम यह सूचित करते हैं कि वित्तीय प्रणाली को प्रभावित करने वाले जोखिमों में अभी भी जोखिम वैश्विक जोखिम तथा समष्टिआर्थिक जोखिम को प्रमुख माना जा रहा है। वैश्विक जोखिम, जो पिछले सर्वेक्षण के दौरान थोड़ा कम हुआ था, की संभावनाएं फिर से बढ़ गईं। फिर भी, बाजार जोखिम की ओर ध्यान देने के बावजूद उसके संबंध में संभावनाएं मध्यम जोखिम की श्रेणी में बनी हुई हैं। पिछले सर्वेक्षण में, मुख्य रूप से तब की विद्यमान मौसम के हालात की अनिश्चित परिस्थितियों के कारण, जिन सामान्य जोखिमों को बड़ा जोखिम माना जा रहा था उनको सर्वेक्षण के वर्तमान दौर में कम माना गया है। संस्थागत जोखिम मध्यम जोखिम श्रेणी में बना हुआ है, हालांकि इसमें कमी आई है (चित्र 1)।

वैश्विक जोखिम के अंतर्गत, सरकारी जोखिम अपरिवर्तित रहा जबकि वैश्विक मंदी का जोखिम थोड़ा बढ़ गया है। इसके अलावा, वैश्विक मुद्रास्फीति जोखिम में गिरावट की प्रवृत्ति देखी गई, वैश्विक निधीयन जोखिम उच्चतर स्थिति में बना रहा।

समष्टिआर्थिक जोखिम की श्रेणी के अंतर्गत, घरेलू आर्थिक संभावना में कमी आने का जोखिम घटकर मध्यम जोखिम की श्रेणी में आ गया है। इसमें, राजनीतिक स्थिरता कायम होने के कारण सरकारी रेटिंग के क्षेत्र में सुस्पष्ट सुधार देखा गया। आश्चर्यजनक रूप से, चालू खाता घाटा (सीएडी) तथा राजकोषीय घाटा के कारण जोखिम की संभावनाएं अपरिवर्तित रहीं जबकि घरेलू मुद्रास्फीति एवं पारिवारिक इकाइयों की बचत के कारण जोखिम की संभावनाओं में कमी आई। समग्ररूप से परिस्थितियों में सुधार होने के बावजूद आधारभूत संरचना के विकास की गति के धीमे होने, पूंजी प्रवाहों, स्थावर संपदाओं की कीमत तथा कॉर्पोरेट क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले जोखिम बढ़कर उच्च जोखिम की श्रेणी में पहुंच गए हैं।

संस्थागत जोखिमों के बीच, बैंकों की आस्तियों की गुणवत्ता चिंता का विषय बनी हुई है जबकि विनियामी जोखिम, परिचालन जोखिम तथा ऋण के कम उठाव के जोखिम तुलनात्मक रूप से बढ़ गए हैं। सामान्य जोखिम के संबंध में, आतंकवाद एवं सामाजिक अशांति से उत्पन्न होने वाले जोखिम की संभावनाएं बढ़ गई हैं (चित्र 2)।

चित्र 1 : प्रणालीगत जोखिम सर्वेक्षणों में चिह्नित किए गए प्रमुख जोखिम समूह (अक्टूबर 2014)									
प्रमुख जोखिम समूह	अक्टू-14	परिवर्तन	अप्रैल-14	परिवर्तन	अक्टू 13	परिवर्तन	अप्रैल-13	परिवर्तन	अक्टू 12
अ. वैश्विक जोखिम		↑		↓		↔		↔	
आ. समष्टिआर्थिक जोखिम		↔		↑		↑		↑	
इ. बाजार जोखिम		↑		↓		↑		↓	
ई. संस्थागत जोखिम		↓		↔		↔		↑	
उ. सामान्य जोखिम		↓		↑		↔		↓	

टिप्पणी :

जोखिम श्रेणी

बहुत अधिक	अधिक	मध्यम	कम	बहुत कम
-----------	------	-------	----	---------

पिछले सर्वेक्षण के बाद से जोखिम में परिवर्तन		
↑	↔	↓
बढ़ा	अपरिवर्तित रहा	घटा

टिप्पणी : जोखिम संभावनाओं के अलग-अलग समय बिंदुओं (अप्रैल और अक्टूबर में अर्द्ध वार्षिक आधार में) पर किए गए प्रणालीगत जोखिमों से उत्पन्न होने के कारण इनमें एक श्रेणी से दूसरी श्रेणी में परिवर्तित हो (बढ़/घट) सकते हैं। इस परिवर्तन को रंग में परिवर्तन द्वारा दर्शाया गया है। हालांकि, समान जोखिम श्रेणी (अर्थात्, समान रंग में दर्शाए गए बॉक्स) में भी जोखिम संभावना बढ़/घट सकती है या अपरिवर्तित रह सकती है, जिनको तीर के निशान के माध्यम से दर्शाया गया है। जोखिम संभावनाओं पर परिवर्तन दो लगातार सर्वेक्षणों के बीच दर्शाया गया है।

स्रोत : भा.रि.बैं., प्रणालीगत जोखिम सर्वेक्षण - अक्टूबर 2012 से अक्टूबर 2014 (अर्द्ध वार्षिक)।

¹ ये सर्वेक्षण अर्द्ध-वार्षिक आधार पर किए जाते हैं। पहला सर्वेक्षण अक्टूबर 2011 में किया गया था।

चित्र 2 : प्रणालीगत जोखिम सर्वेक्षण (अक्टूबर 2014) में चिह्नित किए गए विभिन्न जोखिम				
जोखिम की मद		अक्टू 14	परिवर्तन	अप्रैल-14
अ. वैश्विक जोखिम	वैश्विक मंदी		↑	
	सरकारी जोखिम/संक्रमण		↔	
	निधायन जोखिम (बाहरी उधार)		↑	
	वैश्विक मुद्रास्फीति/मण्य मूल्य जोखिम (कच्चे तेल की कीमत सहित)		↓	
	अन्य वैश्विक जोखिम		↑	
आ. समष्टिआर्थिक जोखिम	घरेलू आर्थिक संभावनाओं का कमजोर होना		↓	
	घरेलू मुद्रास्फीति		↓	
	चालू खाता घाटा		↔	
	पूँजीगत अंतर्वाह/बहिर्वाह (एफआईआई का लौटना, एफडीआई में कमी)		↑	
	सरकारी रेटिंग में गिरावट		↓	
	राजकोषीय जोखिम (उच्च राजकोषीय घाटा)		↔	
	कॉर्पोरेट क्षेत्र का जोखिम (उच्च लिवरेज/निम्न लाभकारिता)		↑	
	आधारभूत संरचना के विकास की कमी/धीमी गति		↑	
	स्थायी संपदा के मूल्य		↑	
	पारिवारिक हकाइयों की बचत		↓	
	राजनीतिक जोखिम		↓	
	अन्य समष्टिआर्थिक जोखिम		↓	
	इ. बाजार संबंधी जोखिम	विदेशी मुद्रा दर का जोखिम		↑
इक्विटी मूल्य में उतार-चढ़ाव			↔	
निधायन जोखिम/चलनिधि जोखिम/ब्याज दर जोखिम			↔	
बाजार संबंधी अन्य जोखिम			↔	
ई. संस्थागत जोखिम	विनियमन जोखिम		↑	
	आस्ति गुणवत्ता में कमी		↔	
	बैंकों की अतिरिक्त पूँजी संबंधी आवश्यकता		↓	
	बैंकों की निधायन संबंधी मुश्किलें		↑	
	ऋण का धीमा उठाव		↑	
	ऋण में बहुत अधिक वृद्धि		↔	
	परिचालनात्मक जोखिम		↑	
	संस्थागत अन्य जोखिम		↑	
उ. सामान्य जोखिम	आतंकवाद		↑	
	प्राकृतिक आपदा/प्रतिकूल मौसमी परिस्थितियाँ		↓	
	सामाजिक अशांति (बढ़ती हुई असमानता)		↑	
	अन्य सामान्य जोखिम		↑	

टिप्पणी :
जोखिम श्रेणी


बहुत अधिक	अधिक	मध्यम	कम	बहुत कम
-----------	------	-------	----	---------

पिछले सर्वेक्षण के बाद से जोखिम में परिवर्तन		
↑	↔	↓
बढ़ा	अपरिवर्तित रहा	घटा

टिप्पणी : जोखिम संभावनाओं के अलग-अलग समय बिंदुओं (अप्रैल और अक्टूबर में अर्द्ध वार्षिक आधार में) पर किए गए प्रणालीगत जोखिमों से उत्पन्न होने के कारण इनमें एक श्रेणी से दूसरी श्रेणी में परिवर्तित हो (बढ़/घट) सकते हैं। इस परिवर्तन को रंग में परिवर्तन द्वारा दर्शाया गया है। हालांकि, समान जोखिम श्रेणी (अर्थात्, समान रंग में दर्शाए गए बॉक्स) में भी जोखिम संभावना बढ़/घट सकती है या अपरिवर्तित रह सकती है, जिनको तीर के निशान के माध्यम से दर्शाया गया है। जोखिम संभावनाओं पर परिवर्तन दो लगातार सर्वेक्षणों के बीच दर्शाया गया है।

स्रोत : भा.रि.बैं., प्रणालीगत जोखिम सर्वेक्षण - अक्टूबर 2014 से अक्टूबर 2014.

वर्तमान सर्वेक्षण में, प्रतिभागियों ने यह महसूस किया कि आने वाले समय (अल्प से मध्यम अवधि) में वैश्विक वित्तीय प्रणाली में उच्च प्रभाव वाली घटना के घटित होने की संभावनाएं बढ़ गई हैं जबकि वैश्विक वित्तीय प्रणाली में उनका विश्वास थोड़ा कम हुआ है। हालांकि, आने वाले समय (अल्प से मध्यम अवधि) में भारतीय वित्तीय प्रणाली में उच्च प्रभाव वाली घटना के घटित होने की संभावना कम मानी गई है। सर्वेक्षण के प्रतिभागियों ने भारतीय वित्तीय प्रणाली पर अधिक विश्वास जताया है (चार्ट 1)।




नोट :

- ए. वैश्विक वित्तीय प्रणाली में आने वाले समय में उच्च प्रभाव वाली घटना घटित होने वाली है (अल्पावधि में : 1 वर्ष तक)
- बी. वैश्विक वित्तीय प्रणाली में आने वाले समय में उच्च प्रभाव वाली घटना घटित होने वाली है (मध्यावधि में : 1 से 3 वर्ष तक)
- सी. भारतीय वित्तीय प्रणाली में आने वाले समय में उच्च प्रभाव वाली घटना घटित होने वाली है (अल्पावधि में : 1 वर्ष तक)
- डी. वैश्विक वित्तीय प्रणाली में आने वाले समय में उच्च प्रभाव वाली घटना घटित होने वाली है (मध्यावधि में : 1 से 3 वर्ष तक)
- ई. समग्र रूप से वैश्विक वित्तीय प्रणाली की स्थिरता पर भरोसा।
- एफ. समग्र रूप से भारतीय वित्तीय प्रणाली की स्थिरता पर भरोसा।

स्रोत : भा.रि.बैं., प्रणालीगत जोखिम सर्वेक्षण - अप्रैल 2014 से अक्टूबर 2014.

आगामी तीन महीनों में ऋण की मांग में संभावित परिवर्तनों के मामले में अधिकांश हिस्सेदारों का मानना था कि इसमें मामूली वृद्धि होने की संभावना है। अधिकांश उत्तरदाताओं ने यह महसूस किया कि आगामी तीन महीनों में ऋण की औसत गुणवत्ता में थोड़ा सुधार हो सकता है या इसमें कोई परिवर्तन नहीं होने की संभावना है (चार्ट 2)।



स्रोत: भा.रि.बैं., प्रणालीगत जोखिम सर्वेक्षण - अक्टूबर 2014.

अनुबंध 2
कार्य प्रणालियां

बैंकिंग स्थिरता मानचित्र और संकेतक

बैंकिंग स्थिरता मानचित्र और संकेतक (बीआईएस) किसी दी गई अवधि के दौरान बैंकिंग क्षेत्र की स्थिरता पर प्रभाव डालने वाली स्थितियों और जोखिम घटकों में होने वाले परिवर्तनों का समग्र अनुमान प्रदर्शित करता है। प्रत्येक संयुक्त सूचकांक बनाने में प्रयुक्त अनुपातों का विवरण सारणी -1 में दिया गया है:-

सारणी 1: बैंकिंग स्थिरता मानचित्र और संकेतक बनाने के लिए प्रयुक्त अनुपात				
आयाम	अनुपात			
मजबूती	सीआईसीएआर #	टिअर II पूंजी के प्रति टिअर-I पूंजी #	पूंजी और आरक्षी के प्रति कुल आस्ति के रूप में लीवरेज अनुपात	
आस्ति-गुणवत्ता	कुल अग्रिम के प्रति निवल एनपीए	कुल अग्रिम के प्रति सकल एनपीए	सकल एनपीए के प्रति अवमानक अग्रिम #	मानक अग्रिमों के प्रति पुनःसंचित- मानक- अग्रिम
लाभप्रदता	आस्तियों पर प्रतिफल #	निवल ब्याज मार्जिन #	लाभ में वृद्धि #	
चलनिधि	कुल आस्तियों के प्रति चलनिधि आस्तियां #	कुल आस्तियों के प्रति ग्राहक जमा राशियां #	ग्राहक की जमाराशियों के प्रति गैर-बैंक अग्रिम	कुल जमाराशियों के प्रति 1 वर्ष की अवधि के भीतर परिपक्व होने वाली जमाराशियां
कार्यकुशलता	आय की तुलना में लागत	स्टाफ खर्च की तुलना में व्यवसाय (क्रेडिट+ जमाराशि) #	कुल खर्च की तुलना में स्टाफ व्यय	

टिप्पणी: # जोखिम से ऋणात्मक रूप से संयुक्त

पांच संयुक्त संकेतक मजबूती, आस्ति-गुणवत्ता, लाभप्रदता, चलनिधि और कार्यकुशलता के पांच आयामों का प्रतिनिधित्व करते हैं। प्रत्येक संयुक्त सूचकांक जो बैंक की कार्यप्रणाली के आयाम का प्रतिनिधित्व करता है, वह शून्य (न्यूनतम) और 1 (अधिकतम) के बीच का मान लेता है। प्रत्येक सूचकांक इसके निर्माण के लिए प्रयुक्त नमूना अवधि के दौरान एक संबंधित पैमाना होता है जिसमें उच्च मान का अर्थ होता है कि उस आयाम में जोखिम अधिक है। अतः किसी विशेष आयाम में सूचकांक का मान बढ़ना यह दर्शाता है कि उस आयाम में अन्य अवधियों की तुलना में संबंधित अवधि में जोखिम में वृद्धि हुई है। किसी आयाम के लिए प्रयोग में लाए गए प्रत्येक अनुपातों द्वारा बैंकिंग क्षेत्र के लिए एक भारत औसत निकाला जाता है जिसमें भारों को बैंकिंग प्रणाली की कुल आस्तियों की तुलना में किसी बैंक की व्यक्तिगत आस्तियों के अनुपात के रूप में निरूपित किया जाता है। किसी नमूना अवधि के लिए प्रत्येक सूचकांक का सामान्यीकरण किया जाता है जैसे कि, 'किसी दी गई तारीख को मौजूद अनुपात में से नमूना अवधि के न्यूनतम मान को घटा कर उसमें नमूना अवधि के दौरान के अधिकतम मान से भाग दिया जाता है और उसमें से नमूना अवधि के न्यूनतम मान को घटा दिया जाता है'। प्रत्येक आयाम के संयुक्त सूचकांक की गणना, उस आयाम के लिए प्रयुक्त सामान्यीकृत अनुपातों के भारत औसत के रूप में की जाती है जहां भारत, सीएएमईएलएस रेटिंग के अनुमान हेतु निर्धारित अंकों पर आधारित होते हैं। व्यक्तिगत संयुक्त सूचकांक के आधार पर प्रत्येक आयाम के लिए इन पांच संयुक्त सूचकांकों के सामान्य औसत के रूप में बैंकिंग स्थिरता संकेतक का निर्माण किया जाता है।

हानि का अनुमान: संभावित हानि, असंभावित हानि और अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की संभावित कमी

इन हानियों का अनुमान लगाने के लिए निम्नलिखित मानक परिभाषाओं का प्रयोग किया गया है:

- संभावित हानि (ईएल) : ईएल वह औसत क्रेडिट हानि है जिसकी संभावना बैंकिंग प्रणाली के अपने क्रेडिट एक्सपोजर से उत्पन्न होती है।
- असंभावित हानि (यूएल) : $100(1-\alpha)$ प्रतिशत के महत्वपूर्ण स्तर पर यह हानि होती है जो हानि वितरण के α -क्वान्टाइल (α -quantile) पर हो सकता है।
- संभावित कमी (ईएस) : जब हानि (Z) का वितरण निरंतर होता है, $100(1-\alpha)$ प्रतिशत के विश्वास स्तर ($ES_\alpha(Z)$) पर होने वाली संभावित कमी को, $ES_\alpha(Z) = E[Z | Z \geq VaR_\alpha(Z)]$ के रूप में परिभाषित किया जाता है। अतः, होने वाली संभावित कमी हानि की सशर्त संभावना है यदि हानि का स्तर VaR स्तर से अधिक हो जाता है।

इन हानियों का अनुमान इस प्रकार लगाया जाता है: $Loss = PD \times LGD \times EAD$

जहां ईएडी = चूक की स्थिति में एक्सपोजर है, जो बैंकिंग प्रणाली का कुल अग्रिम होता है। ईएडी में केवल तुलन पत्र से संबंधित मदें शामिल होती हैं क्योंकि पीडी केवल तुलन-पत्र पर मौजूद एक्सपोजर के लिए ही निकाला जा सकता है।

एलजीडी = चूक के कारण हुई हानि है। आधारभूत परिदृश्य के तहत, 'पूँजी पर्याप्तता-क्रेडिट जोखिम के लिए पूँजी आवश्यकता की गणना करने के लिए दि आईआरबी एप्रोच' पर भारिबैं के दिशानिर्देशों के अनुसार औसत एलजीडी को 60 प्रतिशत के रूप में माना जाता है। मध्यम और गंभीर मैक्रोइकोनॉमिक स्थितियों के तहत एलजीडी को क्रमशः 65 प्रतिशत और 70 प्रतिशत माना गया।

पीडी = चूक की संभावना है। पीडी को कुल अग्रिमों के अनुपात की तुलना में सकल गैर-निष्पादन अग्रिमों के रूप में परिभाषित किया गया है। चूककर्ता खातों की संख्या के संबंध में आंकड़े उपलब्ध न होने के कारण पीडी का पता लगाने के लिए चूककर्ता खातों (अर्थात् गैर-निष्पादन आस्ति संबंधी राशि) के आकार को उपयोग में लाया गया है।

हानियों, ईएल, यूएल और ईएस को एक कृत्रिम पीडी वितरण को उपयोग में लाते हुए अनुमानित किया गया। पहले उपाय के रूप में केरनल डेसिटी एस्टीमेट का प्रयोग करते हुए पीडी के अनुभवजन्य वितरण का अनुमान लगाया गया; दूसरे स्तर पर अनुभवजन्य संभाव्यता घनत्व कार्यप्रणाली का प्रयोग करते हुए मान्ते कार्लो कृत्रिमता पर आधारित 20,000 यादृच्छिक संख्याएं निकाली गईं और अंत में ईएल, यूएल और ईएस की गणना की गई जिसमें पीडी को, पीडी के 99.9 प्रतिशत वीएआर तक औसत के रूप में लिया गया और 99.9 प्रतिशत वीएआर से अधिक के औसत पीडी को क्रमशः हानि माना गया।

मैक्रो-दबाव जांच

मैक्रोइकोनॉमिक आघातों के प्रति बैंकों की आघात वहनीयता सुनिश्चित करने के लिए, क्रेडिट जोखिम हेतु एक मैक्रो दबाव जांच की गई। मैक्रोइकोनॉमिक चरों के कार्य के रूप में एक क्रेडिट जोखिम संकेतक का निर्माण किया गया जिसमें विविध अर्थमितीय नमूनों का उपयोग किया गया जो बैंकिंग प्रणाली को समग्रतः मैक्रोइकोनॉमिक चरों से संपृक्त करता है। जिन समय श्रृंखला अर्थमितीय नमूनों का उपयोग किया गया वे इस प्रकार हैं: (i) बहुभिन्नरूपी परावर्तन को नमूना प्रणाली स्तरीय विपथन अनुपात के साथ, (ii) वीएआर को नमूना प्रणाली स्तरीय विपथन अनुपात के साथ, (iii) क्वान्टाइल परावर्तन को नमूना प्रणाली स्तरीय विपथन अनुपात के साथ, (iv) बहुभिन्नरूपी परावर्तन को नमूना बैंक समूह-वार विपथन अनुपात आंकड़ों के साथ, (v) वीएआर को नमूना बैंक समूह-वार विपथन अनुपात आंकड़ों के साथ, और (vi) क्षेत्रगत एनपीए के लिए बहुभिन्नरूपी परावर्तन। समग्र बैंकिंग प्रणाली में विपथन अनुपात के मौजूदा और पिछले मान शामिल होते हैं जबकि मैक्रोइकोनॉमिक चरों में जीडीपी संवृद्धि, भारित औसत उधार दर (डब्ल्यूएलएलआर), सीपीआई (संयुक्त) मुद्रास्फीति, जीडीपी अनुपात की तुलना में निर्यात ($\frac{Ex}{GDP}$), जीडीपी अनुपात की तुलना में सकल रजकोषीय घाटा ($\frac{GFD}{GDP}$) और आरईईआर शामिल होते हैं।

जहां बहुभिन्नरूपी परावर्तन, बैंकिंग प्रणाली के एनपीए और पूँजी पर चुनिंदा मैक्रोइकोनॉमिक चरों के प्रभाव का मूल्यांकन करने की अनुमति देता है वहीं वीएआर नमूना, बैंकों की पूँजी और एनपीए अनुपात पर समग्र आर्थिक दबाव स्थिति के प्रभाव को दर्शाता है और यह फीडबैक प्रभाव को भी संज्ञान में लेता है। इन पद्धतियों में, विपथन अनुपात के सशर्त मध्यमान¹ का अनुमान लगाया जाता है और यह माना जाता है कि क्रेडिट गुणवत्ता के स्तर में परिवर्तन होने के बावजूद क्रेडिट गुणवत्ता पर मैक्रो-चरों का प्रभाव समान रहेगा, जो कि हमेशा सत्य नहीं रह सकता है। इस अनुमान में छूट देने के लिहाज से क्रेडिट गुणवत्ता का अनुमान लगाने के लिए क्वान्टाइल परावर्तन को अपनाया गया, जिसमें सशर्त मध्यमान के स्थान पर सशर्त क्वान्टाइल का अनुमान लगाया जाता है।

नमूना ढांचा

जीएनपीए अनुपात/विपथन अनुपात (एसआर) पर मैक्रोइकोनॉमिक आघातों के प्रभावों का अनुमान लगाने के लिए निम्नलिखित बहुभिन्नरूपी नमूने अपनाए गए:

प्रणाली स्तरीय नमूने

प्रणाली स्तरीय जीएनपीए का अनुमान लगाने के लिए तीन भिन्न परंतु आपस में सम्पूरक अर्थमितीय नमूनों का उपयोग किया गया: बहुभिन्नरूपी परावर्तन, वेक्टर स्वतःपरावर्तन (जो मैक्रो चरों और सहसंबद्धता प्रभावों के संबंध में क्रेडिट गुणवत्ता के प्रभावों के विषय में प्राप्त फीडबैक को भी संज्ञान में लेता है) और क्वान्टाइल परावर्तन (जो क्षुद्र जोखिमों के साथ निपट सकता है और मैक्रोइकोनॉमिक आघातों के विषय-रेखीय

¹ अवधि के दौरान हुई कमी एनपीए में नया संचय है। कमी अनुपात = नया एनपीए/अवधि के प्रारंभ में मानक अग्रिम।

प्रभावों को भी संज्ञान में लेता है)। इन नमूनों से प्राप्त प्रक्षेपणों के औसत का उपयोग सीआईसीरएआर पर पड़ने वाले प्रभाव की गणना करने में किया गया।

- *बहुभिन्नरूपी परावर्तन*

यह विश्लेषण संपूर्ण वाणिज्यिक बैंकिंग प्रणाली के लिए समग्र स्तर पर विपथन अनुपात के संबंध में किया गया।

$$SR_t = \alpha_1 + \beta_1 SR_{t-1} - \beta_2 \Delta GDP_{t-3} + \beta_3 WALR_{t-1} - \beta_4 \left(\frac{EX}{GDP} \right)_{t-2} + \beta_5 \Delta CPI_{t-1} + \beta_6 \left(\frac{GFD}{GDP} \right)_{t-1} - \beta_7 \ln(REER)_{t-1}$$

जहां, $\alpha_1, \beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4, \beta_5, \beta_6$ and $\beta_7 > 0$.

- *वेक्टर स्वतः परावर्तन (वीएआर)*

अंकन रूप में, मध्यमान-समायोजित वीएआर के क्रम (order) p (VAR(p)) को इस प्रकार लिखा जा सकता है:

$$y_t = A_1 y_{t-1} + \dots + A_p y_{t-p} + u_t ; t=0,1,2,3,\dots$$

जहां, $y_t = (y_{1t}, \dots, y_{kt})'$ समय t पर चर का एक वेक्टर ($K \times K$), A_i ($i=1,2,\dots,p$) निर्धारित ($K \times K$) कोएफिशिएंट मैट्रिक्स हैं और $u_t = (u_{1t}, \dots, u_{kt})'$ एक K -आयामी व्हाइट न्वाइज या नवोन्मेषी प्रक्रिया है।

अनुमान लगाने के लिए वीएआर प्रणाली, विपथन अनुपात, डब्ल्यूएमएएलआर, सीपीआई(संयुक्त) मुद्रास्फीति, वास्तविक जीडीपी संवृद्ध, जीडीपी अनुपात की तुलना में सकल राजकोषीय घाटा और आरईईआर को चुना गया। न्यूनतम सूचना दृष्टिकोण आधार पर और अन्य उपचारों के साथ ही वीएआर के समुचित क्रम का चुनाव किया गया और इसके लिए क्रमांक 2 उचित पाया गया। तदनुसार, क्रम 2 के वीएआर (VAR(2)) का अनुमान लगाया गया और एआर की बहुपदीय अभिलाक्षणिक मूल के आधार पर नमूने की स्थिरता की जांच की गई। चूंकि सभी मूल इकाई की परिधि के भीतर पाई गई अतः इस चुने गए नमूने को स्थिरता की शर्त पूरी करने वाला पाया गया। चुने गए वीएआर के संवेग अनुक्रिया प्रणाली का उपयोग करते हुए विभिन्न प्रकार के मैक्रो इकोनॉमिक आघातों के प्रभावों का निर्धारण किया गया।

- *क्वान्टाइल परावर्तन*

सशर्त क्वान्टाइल के अपेक्षित स्तर पर विपथन अनुपात का अनुमान लगाने के लिए माध्यिका (जो विपथन अनुपात का मौजूदा क्वान्टाइल है) पर निम्नलिखित क्वान्टाइल परावर्तन का प्रयोग किया गया:

$$SR_t = \alpha_1 - \beta_1 SR_{t-1} - \beta_2 \Delta GDP_{t-3} + \beta_3 WALR_{t-1} - \beta_4 \left(\frac{EX}{GDP} \right)_{t-2} + \beta_5 \Delta CPI_{t-1} + \beta_6 \left(\frac{GFD}{GDP} \right)_{t-2}$$

जहां, $\alpha_1, \beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4, \beta_5$ and $\beta_6 > 0$ है।

बैंक समूह स्तरीय पद्धति

बैंक समूह-वार जीएनपीए का अनुमान दो अलग-अलग परंतु आपस में सम्पूरक अर्थमितीय नमूनों का उपयोग करते हुए लगाया गया: पैनेल परावर्तन, वेक्टर स्वतः परावर्तन इन नमूनों से प्राप्त प्रक्षेपणों के औसत का उपयोग सीआईसीरएआर पर पड़ने वाले प्रभाव की गणना करने में किया गया है।

- **बहुभिन्नरूपी परावर्तन**

विभिन्न बैंक समूहों के विपथन अनुपात का नमूना बनाने के लिए, विभिन्न बैंक समूहों के लिए निम्नलिखित बहुभिन्नरूपी परावर्तन का उपयोग किया गया:

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक:

$$SR_t = \alpha_1 - \beta_1 SR_{t-1} - \beta_2 \Delta GDP_{t-2} + \beta_3 WALR_{t-1} - \beta_4 (\Delta REER)_{t-3} + \beta_5 \Delta CPI_{t-1} + \beta_6 \left(\frac{GFD}{GDP} \right)_{t-2}$$

निजी क्षेत्र के बैंक :

$$SR_t = \alpha_1 - \beta_1 SR_{t-1} - \beta_2 \Delta GDP_{t-1} + \beta_3 RWALR_{t-2} - \beta_4 (\Delta REER)_{t-3} - \beta_5 \left(\frac{EX}{GDP} \right)_{t-1}$$

विदेशी बैंक:

$$SR_t = \alpha_1 - \beta_1 SR_{t-1} + \beta_2 WALR_{t-2} - \beta_3 (\Delta REER)_{t-1} + \beta_4 \Delta CPI_{t-1} - \beta_5 \left(\frac{EX}{GDP} \right)_{t-1} + \beta_6 \text{Dummy}$$

- **वेक्टर स्वतः परावर्तन**

विभिन्न बैंक समूहों के विपथन अनुपात का नमूना बनाने के लिए, विविध क्रमों के विभिन्न वीएआर नमूनों के अनुसार अनुमान लगाया गया जो निम्नलिखित मैक्रो चरों पर आधारित थे:

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक: वास्तविक जीडीपी संवृद्धि, सीपीआई (संयुक्त) मुद्रास्फीति, डब्ल्यूएएलआर और क्रम 2 के जीडीपी अनुपात की तुलना में आरईईआर और जीडीपी का पहला अंतर।

निजी क्षेत्र के बैंक: वास्तविक जीडीपी संवृद्धि, वास्तविक डब्ल्यूएएलआर और क्रम 1 के आरईईआर का पहला अंतर।

विदेशी बैंक: सीपीआई (संयुक्त) मुद्रास्फीति, डब्ल्यूएएलआर और क्रम 2 का आरईईआर।

क्षेत्रगत स्तरीय नमूने

- **क्षेत्रगत बहुभिन्नरूपी परावर्तन**

विभिन्न क्षेत्रों पर मैक्रोइकोनॉमिक आघातों के प्रभाव का अनुमान लगाने के लिए बहुभिन्नरूपी परावर्तन का उपयोग किया गया जिसमें प्रत्येक क्षेत्र के लिए अलग से समग्र एनपीए अनुपात को उपयोग में लाया गया। आश्रित चरों में पिछले एनपीए, क्षेत्र-वार जीडीपी संवृद्धि, सीपीआई (संयुक्त) मुद्रास्फीति और डब्ल्यूएएलआर शामिल थे।

आस्ति गुणवत्ता पर विनिमय दर संचरण का प्रभाव

अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की आस्ति गुणवत्ता पर विनिमय दर के प्रभाव को आरईईआर (सीपीआई मुद्रास्फीति का उपयोग करते हुए 36 मुद्राओं के व्यापार पर आधारित) के जरिए मापा गया जो कि काफी थोड़ी निकली। इसका एक कारण यह हो सकता है कि जीडीपी अनुपात की तुलना में माल निर्यात और सीपीआई ने आरईईआर के प्रभाव को सम्मिलित कर लिया हो। आरईईआर के स्थान पर अन्य संकेतकों को रखने पर भी परिणामों में कोई सुधार नजर नहीं आया।

विपथनों से एनपीए का अनुमान

विपथन अनुपातों से निकाले गए एनपीए जिन्हें पूर्व में उल्लिखित क्रेडिट जोखिम अर्थमितीय नमूनों द्वारा प्रक्षेपित किया जाता था, वे निम्नलिखित अनुमानों पर आधारित थे: 15 प्रतिशत की क्रेडिट संवृद्धि, मार्च, जून, सितंबर और दिसंबर तिमाहियों में क्रमशः 9.6 प्रतिशत, 6.7 प्रतिशत, 5.8 प्रतिशत और 5.2 प्रतिशत की दर से रिकवरी होना, मार्च, जून, सितंबर और दिसंबर तिमाहियों में क्रमशः 6.3 प्रतिशत, 4.4 प्रतिशत, 2.8 प्रतिशत और 4.8 प्रतिशत की दर से बट्टे खाते डालना।

कर पश्चात लाभ (पैट) का अनुमान

बैंकों के पैट के कई घटक होते हैं, जैसे कि ब्याज से आय, अन्य आय, परिचालनगत खर्च और प्रावधान। इस प्रकार, इन घटकों का विभिन्न समय श्रृंखला पर आधारित अर्थमितीय नमूनों (जैसा कि नीचे दिया गया है) के आधार पर अनुमान लगाया जाता है और अंत में निम्नलिखित सूत्र का प्रयोग करते हुए पैट का अनुमान लगाया जाता है।

$$\text{पैट} = \text{एनआईआई} + \text{ओओआई} - \text{ओई} - \text{प्रावधान} - \text{आयकर}$$

जहां, एनआईआई- निवल ब्याज आय, ओओआई- अन्य परिचालनगत आय और ओई- परिचालनगत खर्च है।

- *निवल ब्याज आय (एनआईआई):* ब्याज से आय और ब्याज पर खर्च के बीच का अंतर एनआईआई होता है, उसे निम्नलिखित परावर्तन समीकरण का प्रयोग कर निकाला जाता है:

$$LNII_t = -\alpha_1 + \beta_1 \times LNII_{t-1} + \beta_2 \times LNGDP_SA_{t-1} + \beta_3 \times Adv_Gr_{t-1} + \beta_4 \times Spread_t$$

जहां, $\alpha_1, \beta_1, \beta_2, \beta_3$, and $\beta_4 > 0$, एलएनआईआई, एनआईआई का लॉग है। एलएनजीडीपी-एसए फैक्टर लागत पर सांकेतिक जीडीपी का मौसमी रूप से समायोजित लॉग है। एडीवी-जीआर वर्ष-दर-वर्ष अग्रिमों में होने वाली संवृद्धि दर है। स्प्रेड, ब्याज कमाने वाली आस्तियों पर कमाई गई औसत ब्याज दर और ब्याज देने वाली देयताओं पर दिए गए औसत ब्याज के बीच का अंतर है।

- *अन्य परिचालनगत आय (ओओआई):* अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की ओओआई को निम्नलिखित परावर्तन का प्रयोग करते हुए अनुमानित किया गया:

$$LOOI_t = -\alpha_1 + \beta_1 \times LOOI_{t-1} + \beta_2 \times LNGDP_SA_t$$

जहां, α_1, β_1 and $\beta_2 > 0$.

- *परिचालनगत खर्च (ओई):* अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के ओई को स्वतः परावर्तित संचरित औसत (एआरएमए) नमूने का प्रयोग कर अनुमानित किया गया।

- *प्रावधान:* निम्नलिखित परावर्तन कर उपयोग कर अपेक्षित प्रावधानों का अनुमान लगाया गया:

$$P_Adv_t = \alpha_1 + \beta_1 \times P_Adv_{t-1} - \beta_2 \times RGDP_Gr_{t-2} + \beta_3 \times GNPA_{t-1} - \beta_4 \times Dummy$$

जहां, $\alpha_1, \beta_1, \beta_2, \beta_3$ and $\beta_4 > 0$, पी_एडीवी, कुल अग्रिमों के अनुपात की तुलना में किया गया प्रावधान है। आरजीडीपी-जीआर वास्तविक जीडीपी की वर्ष-दर-वर्ष संवृद्धि दर है। जीएनपीए कुल अग्रिमों के अनुपात की तुलना में सकल गैर-निष्पादन आस्तियां हैं। डमी, कल्पित समयावधि है।

- *आयकर:* अपेक्षित आयकर को कर पूर्व आय का 32 प्रतिशत माना गया है, जो कर पूर्व लाभ की तुलना में आयकर के पिछले रुझानों पर आधारित है।

पूंजी पर्याप्तता पर एनपीए का प्रभाव

निष्कर्षतः, सीआरएआर पर पड़ने वाले प्रभाव का अनुमान, पूर्व में उल्लिखित अनुमानित पैट के आधार पर लगाया गया। आरडब्ल्यूए संवृद्धि न्यूनतम स्तर पर 10 प्रतिशत, मध्यम जोखिम के तहत 12.5 प्रतिशत और गंभीर जोखिम वाली स्थिति में 15.5 प्रतिशत अनुमानित की गई। ऐसा माना गया कि विनियामकीय पूंजी में संवृद्धि न्यूनतम स्तर पर बनी रहेगी क्योंकि इसके लिए यह माना गया कि लाभ के 25 प्रतिशत को अनिवार्य रूप से आरक्षित खातों में अंतरित किया गया। 'तुलनपत्र पद्धति' को अपनाते हुए, गैर-निष्पादन आस्तियों के अनुपात की अनुमानित कीमत को पूंजी अनुपातों के रूप में निरूपित किया गया, जिसके कारण तुलन पत्र में मौजूद पूंजी पर, प्रावधानों और निवल लाभों के जरिए प्रभाव पड़ा।

एकल घटक संवेदनशीलता घटक - दबाव जांच

तिमाही निगरानी करने के रूप में, क्रेडिट जोखिम, ब्याज दर जोखिम, चलनिधि जोखिम आदि को शामिल करते हुए दबाव जांचें की जाती हैं और इन आघातों के प्रत्युत्तर में वाणिज्यिक बैंकों की आघात वहनीयता का अध्ययन किया जाता है। यह विश्लेषण व्यक्तिगत अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक के स्तर पर और समग्र-प्रणाली के स्तर पर भी किया गया।

क्रेडिट जोखिम

बैंकों की आघात वहनीयता की जांच करने के लिए, सभी प्रकार के पोर्टफोलियों में एनपीए के स्तरों में बढ़ोतरी करके झटका दिया जाता है। क्रेडिट संकेंद्रण जोखिम की जांच करने के लिए मुख्य व्यक्तिगत उधारकर्ता(कर्ताओं) और उधार कर्ताओं के सबसे बड़े समूह को चूककर्ता के रूप में मान लिया गया। यह विश्लेषण समग्र स्तर पर और व्यक्तिगत बैंक दोनों ही स्तरों पर किया गया और इसका आधार 30 सितंबर 2014 की स्थिति के अनुसार मौजूद पर्यवेक्षणीय आंकड़े थे। एनपीए में मानी गई वृद्धि को मानक से कम, संदेहास्पद और हानि की श्रेणियों में उसी अनुपात में बांट दिया गया जिस अनुपात में एनपीए का मौजूदा स्टॉक उपलब्ध था। इन दबाव जांचों के लिए प्रयोग में लाए गए प्रावधानीकरण के मानदंड विभिन्न आस्ति श्रेणियों के लिए लागू मौजूदा औसत मानदंडों के अनुरूप ही थे। मानक से कम, संदेहास्पद और हानि अग्रिमों के लिए क्रमशः 25, 75 और प्रतिशत की प्रावधानीकरण आवश्यकताओं को संज्ञान में लिया गया। दबाव की परिस्थितियों के तहत गणना किए गए अतिरिक्त एनपीए पर इन मानदंडों को ही लागू किया गया। इस प्रकार प्राप्त की गई अनुमानित प्रावधानीकरण संबंधी अपेक्षाओं को बैंकों की पूंजी में से घटा दिया गया और दबावग्रस्त पूंजी पर्याप्तता अनुपातों को निकाला गया।

ब्याज दर जोखिम

भारतीय रुपए के प्रतिफल वक्र में आने वाले अंतर के कारण माने गए आघात के तहत, पोर्टफोलियों की कीमत में होने वाली कमी या आय में होने वाली गिरावट के कारण होने वाली हानियों को संज्ञान में लिया गया। बैंकों की पूंजी में से इन अनुमानित हानियों को कम कर दिया गया ताकि दबावग्रस्त सीआरएआर को प्राप्त किया जा सके।

ट्रेडिंग पोर्टफोलियों (एचएफटी+एएफएस) में ब्याज दर जोखिम के लिए मुद्दत विश्लेषण पद्धति पर विचार किया गया ताकि, कीमत के प्रभाव (पोर्टफोलियों हानियों) की गणना की जा सके। दिए गए आघातों के आधार पर प्रत्येक कालावधि के लिए इन निवेशों पर पोर्टफोलियों हानियों की गणना की गई। इसके परिणामस्वरूप प्राप्त हानियों/लाभों का प्रयोग इससे प्रभावित सीआरएआर पर निकालने के लिए किया गया। एचटीएम पोर्टफोलियों में ब्याज दर आघात प्रभाव देखने के लिए अलग से एक प्रक्रिया अपनाई गई, मुद्दत पद्धति का उपयोग करते हुए, ब्याज वहन करने वाली आस्तियों पर प्रत्येक कालावधि के लिए हानियों के मूल्यांकन की गणना की गई। एचटीएम पोर्टफोलियों पर जांच के लिए मूल्यांकन प्रभाव की गणना यह मानते हुए की गई कि एचटीएम पोर्टफोलियों दैनिक बाजार मूल्य पर आधारित (मार्कड-टु-मार्केट) है।

बैंकिंग बही के संबंध में आय के परिप्रेक्ष्य से ब्याज दर जोखिम संबंधी प्रभाव के लिए आय पद्धति (आय हानि) को संज्ञान में लिया गया। ब्याज वहन करने वाले एक्सपोजर अंतर पर आय हानि की गणना प्रत्येक कालावधि के लिए अलग से केवल एक वर्ष हेतु की गई ताकि वर्तमान वर्ष के लाभ और हानि तथा आय विवरणों पर इसके प्रभाव को दर्शाया जा सके।

चलनिधि जोखिम

चलनिधि दबाव जांच का उद्देश्य यह है कि असंभावित रूप से चलनिधि के बाहर चले जाने पर, बाहर की कोई मदद लिए बगैर, बैंक की उसे वहन करने की क्षमता का पता लगाया जा सके। विभिन्न प्रकार की परिस्थितियां जमाकर्ताओं के अचानक विश्वास खो देने के कारण जमाराशि निकासी की विविध प्रकार की परिस्थितियों (जमाराशि की प्रकृति के अनुसार) के उत्पन्न होने की संभावना व्यक्त करती हैं और इस प्रकार की परिस्थितियों का वित्तपोषण करने के लिए उपलब्ध चलनिधि आस्तियों की पर्याप्तता का अनुमान लगाती हैं। स्वीकृत/आश्वासित/गारंटीकृत(अनाहरित स्वीकृत पूंजी सीमा, अनाहरित आश्वासित क्रेडिट सुविधा और साख पत्र एवं गारंटियों को शामिल करते हुए) क्रेडिट सुविधा के उपयोग न किए गए भाग के आधार पर एक अन्य चलनिधि जोखिम विश्लेषण किया गया है ताकि बैंक द्वारा केवल उनकी चलनिधि आस्तियों की सहायता से अतिरिक्त एवं आकस्मिक क्रेडिट की मांग को पूरा करने की क्षमता पर फोकस किया जा सके।

चलनिधि दबाव जांच में शामिल किए गए अनुमान इस प्रकार हैं:

- यह माना गया कि बैंक केवल चलनिधि आस्तियों की बिक्री के जरिए जमाराशियों की दबावग्रस्त निकासी या क्रेडिट की अतिरिक्त मांग को पूरा कर लेगा।
- किए गए निवेशों की बिक्री उनके बाजार मूल्य में दस प्रतिशत के कमीशन पर कर ली जाएगी।
- दबाव जांच अपरिवर्तित रूप में की गई।

चुनिंदा बैंकों के व्युत्पन्नी (डेरिवेटिव्स) पोर्टफोलियो की दबाव जांच

शीर्ष 20 बैंकों के प्रतिनिधि नमूना समूह के व्युत्पन्नी पोर्टफोलियो के संबंध में दबाव जांच को केंद्रित किया गया और इसके लिए व्युत्पन्नी पोर्टफोलियो की नोशनल कीमत ली गई। नमूने में शामिल प्रत्येक बैंक से कहा गया कि वे अपने संबंधित व्युत्पन्नी पोर्टफोलियो के संबंध में दबाव परिस्थितियों के प्रभाव का अनुमान लगाएं।

घरेलू बैंकों के मामले में घरेलू और विदेशी दोनों प्रकार के व्युत्पन्नी पोर्टफोलियो को शामिल किया गया। विदेशी बैंकों के मामले में, इस प्रक्रिया में केवल घरेलू (भारतीय) पोजीशन पर विचार किया गया। व्युत्पन्नी व्यापार के लिए जहां हेजिंग की सुविधा उपलब्ध कराई गई थी, उन्हें दबाव जांच से छूट प्रदान की गई, जबकि अन्य सभी प्रकार के व्यापार को इसमें शामिल किया गया।

दबाव परिस्थितियों में चार संवेदनशीलता जांचों को शामिल किया गया जिसमें स्पॉट यूएस डालर/ भारतीय रुपया दर और घरेलू ब्याज दरें मानकों के रूप में ली गईं (सारणी 2)।

सारणी 2 : संवेदनशीलता विश्लेषण के लिए आघात

घरेलू ब्याज दरें		
आघात 1	एक दिनी	+2.5 प्रतिशत अंक
	1 वर्ष तक	+1.5 प्रतिशत अंक
	1 वर्ष से अधिक	+1.0 प्रतिशत अंक

घरेलू ब्याज दरें		
आघात 2	एक दिनी	-2.5 प्रतिशत अंक
	1 वर्ष तक	-1.5 प्रतिशत अंक
	1 वर्ष से अधिक	-1.0 प्रतिशत अंक

विनिमय दरें		
आघात 3	यूएस डालर/ भारतीय रुपया	+20 प्रतिशत

घरेलू ब्याज दरें		
आघात 4	यूएस डालर/ भारतीय रुपया	-20 प्रतिशत

अनुसूचित शहरी सहकारी बैंक

क्रेडिट जोखिम

सितंबर 2014 के अंत की स्थिति के अनुसार अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों के संबंध में उनके आस्ति पोर्टफोलियो को उपयोग में लाते हुए क्रेडिट जोखिम के बारे में दबाव जांच की गई। यह जांच एक घटकीय संवेदनशीलता विश्लेषण पर आधारित थी। अनुमान लगाई गई परिस्थितियां इस प्रकार थीं:

- परिस्थिति I: जीएनपीए में 0.5 एसडी आघात(अवमानक अग्रिमों में श्रेणीकृत)
- परिस्थिति II: जीएनपीए में 1 एसडी आघात(हानि अग्रिमों में श्रेणीकृत).
- परिस्थिति III: जीएनपीए में 0.5 एसडी आघात(अवमानक अग्रिमों में श्रेणीकृत).
- परिस्थिति IV: जीएनपीए में 1 एसडी आघात (हानि अग्रिमों में श्रेणीकृत).

चलनिधि जोखिम

1-28 दिन की कालावधि में नकदी के प्रवाह के आधार पर एक चलनिधि दबाव जांच भी की गई जिसमें बहिर्वाह के 20 प्रतिशत से अधिक असंतुलन (नकारात्मक अंतर [नकदी बहिर्वाह की तुलना में नकदी प्रवाह का कम होना]) होने की स्थिति में इसे दबावग्रस्त माना गया।

- परिस्थिति I: 1-28 दिन की कालावधि में नकदी बहिर्वाह का 50 प्रतिशत तक जाना (नकदी अंतर्वाह में कोई परिवर्तन न होना)।
- परिस्थिति II: 1-28 दिन की कालावधि में नकदी बहिर्वाह का 100 प्रतिशत तक जाना (नकदी अंतर्वाह में कोई परिवर्तन न होना)।

गैर-बैंक वित्तीय कंपनियां

क्रेडिट जोखिम

गैर-बैंक वित्त कंपनियों (जमा राशि लेने वाली और जमा राशि संग्रह न करने वाली दोनों प्रकार की और प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण कंपनियों शामिल थीं) पर क्रेडिट जोखिम के संबंध में दबाव जांच की गई, इसमें सितंबर 2014 के अंत में स्थित उनके आस्ति पोर्टफोलियो का उपयोग किया गया। ये जांच एकल घटकीय संवेदनशीलता विश्लेषण पर आधारित थीं। दो विभिन्न परिस्थितियों के तहत सीआरएआर पर इसके प्रभाव का अध्ययन किया गया:

- परिस्थिति I: मौजूदा स्थिति से जीएनपीए में 0.5 एसडी वृद्धि का स्तर।
- परिस्थिति II: मौजूदा स्थिति से जीएनपीए में 1 एसडी वृद्धि का स्तर।
- परिस्थिति III: मौजूदा स्थिति से जीएनपीए में 3 एसडी वृद्धि का स्तर।

जीएनपीए में मानी गई वृद्धि को अवमानक, संदेहास्पद और हानि की श्रेणियों में उसी अनुपात में बांट दिया गया जिस अनुपात में जीएनपीए का मौजूदा स्टॉक उपलब्ध था। प्रावधानीकरण की अतिरिक्त अपेक्षाओं को मौजूदा पूंजी की स्थिति से समायोजित कर दिया गया। दबाव जांच व्यक्तिगत एनबीएफसी के स्तरों के साथ ही साथ समग्र स्तर भी की गई।

अंतर-सहसंबद्धता- नेटवर्क विश्लेषण

नेटवर्क का विश्लेषण करने के मूल में बीजगणितीय मैट्रिक्स होते हैं, जो निश्चित रूप से वित्तीय क्षेत्र में निकायों के बीच द्विपक्षीय एक्सपोजरों का विश्लेषण करते हैं। प्रणाली में एक संस्था की दूसरी संस्था को दी गई अथवा ली गई उधारियों को वर्ग मैट्रिक्स में रखा जाता है और तब उन्हें एक नेटवर्क मानचित्र में चिह्नित किया जाता है। प्रणाली में अंतर-सहसंबद्धता के स्तर को मापने के लिए नेटवर्क मॉडल में विभिन्न सांख्यिकी पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है। इनमें से कुछ अति महत्वपूर्ण इस प्रकार हैं:

संयोजकता: यह एक सांख्यिकीय होती है जो एक पूर्ण ग्राफ में सभी संभव शृंखलाओं से संबंधित नोड्स के बीच शृंखलाओं की सीमा को मापती है।

समूहन (क्लस्टर) गुणांक: नेटवर्क में समूहन यह मापता है कि प्रत्येक नोड आपसे में किस प्रकार सह-संबद्ध है। विशेष रूप से इस बात की प्रबल संभावना होती है कि किसी नोड के दो पड़ोसी (वित्तीय नेटवर्क के मामले में बैंक के प्रतिपक्षी) आपस में भी पड़ोसी होंगे। किसी नेटवर्क के लिए उच्च समूहन गुणांक का अर्थ यह होता है कि प्रणाली में उच्च स्थानिक सह-संबद्धता मौजूद है।

निकटतम मार्गस्थ दूरी : यह नेटवर्क के किसी एक नोड और अन्य नोडों में प्रत्येक के बीच मौजूद सीधी शृंखलाओं की औसत संख्या बताता है। जिन नोडों के बीच निकटतम मार्ग होता है उन्हें प्रणाली में हब के रूप में चिह्नित किया जा सकता है।

आपस की केन्द्रीयता (In-betweenness Centrality): यह सांख्यिकी बताती है कि निकटतम मार्गस्थ दूरी किस प्रकार एक विशिष्ट नोड के जरिए गुजरती है।

केन्द्रीयता का आईजेनवेक्टर मापन: नेटवर्क में (बैंक) किसी नोड का क्या महत्व है इसे आईजेनवेक्टर केन्द्रीयता के जरिए मापा जाता है। यह बताता है कि किसी नोड का पड़ोसी कितना संबद्ध है और यह उनकी डिग्री या एक नोड के कितने सीधे 'पड़ोसी' हैं उनसे कहीं कुछ अधिक बताता है। यह अल्गोरिथम नेटवर्क के सभी नोड्स को एक संबद्ध केन्द्रीयता अंक प्रदान कर देती है और किसी बैंक का केन्द्रीयता अंक, आपस में संबद्ध सभी नोड्स को दिए गए केन्द्रीय अंक के जोड़ के समानुपातिक होता है। सामान्य रूप से किसी $N \times N$ मैट्रिक्स के लिए इसमें N विभिन्न प्रकार के आईजेन मान होंगे, जिनके लिए आईजेनवेक्टर समाधान मौजूद होता है। प्रत्येक बैंक का अपना अलग आईजेन मान होता है जो प्रणाली में

उसका महत्व दर्शाता है। इस उपाय का नेटवर्क विश्लेषण में उपयोग किया जाता है ताकि किसी बैंक के प्रणालीगत महत्व को स्थापित किया जा सके और इससे कहीं अधिक यह सबसे महत्वपूर्ण संकेतक होता है।

परतयुक्त नेटवर्क संरचना: विशिष्ट रूप से वित्तीय नेटवर्क में परतयुक्त संरचना का उपयोग देखा जाता है। परतयुक्त संरचना एक ऐसी व्यवस्था होती है जिसमें विभिन्न संस्थाओं की अन्य नेटवर्क के साथ विविध अंशों पर या स्तरों पर संबद्धता होती है। मौजूदा विश्लेषण में सर्वाधिक रूप से संबद्ध बैंक (केन्द्रीयता के उनके आइजेनवेक्टर माप के आधार पर) सबसे भीतरी केंद्रक होते हैं। इसके बाद बैंकों को मध्य-केंद्र, बाहरी कोर और परिधि में (चित्र में केंद्र के चारों ओर संबंधित संकेद्रित चक्रों में) उनकी संगत संबद्धता के आधार पर रखा जाता है। बैंकों की संबद्धता की रेंज को प्रत्येक बैंक के अनुपात के अंश रूप में परिभाषित किया जाता है और बाह्य अंश को सर्वाधिक संबद्ध बैंक के अंश से विभाजित किया जाता है। जो बैंक इस अनुपात के शीर्ष 10 प्रतिशतक पर आते हैं वे भीतरी केंद्रक का निर्माण करते हैं। 90 और 70 प्रतिशतक के बीच आने वाले बैंक मध्य-केंद्र में आते हैं और 40 तथा 70 के बीच प्रतिशतक वाले बैंकों की एक तीसरी परत होती है। 40 प्रतिशतक से कम प्राप्त करने वाले बैंकों को परिधि के रूप में श्रेणीकृत किया जाता है।

ऋण शोधनक्षमता संक्रामकता विश्लेषण

शोधनक्षमता विश्लेषण मूलतः एक प्रकार की दबाव जांच होती है जिसमें एक या अधिक बैंकों के असफल हो जाने के कारण उत्पन्न दूरगामी प्रभावों के चलते बैंकिंग प्रणाली को होने वाले सकल घाटे का पता लगाया जाता है। इसके लिए हम चक्र-दर-चक्र प्रणाली या अनुक्रमिक अल्गोरिथम का उपयोग करते हैं ताकि अनुरूपता संक्रामकता, जिसे अब भली प्रकार फरफाइन (2003) के नाम से जाना जाता है, का पता लगाया जा सके। यदि i नामक बैंक से प्रारंभ करें जो समय 0 पर असफल होता है तो प्रत्येक चक्र या पुनरावृत्ति में जो बैंक परेशानी में आते हैं उन्हें D_q , $q=1, 2, \dots$ के रूप में निरूपित किया जा सकता है। इस विश्लेषण के लिए, किसी बैंक को तब परेशानी में पड़ा माना जाता है जब इसका कोर सीआरएआर 6 प्रतिशत से कम हो जाए। प्राप्तकर्ता बैंक के लिए निवल प्राप्तियों को घाटे के रूप में माना जाता है।

चलनिधि संक्रामकता विश्लेषण

जहां ऋण शोधनक्षमता संक्रामकता विश्लेषण किसी निवल उधारकर्ता के असफल हो जाने की स्थिति में प्रणाली को होने वाले संभावित लाभ का आकलन करता है वहीं चलनिधि संक्रामकता विश्लेषण किसी निवल उधारदाता के असफल हो जाने की स्थिति में प्रणाली को होने वाले संभावित लाभ का अनुमान लगाता है। यह विश्लेषण बैंकों के बीच होने वाले सकल एक्सपोजर के संबंध में किया जाता है। एक्सपोजर में निधि आधारित और व्युत्पन्नी दोनों प्रकार के एक्सपोजर शामिल होते हैं। इस विश्लेषण का मूलभूत आकलन यह होता है कि किसी बड़े उधारदाता के असफल होने की स्थिति से उत्पन्न होने वाली चलनिधि दबाव से निपटने के लिए किसी बैंक के चलनिधि रिजर्व या बफर में पहले तो गिरावट आएगी। चलनिधि रिजर्व के तहत विचार में ली जाने वाली मदें इस प्रकार हैं: (क) सीआरआर का अतिरिक्त अधिशेष; (ख) एसएलआर का अतिरिक्त अधिशेष; (ग) उपलब्ध सीमांत स्थायी सुविधा और (घ) उपलब्ध निर्यात क्रेडिट पुनर्वित्त। यदि बैंक केवल चलनिधि बफर से ही दबाव से निपटने में सक्षम होता है तो ऐसी स्थिति में इसका आगे कोई और संक्रमण नहीं होता है।

तथापि, यदि केवल चलनिधि बफर पर्याप्त नहीं होते हैं, तब बैंक को उन सभी ऋणों को वापस लेना होगा जो 'वापस लिए जाने योग्य' हैं, जिसके परिणामस्वरूप संक्रामकता होती है। यदि विश्लेषण करने के लिए देखा जाए तो केवल अल्पावधि की आस्तियां जैसे कि कॉल मार्केट में उधार दी गई राशि और अन्य बहुत ही अल्पावधि के लिए दिए गए ऋणों को ही वापसी योग्य कहा जा सकता है। इसके पश्चात किसी बैंक का अस्तित्व या तो बना रह सकता है अथवा उसका परिसमापन किया जाना होगा। इस मामले में इस प्रकार के उदाहरण हो सकते हैं कि जहां ऋणों की वापसी होने से बैंक का अस्तित्व बना रह गया हो परंतु इसके परिणामस्वरूप इससे आगे संक्रामक हो सकता है जिससे अन्य बैंकों की पेशानी पर बल पड़ सकता है। दूसरा आकलन यह लगाया गया है कि जब किसी बैंक का परिसमापन किया जाता है तो उस बैंक द्वारा उधार दिए गए ऋणों को सकल गणना के आधार पर वापस मांगा जाता है, जबकि परिसमापन किए बगैर जब बैंक द्वारा दिए गए अल्पावधि ऋणों को वापस मांगा जाता है तो ऋण को निवल आधार पर वापस मांगा जाता है (इस अनुमान के अनुसार कि पक्षकार अपने उसी प्रतिपक्षी के प्रति देय अपनी अल्पावधि देयताओं को पहले कम करना चाहेगा)।